MANIPUR (VILLAGE AUTHORITIES IN HILL AREAS) BILL *

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): I beg to move for leave to.....

Shri Nambiar (Mayuram): Under your ruling, should he not say "on behalf of so and so"?

Mr. Speaker: It is not necessary, because any Minister can rise on behalf of another Minister. It is only for the sake of record that those words are noted. I shall see that a correct record of this is kept.

Shri Datar: On behalf of Shri Govind Ballabh Pant, I beg to move for leave to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to the constitution and functions of Village Authorities in the Hill Areas of the State of Manipur.

Mr. Speaker: I am reminded now that my ruling was that whenever a Minister other than the Minister belonging to the Ministry concerned moves it, those words are necessary. For instance, what has the Minister of Agriculture to do with the Ministry of Home Affairs? But if the Minister belongs to the same Ministry, he need not use those words "on behalf of so and so".

Shri Kamath (Hoshangabad): Then all this need not go on record; you may strike off the first few words.

Mr. Speaker: It will go on record.

The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to the constitution and functions of Village Authorities in the Hill Areas of the State of Manipur."

The motion was adopted.

Shri Datar: I introduce the Bill.

HINDU SUCCESSION BILL

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Pataskar on the 12th December, 1955, namely:

> "That the Bill to amend and codify the law relating to intestate succession among Hindus, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The time allotted is 35 hours and the time so far taken is 53 minutes. So there is a balance of 34 hours and 7 minutes. It appears that the other day when the Deputy-Speaker was here, there was a suggestion regarding the time that might be allotted for the various stages of the Bill. I have gone through the various clauses and the amendments that have been tabled. In view of what has been said from time to time regarding the general consideration, I think the clause by clause stage may require more time and, as such, I would suggest that 20 hours may be allotted for the clauses, 10 hours for the general consideration and 5 hours for the third reading stage. If per chance we are not able to deal with the clauses within the time allotted for that stage, some more time from the third reading stage may be availed of for the clause by clause consideration. If the House agrees with this, I will enforce this allotment.

Shri Kamath (Hoshangabad): Under the Business Advisory Committee's Report, which was accepted by the House, the Speaker is empowered to extend the time beyond 35 hours, if considered necessary. This is an important measure.

Shri Altekar (North Satara): I think that two hours will be sufficient for the third reading stage and 13 hours may be allotted for general discussion stage.

The Minister of Legal Affairs (Shri Pataskar): I would suggest 10 hours for general discussion, 20 hours for the clauses and 5 hours for the third reading. I think the matter has been discussed several times, but, of course, it is a Bill which does contain important clauses and so I would like more attention to be paid to the clauses. The third reading stage is only a sort of a general discussion.

An Hon. Member: We may go up to 40 hours *(Interruption).*

Mr. Speaker: Let us strike something between 10 and 15 hours, let us have 13 hours for the general discussion. If we take more time on the clauses, we shall try, if necessary, to extend it; otherwise we shall conclude within the time allotted. Let us put it as 13 hours for general discussion. After all, we have to say the same thing over again, the same thing which we have been saying all along.

Shri Altekar: When the clause by clause consideration is over, there is very little of importance in the third reading, because if any important suggestions

---

* Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 30-4-56, pp. (309-329)

are to be made, they will be made only at the general discussion stage.

Mr. Speaker: All right. Let us proceed now.

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । ।वरोध करने से पूर्व मैं इस सदन के सदस्यों से हृदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस विधेयक की तरफ बड़ी गम्भीरता से देखें । सवाल यह है कि भारत के करोड़ों लोगों पर इस विधेयक का दूरवर्ती प्रभाव होने वाला है । मेरी समझ में सदन के बहुत से सदस्यों ने यह नहीं सोचा कि इस का परिणाम करोड़ों लोगों के सम्बन्ध में क्या होने वाला है । जब मैं किताबों को देखता हूं तो पाता हूं कि उन में लिखा है कि भारत की ७० प्रतिशत जनता आज कृषि व्यवसाय में मग्न है । इस ७० फी सदी जनता में पूरे देश की ५० प्रतिशत जनता, अर्थात् साढ़े सत्तरह करोड़ आदमी इस प्रकार के हैं जो की पार्ट ओनर (आंशिक मालिक) हैं, या फुल ओनर (पूरे मालिक) हैं और कल्टिवेशन (खेती) करते हैं । अर्थात् भारत के १७ और १८ करोड़ के बीच में ऐसे लोग हैं जो कृषि सम्पत्ति के मालिक हैं और देहातों में रहने वाले हैं । यह १८ करोड़ लोग अधिकतर अशिक्षित हैं। उन पर इस विधेयक का बडा अच्छा प्रभाव पड़े ऐसा परिणाम होने वाला नहीं है । मैं समझता हूं कि इससे वहां की समाज रचना बदलने वाली है, हमारी गृह रचना बदलने वाली है, हमारी अर्थ व्यवस्था बदलने वाली है । जो इस प्रकार का दूरगामी विधेयक है उसकी तरफ भावना प्रधान दृष्टि से देखना, काव्यमय दृष्टि से देखना, रोमैंटिक दृष्टि से देखना, मैं समझता हूं, उचित नहीं होगा ।

इस देश में दस वर्ष से इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रयत्न हो रहा है । परन्तु मेरी समझ में केवल तीन वर्गों के लोग हैं जो इस विधेयक का समर्थन करने वाले हैं । एक वर्ग तो इस प्रकार का है जो केवल प्रगति के नाम के पीछे चलने वाला है और यह सोचता है कि प्रगतिशील हैं । लेकिन वे यह नहीं सोचते हैं कि प्रगति का तरीका क्या है । उनके अनुसार स्त्री को अधिकार देना बड़ी प्रगति की बात है । चूंकि मनु दो हजार साल पुराने हैं, चार हजार साल पुराने है, इस लिये मनु, याज्ञवल्क्य या जीमूतबाहन अब पुराने हो गये हैं । जो वे लोग कर रहे हैं वही अच्छा है । आज चूंकि लोग पुरानी चीजों को छोड़ कर नई चीजें लाना चाहते हैं इस लिये अपने को समझते हैं कि बड़े प्रगतिशील हैं । तो इस प्रगतिशीलता के पीछे चलने वाला एक वर्ग है ।

दूसरा वर्ग वह है जैसे कि अंग्रेजी सिस्टम (प्रथा) में नाइट्स हुआ करते हैं जिन को हमेशा विपत्ति में पड़ी हुई स्त्रियों की सहायता करने की पड़ी रहती है । डैमसेल इन डिस्ट्रेस (विपत्ति में पड़ी महिला) के आंसू पोंछने वाला वर्ग है । यह मनुष्य के हृदय के एक कमजोरी है कि जब स्त्री का प्रश्न आता है तो वह कहता है कि चाहे मेरा जीवन समाप्त हो जाये लेकिन स्त्री के आंसू पूछने चाहिये । तो यह रोमांटिक एप्रोच (काव्यमय दृष्टिकोण) वाला वर्ग है । एक और वर्ग है जो कि माडर्न (आधुनिक) एमेजन को देख कर बेंबूज़िल हो जाता (चकमे में आ जाता) है और डर के कारण कहने लगता है कि हमारे साथ स्त्रियों को भी समान अधिकार मिलने चाहियें । यह उनसे दबने वाला वर्ग है तो ये तीन वर्ग इस समय सामने आ रहे हैं । मेरी समझ में इस प्रकार रोमांटिक या डर का एप्रोच इस विषय की ओर न होकर वास्तविकता के आधार पर इस विषय पर विचार करना चाहिये । जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं हमको केवल नारों के पीछे लगकर किसी विषय को नहीं देखना चाहिये ।

लोग कहते हैं कि पुरानी बातें छोड़ दो । मैं कहता हूं कि पुरानी बातों का समर्थन करने वाले मजबूत जमीन पर हैं । हजारों वर्षों के इन पुराने कानूनों के अनुसार हमारी समाज व्यवस्था चली आ रही है । मनु, याज्ञवक्ल्य, विज्ञानेश्वर और जीमूतवाहन के बनाये कानूनों के अनुसार हमारी समाज व्यवस्था बहुत समय से चल रही है । इसलिये मैं कह सकता हूं कि इन शास्त्रों के प्रति जो अन्धविश्वासी है वह मजबूत जमीन पर है । लेकिन वह नया अन्ध विश्वासी इतनी मजबूत जमीन पर नहीं है जो कि यह कहता है कि मनु अच्छा नहीं था । उसको बताना चाहिये कि क्यों मनु अच्छा नहीं था, स्त्रियों को समान अधिकार न देने से अब तक समाज की क्या हानि हुई है और किस तरह से समाज की सम्पत्ति समाप्त हो रही है । आज हम अपने देश में एक नया समाजवादी ढंग ले कर सामने आ रहे हैं । कहा जाता है कि क्यों कि लड़की को समान अधिकार नहीं दिया जाता इसलिये समाजवादी ढंग नहीं आ सकता । लेकिन मैं कहता हूं कि

[श्री वी० जी० देशपांडे]

आप फिगर्स (आंकड़े) लाइये कि किस प्रकार वर्तमान व्यवस्था में समाज को हानि हो रही है या समाज की सम्पत्ति नष्ट हो रही है । आपको यह बतलाना चाहिये. कि किस प्रकार यह व्यवस्था हमारे देश में समानता लाने में बाधक हो रही है । मैं देखता हूं कि इस प्रश्न के प्रति लोगों की साइंटिफिक (वैज्ञानिक) और रियलिस्टिक (वास्तविक) एप्रोच नहीं है । खाली पुराने लोगों को गाली देने से काम नहीं चल सकता । मुझे पुराने शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास है और मैं समझता हूं कि शास्त्रों को समझने की योग्यता न होने के कारण इस प्रकार की बातें आज कहीं जा रही हैं । पुराने शास्त्रों का एप्रोच ठोस होते हुए भी उसकी ओर नहीं देखते और उसके विपरीत जाने का प्रयास कर रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन से अर्थशास्त्र के आधार पर कहा जा रहा है, और कौनसी समाज रचना के अनुसार आप यह क्रान्तिकारी परिवर्तन हमारे सामने ला रहे हैं ।

इस विधेयक पर दस पन्द्रह साल से चर्चा चल रही है । आज आप इसमें अन्त में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन करने जा रहे हैं । मैं आपसे आज भी अनुरोध करूंगा कि ठहरिये और सोचिये और देहातों में रहने वाले करोड़ों लोगों की अर्थ व्यवस्था पर कुठाराघात करने के पहले इस कुल्हाड़ी को जरा संभाल कर रखिये । मुझे स्मरण आता है कि जब वाशिंगटन को उसके पिता ने एक कुल्हाड़ी दी तो उसने उस कुल्हाड़ी से सबसे पहले अपने पिता के बगीचे के वृक्षों पर ही चोट करना शुरू कर दिया । हमको स्वराज्य मिला है । लेकिन इस सुन्दर कुल्हाड़ी के हाथ मे आते हीं हम सबसे पहले उस बगीचे पर प्रहार कर रहे हैं जिसको हमारे शास्त्रों ने बनाया था, हम सबसे पहले उस कुल्हाड़ी से अपनी समाज रचना के बगीचे पर ही प्रहार करने लगे हैं । वाशिंगटन ने तो पश्चात् अपने पिता के कहा था कि " मैं सजा के लिये तैयार हूं " पर पता नहीं कि यह वाशिंगटन इस प्रकार का प्रायश्चित करेगा या नहीं । जो हमारे शास्त्र द्वारा स्थापित समाज व्यवस्था के उद्यान पर कुठाराघात करना चाहते हैं उनसे मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं । आप समानता का नारा लेकर सामने आये हैं । समानता अच्छी बात है । मैं भी मानता हूं कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद न किया जाय परन्तु दुनिया जिन देशों में स्त्रीयों को समानता के आधार पर अधिकार मिले हुए हैं, वहां भी न्यायाधीशों ने कहा है कि समानता का अर्थ हम यह नहीं समझत कि उनके कार्यक्षेत्र में भेद होते हुए भी उनके लिये सम्पत्ति का वितरण समान हो । उनका कहना है कि : If the functions and social needs demand that there should be discrimination, discrimination will have to be made. यदि बहिनऔर भाई की, स्त्री और पुरुष की सामाजिक आवश्यकताओं और कार्यक्षेत्र में भिन्नता है तो सम्पत्ति के वितरण में आपको उनके बीच भिन्नता करनी पड़ेगी । स्त्री और पुरुष की लड़ाई पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की लड़ाई, या पुर्तगाल और हिन्दुस्तान की लड़ाई है, ऐसा मानने के लिये में तैयार नहीं हूं । स्त्री और पुरुष मिलकर कोई अलग वर्ग नहीं बनता । मैं माताओं से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । अगर किसी माता के एक लड़का है और दूर के किसी की लड़की है, तो क्या माता यह समझकर कि पुत्र पुरुष जाति का है यह चाहेगी कि उसकी संपत्ति इसके लडके को न मिलें बल्कि उस लड़की को मिले । मैं समझता हूं कि कोई भी माता यह नहीं चाहेगी कि उसके लड़के के बजाय उस दूर रहने वाली स्त्री को सम्पत्ति मिले । हर एक माता चाहती है कि उसका लड़का इस योग्य हो कि वह अपनी बहिन को अपने घर लाया करे, और बड़ा होकर अपने माता पिता का पालन पोषण करे, लेकिन यह कोई माता नहीं चाहेगी कि उसके लड़के का इस प्रकार नुकसान हो । आज से पहले श्रीमती शिवराजवती नेहरू जी ने ही इसी प्रकार के उद्‌गार प्रकट किये थे जिससे प्रकट होना था कि यह जो आप भाई का नुकसान करके बहिन को सम्पत्ति में हिस्सा देना चाहते हैं, यह माताओं को मान्य नहीं है । मैं समझता हूं कि आज जमाना बदल गया है लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि यदि आप देहातों में रहने वाली माताओं की आवाज सुने तो आपको मालूम होगा कि सोशल नेसिसिटीज (समाजिक आवश्यकताएं) और फंक्शन्स (कार्य) को देखते हुए वे भी आपके पक्ष में नहीं हैं । मैं मानता हूं कि पहले जो हमारी सम्मिलित कुटुम्ब व्यवस्था थी उसमें फर्क पड़ गया है, उसका डिसइंटीग्रेशन (विघटन) हो रहा है । लेकिन फिर भी देहातों में रहने वाले करोड़ों लोग आज भी उसी प्रकार से रह रहे हैं । आज भी शादी होने पर लड़की लड़के के घर आती है, लड़का लड़की के घर नहीं जाता । आज भी कुटुम्ब में पुरुष मुख्य माना जाता है । यदि बाप मर है जाता तो सारे

कुटुम्ब की जिम्मेवारी आज भी लड़के पर ही आती है । परिवार वालों का पेट पालने की जिम्मेवारी लड़के पर ही आती है । इस प्रकार की समाज रचना में कोई परिवर्तन हुआ है ऐसा मैं नहीं मानता । आज आप स्त्रियों की उन्नति करना चाहते हैं । मैं समझता हूं यह चीज आज उनकी उन्नति के मार्ग में बाधक नहीं है । वे पुरुषों के बराबर नहीं कमातीं या उनको सम्पत्ति में समान अधिकार नहीं मिलता । अनेक ऐसी सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनके कारण स्त्रियों की उन्नति रुकी हुई है । सम्पन्नि के बारे में भी जो झगड़ा है वह यही है, कुछ कहते हैं कि दामाद को मिले और कुछ कहते हैं कि लड़के को मिले । यह लड़ाई स्त्री और पुरुष की नहीं है । इस झगड़े में न कोई सवाल पुरुष का आता है और न स्त्री का आता है ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जब प्रारम्भ में यह विधेयक हमारे सामने आया था तो हमारे लीगल एफेअर्स (विधि कार्यों) के मंत्री ने कहा था कि जो मिताक्षरा फैमिली (परिवार) है उसको यह कानून लागू नहीं होगा । परन्तु प्रवर समिति में जाने के बाद इस बिल में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन किये गये । कभी कहा गया कि लड़के और लड़की को आधा आधा मिले, कभी कहा गया कि पूरा लड़की को मिले, फिर कहने लगे कि दूसरों की लड़की को भी मिले इससे भी सन्तोष नहीं हुआ तो कहा गया कि अवैधानिक लड़के को भी क्यों न मिले । मैं तो कहता हूं कि एक समाजवादी समाज के लिए तो यह बात कहना रिएक्शनरीपन है कि अपने लड़के और अपनी लड़की को ही दिया जाये । उस समाज में तो ऐसा कानून बनाया जाये तो बहुत अच्छा हो कि दूसरों के लड़कों को ही मिले । वहां पर यह बेसिर पैर के परिवर्तन किये गये कि स्त्रियों को पूरा अधिकार मिले । इनको क्रान्तिकारी परिवर्तन कहा जाता है । यह मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि इस विधान को हम बड़ी जल्दबाजी में बना रहे हैं और जिस शान्ति और सोचविचार के साथ इस तरह के सामाजिक विधेयक बनाये जाने चाहियें, उस प्रकार से नहीं बनाया जा रहा है । आप जो यह कहते हैं कि यह विधेयक दस साल या पन्द्रह साल से जनता के सामने है तो मेरा कहना है कि जनता के सामने तो यही सवाल रक्खा गया कि स्त्रियों के साथ न्याय होना चाहिये कि नहीं होना चाहिये और इस सवाल का तो जवाब जनता से यही मिलना था कि न्याय होना चाहिये । मुझे बतलाया गया कि कोई किंग आर्थर के नाइट हैं जो स्त्रियों के आंसू नहीं देख सकते उन्होने सब को इकट्ठा करके एक इस तरह का बिल ले आये और हालांकि लोग इसके कुछ प्राविजंस (उपबन्धों) से संतुष्ट नहीं हैं और उसके विरुद्ध हैं लेकिन पंडित जी के नेतृत्व के कारण यहां आते आते जो उनका विरोध होता है वह विरोध लुप्त हो जाता है ।

मैं समझता हूं कि यह विधेयक प्रापर ली ड्राफटेड (उचित बनाया गया) नहीं है और इसका फल आगे चल कर कनफयूज़न (भ्रांति) और लिटिगेशन (मुकदमेबाजी) के सिवा और कुछ होने वाला नहीं है । क्या आपने यह भी सोचा है कि इस विधेयक का जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ? जब यह बिल संयुक्त प्रवर समिति को विचारार्थ सौंपा गया और इस प्रकार के सामाजिक विधेयक पर यथेष्ट समय लगना जरूरी था तो इस कानून को जल्दी पास कराने के लिये स्त्रियों के डेपुटेशन (प्रतिनिधि मंडल) जाने लगे और यह सोचा गया कि अगर कहीं १५ दिन की इसमें देर लग जायेगी तो इस अधिवेशन में नहीं आ पायेगा और इस कारण उन्होंने डेपुटेशन के डर के मारे एक तिथि निश्चित् कर दी कि उसके अन्दर अन्दर रिपोर्ट तैयार कर दी जाय जिसका कि नतीजा यह हुआ कि जल्दी जल्दी उसने इस बिल की शब्द रचना की और इस तरह की शब्द रचना हुई कि हमारे वैधानिक अफैयर्स (कार्यों) के मंत्री महोदय जब राज्य सभा में इस विधेयक पर बोलने के लिये खड़े हुए तो उन्होंने उस अवसर पर स्वयं इसको स्वीकार किया। कि इस बिल में कुछ कमियां रह गई हैं जैसे कि इल्लेजिटिमेट सन (अवैधानिक पुत्र) को अगर हिस्सा मिलता है तो पोलैगेमी (बहु विवाह) बढ़ती है और राज्य सभा में जब संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट लेकर पहुंचते हैं तो वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस विधेयक की शब्द रचना ठीक नहीं हुई । उसके बाद जो कमेटी नियुक्त हुई उसने उसकी शब्द रचना को सुधारने का प्रयास किया लेकिन वह भी विशेष इसमें सुधार नहीं क्योंकि फिर दुबारा स्त्रियों के डेपुटेशन जाने लगे कि बिना कुछ चेंज (परिवर्तन) किये हुए जल्दी से जल्दी इस विधेयक को पास किया जाय । जल्दी जल्दी बिना पूरी तरह विचार विनिमय किये और शब्द रचना किये विधेयक को

[श्री वी० जी० देशपांडे]

पास करना प्रगति का चिन्ह माना जा रह है जो कि वास्तव में प्रगति का चिन्ह नहीं है।और उचित तो यह था कि इस प्रकार का क्रान्तिकारी सामाजिक विधेयक जिसका कि असर करोड़ों देशवासियों के जीवन पर पड़ने वाला है, उस पर खूब अच्छी तरह से विचार किया जाता और जनता के सब वर्गों की राय ली जाती और सोसाइटी (समाज) के डिफ्रेंट क्लासेज (विभिन्न खंडों) जसे व्यापारी लोग, प्रोफेशनल क्लासेज (व्यवसायिक खंड) और एग्रीकलचरिस्ट्स (कृषकों) का अलग अलग इस बिल के असर के बारे में कंसल्ट (परामर्श) किया जाता। इस बिल के अन्तर्गत जो नीति है वह तो मुझे बहुत रिवोल्टिंग (विद्रोहात्मक) मालूम होती है। मैं समझता हूं कि यह जो सुधार इस बिल के द्वारा करने का प्रयत्न किया जा रहा है, यह हमारे तथाकथित प्रगतिशील पुरुषों की सैंटिमेंटल वीकनेस (भावनात्मक कमजोरी) के कारण है और मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि फेयर सेक्स (स्त्रियों) के साथ इस तरह जो एक्सेसिव फेवर्स (अत्यधिक पक्षपात) किये जाते हैं, आगे चल कर इस बिल के सपोर्टर्स (समर्थकों) को पछताना पड़ेगा। आप यह समझ कर कि बेचारे मनु और याज्ञवल्क्य का ज़माना तो चला गया और सामाजिक परिवर्तन इस प्रकार के किये जाने ज़रूरी है, इस तरह का बिल जल्दी से ड्राफ्ट (तयार) करके ला रहे हैं जो कि कितने ही स्थानों पर ठीक नहीं है ऐसा करना आप प्रगतिवाद समझते हैं जो कि आपकी सरासर भूल है क्योंकि हर पुरानी चीज़ ज़रूरी तौर पर बुरी नहीं होती है। मैं समझता हूं कि आज जो हम सामाजिक परिवर्तन करने जा रहे हैं उसका दुष्परिणाम शीघ्र ही हमारे सामने आने वाला है और उस वक्त हम समझ जायेंगे कि सिर्फ परिवर्तन ही प्रगति और धर्म नहीं है जैसा कि आजकल हम में से कुछ लोग मान बैठे हैं।

सक्सैशन (उत्तराधिकार) के बारे में मेरा यह कहना है कि पहले यह होता था कि बाप के मर जाने पर उसका लड़का उत्तराधिकारी बनता था और उसका लड़का यदि मर गया हो तो उस लड़के का लड़का उत्तराधिकारी बनता था, यह दो तीन से ज्यादा को हमारे वहां पहले उत्तराधिकार का अधिकार नहीं पहुचता था लेकिन सक्सेशन की जो फेहरिस्त दी गई है वह तो इतनी लम्बी और न खत्म होने वाली है कि मैं उसको पढ़कर हरान रह जाता हूं।

son; daughter; widow; son of a predeceased son; daughter of a predeceased son; son of a predeceased daughter; daughter of a predeceased daughter; widow of a predeceased son; son of a predeceased son of a predeceased son; daughter of a predeceased son of a predeceased son; widow of a predeceased son of a predeceased son.

इतने उत्तराधिकारी इसमें रख दिये गये हैं जो म समझता हूं उचित नहीं है। इसमें जो विडोड डाटर-इन-ला (विधवा बहू) को शामिल किया गया ह वह और किसी ला में नहीं है, इंडियन सक्सेशन ऐक्ट (भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम) में भी नहीं है। विडोड डाटर-इन-ला (विधवा बहू) का जहां तक सम्बन्ध ह, इस्टेट (सम्पत्ति) को लिमिटेड (सीमित) रखना चाहिये था और इस तरह का हमला हिन्दू ला पर नहीं करना चाहिय था। लिमिटेड प्रापरटी (सीमित सम्पत्ति) की जगह एब्सॅलूट प्रापरटी (कुल सम्पत्ति) कर दी गई है। लिमिटेड प्रापरटी का अर्थ यह कि प्रापरटी यानी सम्पत्ति समाज की होनी चाहिये, नियंत्रित होनी चाहिये, जब कि हमारा यह कानून व्यक्तिवाद की तरफ और अनियंत्रित संपत्ति की तरफ जा रहा है। मिताक्षरा की पद्धति हमने इस देश में निर्माण की थी कि केवल स्त्री को ही नहीं बल्कि पुरुष को भी यह अधिकार नहीं था कि वह अपनी सम्पत्ति किसी को बेच दे या किसी को दे दे, वह केवल एक मर्यादित उसका मालिक होता था, पूरे कुटुम्ब की वह सम्पत्ति होती थी और हमारे कानून में तो स्त्री को पुरुष की अपेक्षा अधिक अधिकार हासिल था। उसके अनुसार लड़की को पति से सम्पत्ति मिलती है वह उसका जैसे चाहे डिस्पोज़ आफ (विक्रय) कर सकती है लेकिन लड़के को बाप से जो सम्पत्ति मिलती है उसका वह मर्यादित मालिक बनता था, स्त्री को अनियंत्रित अधिकार और पुरुष को नियंत्रित अधिकार प्राप्त था लेकिन इस बिल को लाने के पश्चात् मिताक्षर ज्वाइंट फैमिली प्रापरटी (संयुक्त परिवार सम्पत्ति) जो कि इस ला (कानून) के आपरेशन (कार्यकरण) से अभी तक बची हुई थी, उसको भी इसके अन्दर ले आये हैं और ऐसा करके कनफ्यूज़न वर्स कनफाउडेड (भ्रांति और अधिक भ्रांतिपूर्ण) हो गया है। डा० अम्बेडकर का जो विधेयक था वह पूरा गला काटने वाला था। और उनका रेज़र शार्प था लेकिन यहां तो गट्ठल रेज़र जो कि सैप्टिक (जहरिला) है

उससे गला काटने का प्रयत्न किया जा रहा है जिसका कि नतीजा यह होगा कि गला तो कट नहीं पायेगा लेकिन आदमी ज़रूर मर जायेगा। इस तरह की कनफ्यूज़ड वर्डिंग (भ्रांति पूर्ण शब्दावली) को लेकर मिताक्षर ला क बारे में छठवां सेक्शन (धारा) बनाया गया है कि कोई ठिकाना नहीं। जब राज्य सभा में यह बिल लाया गया तब लोगों ने बतलाया कि इसका अर्थ तो यह होगा कि डिसीज्ड डाटर्स डाटर को तो उत्तराधिकार मिलेगा लेकिन डिसीज्ड डाटर्स सन को हक़ नहीं मिलेगा। पहले बिल मे ऐसा लिखा हुआ था :

> "Provided that, if the deceased had left him surviving a female relative specified in class I of the Schedule".

उसके बाद यह संशोधन किया गया :

> "Or a male relative specified in that class who claims through female relative."

इस प्रकार की कम से कम उसमें एनामली (विरोधाभास) नहीं और असम्बध्दता नहीं थी।

> *Explanation*—for the purpose of the proviso to this section, the interest of every one of his undivided male descendants in the coparcenary property, and the female relative shall be entitled to have her share in the coparcenary property computed and allotted to her accordingly.

1 P.M.

मैं तो इस पूरे क्लाज़ ६ के विरूध्द हूं वैसे इसमें एक एम्पार्टेंट एक्सेप्शन ह कि यह एक फीमेल हेयर को कोपार्सनरी प्रापरटी (समांशी सम्पत्ति) में शेयर देता है। यह जो एक्सप्लेनेशन ऊपर मैंने पढ़ा है इससे मैं समझता हूं कि it would lead to hardship and injustice and will make unsafe the title of a coparcenary even after the partition.

यानी अगर मेल रिलेटिव (पुरुष रिश्तेदार) है, लड़की का लड़का है और उसका हिस्सा देना है तो सन (पुत्र) का हिसाब कम्प्यूट (लगाया) नहीं किया जायेगा। आखिर क्यों दिया जायेगा ? आज स्त्रियों को मदद की दरकार है, पुरुषों को नहीं। तो अगर लड़के का लड़का होगा तो हिसाब नहीं कम्प्यूट होगा लकिन अगर लड़की का लड़का होगा तो डिवाइडेड सन्स (विभाजित पुत्रों) का हिस्सा कम्प्यूट किया जायेगा। मैं बता रहा था कि इस तरह की गड़बड़ी आपने जल्दबाजी में कर दी है। इस की फेहरिस्त इस वक्त का समय नहीं है, क्लाज बाई क्लाज (खंड प्रति खंड) डिस्कशन (पाठ्य) में देखना पड़ेगा। फिर जल्द बाजी में जो यह बुराई आप को मालूम हुई तो आप समझे कि इस से ो बड़ी खराबी आ जायेगी। जब आप ने उस को सुधारने की कोशिश की तो बिल्कुल ही गला काट दिया। सेक्शन ३२ में आप ने इस के बारे में रक्खा है।

> "32. *Testamentary succession*: Any Hindu may dispose of by will or other testamentary disposition any property, which is capable of being so disposed of by him, in accordance with the provisions of the Indian Succession Act, 1925, or any other law for the time being in force and applicable to Hindus.
>
> *Explanation*.— Notwithstanding anything contained in section 6, the interest of a male Hindu in a Mitakshara coparcenary property shall be deemed to be property capable of being disposed of by him within the meaning of this section."

यह दुधारी तलवार है। पहले हमारे मिताक्षर पद्धति में किसी को मृतपत्र से इस बात की इजाजत नहीं थी कि वह किसी को सम्पत्ति दे दे। लेकिन अब हर एक पिता जो लड़की को जायदाद देना नहीं चाहेगा, यह कोशिश करेगा कि सब से पहले वह इस क्लाज के अनुसार उस को जायदाद से वंचित कर दे। मान लीजिये पिता पुराने खयालात का है और लड़की को जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहता है तो वह मृतपत्र की आड़ में नहीं देगा। इस के साथ ही साथ यदि लड़के की पत्नी को भी न देने की इच्छा हो तो वह भी वह कर सकता है। मान लीजिये कि पति पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करता है, शारब पीता है, दुराचार करता है कर्जा करता है, तो उस के मरने के पश्चात् ऐसा हो सकता है कि उस की विधवा और बच्चों को कुछ न मिले क्योंकि पहले तो यह नियम था कि उस की जायदाद को बिना विधवा पत्नी और बच्चों की सहमती क

[श्री बी० जी० देशपांडे]

बचा नहीं जा सकता था, लेकिन अब वह मृतपत्र लिख कर जायदाद पर पूरा अधिकार अपने पास रख सकेगा। हमें उसकी विधवा और बच्चों के इन्टरेस्ट (हित) को समझना है। लड़के के इन्टरेस्ट को समझबझ कर ही पार्टिशन (बंटवारा) होने के बाद जो पति का इन्टरेस्ट रहेगा वही उस को देना है। यह भी कई बात इस में साफ नहीं की गई हैं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में इस प्रकार के क्लाजेज रखने के पश्चात् यह समझ कर कि स्त्रियों को जरूर अधिकार मिलेगा और उस को जल्दी से पास कर लें, तो उन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं नहीं समझता लड़कियों को सम्पत्ति इस प्रकार से मिल सकेगी।

आगे चल कर मैं एक ही प्वाइंट (बात) पर और बोलूंगा क्योंकि वह बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है। इस देश के अन्दर जो कृषि विषयक सम्पत्ति है उस के बारे में लोग कहते हैं कि भाई, इस देश में सत्तरह करोड़ आदमी खेती में लगे हुए हैं। उन के यहां की बहनों को और विडोज (विधवाओं) इन सब को अधिकार मिलेगा कि वह शादी कर लें। मान लीजिये कि एक ग्रेंडसन (पोता) की विडो है जो कि १४ या १६ साल की है। उस का पति ८० साल का था और वह मर गया। कहा जाता है कि अगर उसको दुबारा शादी करने का अधिकार न हो तो हमारे सोशलिस्ट पैटर्न (समाजवादी ढांचे) के अनुसार वह बुरा होगा। प्रगतिशील प्रवृत्ति में विधवा विवाह जरूर होना चाहिये। अब लड़के को तो मिलेगा १/७ हिस्सा जायदाद का और विधवा को मिलेगा ६/७ हिस्सा। शादी करने के बाद विधवा उस जायदाद को अपने घर ले जायेगी। इस प्रकार की बात आप इस विधेयक में ला रहे हैं। इस प्रकार से जिस के पास खेत है उसके टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे। मैं शहरों की बात तो नहीं कहता लेकिन आप देहातों में देखिये। आज आपके यहां लड़के की स्त्री आती है तो पंद्रह मील पर दो एकड़ जमीन आप के पास आ जायेगी, लेकिन जब आप की लड़की की शादी होगी तो आप की तीन एकड़ जमीन दूसरे के पास चली जायेगी। इस प्रकार आप समाज को समय से उल्टे चलाना चाहते हैं। मेरी समझ मे इस प्रकार की चीजों से कोई फायदा नहीं होगा और यह सारी बातें आप अवैज्ञानिक कर रहे हैं। आज प्रान्तीय पुनरंचना के प्रश्न को ले कर आप कहते हैं कि हम प्राविंशल रिआगनाइजेशन (प्रादेशिक पुनर्गठन) कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आप फैमिली (परिवार) का डिसइन्टेग्रेशन (विघटन) कर रहे हैं।

इस के सम्बन्ध में आप एक दलील देते हैं कि जैसे यु० पी० में है कि जो पर्सनल प्रापर्टी (व्यक्तीगत सम्पत्ति) है उस को ही इस में लिया जायेगा, जो टेनैन्सी प्रापर्टी है उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। न यह लड़की को मिलेगी न विधवा को मिलेगी। यू० पी० शायद बहुत भाग्यशाली है और उसके पास बहुत सी सम्पत्ति है जिस के लिये टेनन्सी लाज बने हैं। पर मुझे इसके सम्बन्ध मालूम नहीं। हमारे पाटस्कर साहब कहते हैं कि हर एक प्रान्त को यह अधिकार होगा कि वह अपने यहां के खेतों के लिये कानून बना लें। मुझे पता नहीं है कि यह सक्सेशन कानून हमारे बनाने के पश्चात् प्रान्तीय विधान सभायें इस प्रकार का अलग कानून बना सकेंगी या नहीं। और यदि वह बना सकती हैं तो क्या यही आप की यूनिफार्मिटी आफ ला (विधी की समानता) है। देश के सत्तरह करोड़ आदमियों की सम्पत्ति के लिये हर एक प्रान्त अपने लिये भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तराधिकारी के कानन बनाये और लड़की को जायदाद न देने का रास्ता निकाले तो वह यूनिफार्मिटी कहां रह जाती है। आज मंत्री महोदय ने बतला दिया कि मुख्य सम्पत्ति देश की कृषि विषयक सम्पत्ति है। और उसको लड़कियों को न देने के लिये प्रान्त कानून बना सकते हैं। आज इस प्रकार की बातें इस कानून में रक्खी जा रही हैं। इन बातों पर बोलना तो मुझे बहुत है लेकिन जब क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन होगा उस वक्त मैं इस पर कहूंगा।

भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं सदन से एक ही प्रार्थना करूंगा कि जब आप समाज का इस प्रकार विघटन करने जा रहे हैं तो क्रान्तिकारी परिवर्तन करने के पूर्व आप सोचें कि इस विधेयक के कानून बन जाने के परिणाम कितने दूरवर्ती होने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी सोचें कि किसी निर्णय पर पहुंचने के पश्चात् जिस प्रकार की शब्द रचना इस विधेयक में रक्खी गई है उसे न रक्खा जाय, उस को ठीक से सुधारा जाय। आप निर्णय करने के पूर्व हर क्लाज पर विचार कीजिये। हम से यह न कहा जाय कि चूंकि दो दिन में यह बिल पास होने वाला है, इस लिये हम जल्दी से यह लेजिस्लेशन (विधान) करेंगे। आज देहातों में लोग मारे मारे फिरते हैं। आज बहनों

और भाइयों में झगड़े होते हैं । अगर उनको खत्म करना है तो इस प्रकारसे क्रान्तिकारी परिवर्तन करके काम नहीं चलेगा । समाज परिवर्तन और क्रान्ति शान्ति के साथ, और बुद्धिमत्ता के साथ होता है । केवल भावना प्रधान और रोमैंटिक बन कर कि स्त्रियों के लिये कुछ करना है, काम नहीं चलता है । हम को यह सोच कर चलना चाहिये कि क्रान्तिकारी परिवर्तन किस प्रकार किये जाते हैं । यही मेरी प्रार्थना है ।

श्रीमती अनुसयाबाई बोरकर (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : हमारे सदन में जो बिल पेश किया गया है उस के बारे में सदन में और उसके बाहर भी बहुत विरोध किया जा रहा है । मेरी समझ में नहीं आता है कि स्वतंत्र भारत का संविधान जब यह कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और कानून की दृष्टि से स्त्री को भी समानाधिकार दिया जाना चाहिये, साथ ही साथ आज की परिस्थिति में यह भी कहा जाता है कि, स्त्री और पुरुष को संपत्ति में भी समानाधिकार देना चाहिये तब क्या कारण है कि संपत्ति में ही स्त्री को समानाधिकार देने में हिचकिचाहट होती है । माता पिता का यह फर्ज होता है कि वह जिस प्रकार पुत्र को प्यार करते हैं उसी प्रकार पुत्री को भी करें । लेकिन यहां पर जो वाद विवाद होते हैं उन से स्पष्ट मालूम होता है कि वे पुत्री को उतना प्यार नहीं करते जितना कि पुत्र को करते हैं क्योंकि पुत्र तो घर पर ही रहता है पर पुत्री दूसरे के घर में चली जाती है । पुत्री तो ससुराल चली जाती है जब कि लड़का माता पिता के पास ही रहता है ।

दूसरा मेरा कहना है कि हमारी स्त्री जाति को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है । गांवों में जब लड़की पैदा होती है तो उस के पांव भी पडे जाते हैं । लेकिन नारी को लक्ष्मीस्वरूपा माने जाने के बाद भी उस को अधिकारों से वंचित रखना कहां तक उचित है ?

कुछ भाई इस विधेयक विरोध में दलीलें पेश करते हैं और कहते हैं कि भाइ बहन का जो है प्रेम है वह खत्म हो जायेगा, संयुक्त परिवार जो वह टूट जायेगा । मैं कहना चाहती हूं कि आज की परिस्थिति में, संयुक्त परिवार स्वयम् ही टूटता जाता है, लेकिन भाई बहन का प्रेम एक शुद्ध प्रेम है, वह खून का प्रेम है जो कभी भी टूट नहीं सकता है । आज भारतीय संस्कृति इतनी नहीं बिगड़ गई है कि भाई और बहन का प्रेम केवल रुपये पैसे के लिये ही हो । अगर इस तथ्य पर भाई बहन का प्रेम निभ सकता है, तो मैं कहूंगी कि जितनी जल्दी यह प्रणाली टूट जाये उतना ही अच्छा होगा ।

इसके बाद यह भी कहा जाता है कि लड़की के पालन पोषणमें कितना खर्च होता है, उसकी शादी में कितना खर्च होता है और उसको कितना दहेज़ दिया जाता ह । तो जिस प्रकार लड़की के पालन पोषण और शादी विवाह पर खर्च होता है उसी तरह लड़के के पालन पोषण और शादी विवाह पर भी तो खर्च होता है । जहां तक दहेज का सम्बन्ध है हिन्दु समाज में कन्यादान को महादान मानते हैं और पुण्य कमाने के लिये ही उसके साथ दहेज दिया जाता है । आज की परिस्थितियों में लोग इस दहेज की प्रथा से परेशान हैं और हम यह चाहते भी हैं कि यह दहेज की प्रथा समाप्त हो जाये । अगर लड़की को सम्पत्ति में हिस्सा दिया जायेगा तो यह प्रथा अपने आप समाप्त हो जायेगी ।

इसके अलावा जो दहेज लड़की को दिया जाता है वह ससुराल में जाने पर उसका नहीं रह जाता है । उस पर ससुराल वालों का हक रहता है और लड़की को आर्थिक दृष्टि से ससुराल पर निर्भर रहना पड़ता है । उसकी स्थिति बड़ी हीन हो जाती ह । हमने अक्सर देखा है कि समाज में उन स्त्रियों का ज्यादा आदर होता है जो अपने पतियों के साथ कमाती हैं और जो केवल अपने ससुराल वालों पर निर्भर रहती हैं उनका उतना आदर नहीं होता । यदि उनको सम्पत्ति में हिस्सा मिलने लगे तो उनकी हीन दशा समाप्त हो जायेगी । परिवार में उनका सम्मान होने लगेगा ।

यह भी कहा जाता है कि यदि स्त्रियों को सम्पत्ति में अधिकार दे दिया जायेगा तो वे सब कुछ फैसन में खर्च कर देगी । मैं समझती हूं कि सभी स्त्रियों को इस कसौटी पर नहीं कसा जा सकता । हमने देखा है कि पुरुष भी बहुत ऐसे होते हैं कि अपनी आय का अधिकतर हिस्सा बाहर खर्च कर देते हैं और संकट के समय में स्त्रीयां जो कुछ पहले बचा लेती हैं, वही काम आता है और स्त्रियों के आगे ऐसे समय पुरुष को हाथ फलाना पड़ता है । मैं समझती हूं कि यह बात निराधार है कि अगर स्त्रियों को सम्पत्ति मिल जायेगी तो वे उसे फैशन म खर्च कर देंगी ।

(श्रीमती अनुसया बाई बोरकर)

इसके अतिरिक्त उस दिन एक बहन ने यह भी कहा था कि पिता के लेन देन का बोझ लड़के पर होता है लड़की पर नहीं होता परिवार की दूसरी सारी जिम्मेदारी लड़के को लेनी पड़ती हैं। आज आप देखते हैं कि कितनी ही लड़कियां विवाह के पहले ही अपने माता पिता को कमाकर देती हैं। और जहां तक लेन देन के बोझ का सम्बन्ध है, लड़का चाहे तो दे और चाहे न दे। उससे जबरदस्ती नहीं की जा सकी। फिर यह बात लड़की के विरुद्ध नहीं कही जानी चाहिये।

इसके अलावा आज हम देखते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद अगर उसके चार बेटे हैं तो उनमें चार बराबर हिस्से बाप की सम्पत्ति के हो जाते हैं, पर बेवा मां को कुछ नहीं मिलता। उसकी हालत खराब हो जाती है। उसको सर्वथा अपने बेटों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर बेटे अच्छे हुए तो मां का आदर करते हैं। पर कही कहीं तो यह देखा जाता है कि मां की ऐसी अवस्था हो जाती है कि बेटे उसकी ओर देखते भी नहीं। अगर कोई लडकी विधवा होकर ससुराल से अपने पिता के घर चली आती है तो जब तक उसके मां बाप जीवित रहते हैं उस समय तक तो उसका आदर रहता है लेकिन बादमें भावजें अक्सर उसको ताने दिया करती हैं। यदि सम्पत्ति में उसका हिस्सा हो जायेगा तो उसको इन कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा।

फिर यह कहा गया कि वर्तमान कानून म दायभाग के अनुसार तो पुत्र को पुत्री के बराबर मिल सकता है पर मिताक्षरा कानून के अनुसार नहीं मिल सकता। हम चाहते हैं कि जन्मजात अधिकार हटा दिया जाये। या तो यह नियम पुत्री के लिये भी लागू किया या उसको भी पुत्री के बराबर हिस्सा मिले।

Shri K. P. Gounder (Erode): I am glad to see that there is going to be a codified law of succession. Till now, whenever any question of the law of succession arose we have had to go to the ancient *smritis*. There were various commentaries upon them, and they were not always uniform. They were not also easily available. Again, there were these two schools of thought—Dayabhaga and Mitakshara. The commentators like Yagnavalkya and Manu were not always definite. They did not make any distinction between moral obligation and legal obligation. This led to great uncertainty in the enforcement of the law.

Moreover, recently there is a tendency or desire in the community for making some change in the Hindu law. We want to make some provision for females and to give them some share in the family property. In these circumstances, it became absolutely necessary that there should be a codified law. I therefore welcome this measure that has now been introduced.

I would like to make one or two suggestions as regards the improvement of the Bill. I want to tell the House how it could be improved. Take the case of the coparcenary property. There are arguments either in favour of retaining the coparcenary property or for abolishing it. You cannot have coparcenary property and yet, at the same time, provide for survivorship. The two things are absolutely inconsistent, but what the law now provides is to allot a portion of the property for survivorship, and for the rest there will be succession. The fundamental principle of coparcenary property is that there should be survivorship. Clause 6 of the Bill establishes survivorship, but then it makes a proviso saying that in certain cases there should be a succession.

Take the ordinary case of a father leaving a son and two daughters. As soon as the father dies, what happens? If the father leaves a widow, a son and two daughters, then the property is divided into four parts. The widow gets one share, and the two daughters get two shares, so that for three-fourth of the property there is succession and for the one-fourth there will be survivorship. As far as the son's share is concerned, there will be survivorship. But as far as the other shares—the three shares—are concerned, there will be succession. Again, under clause 32, we say that there will also be testamentary disposition. For the coparceners, we give testamentary disposition as well as succession, to a major portion of the property. Then there is very little in favour of the coparcener. Considering these aspects, the Government might have taken these strong views so as to abolish the Mitakshara joint family altogether. Perhaps there may be very good arguments in its favour. But retaining the coparcenary property and still giving a right of succession to the major portion of the property, and also having a testamentary disposition of the property, this will take away all that is left in the Mitakshara joint family property.

Moreover, there is no provision for ascertaining the rights and obligations at the time of partition. Suppose you retain the coparcenary and give right of succession also for the members. Are we going to do that in respect of the joint family property? There may be so many obligations and there may be so many liabilities. Unless you split away the family property, you cannot have both. Therefore, having coparcenary property as regards certain portions and giving the right of succession to certain other parts of the property is absolutely inconsistent with the fundamental notions of a joint Hindu family.

I will take another case. Under the explanation, it is said that whenever we consider succession, we also consider the son's share. This will be taking away the whole of the property. Look at what it leads to. Suppose there is a father, a son and two daughters. The son's share is half the property. He can do anything with half the property. He can sell it away, or do anything with it. As soon as the father dies, the son and the two daughters divide the property. Originally the son was entitled to half share; but now, his share is reduced to one-third by the death of the father. I do not know how far this is consistent with the provisions in the Constitution. Let me make myself clear. At present, if a father dies leaving a son and two daughters, the son's share is half and he can do anything he likes with his share after the father's death. But now, according to this Bill, his share is reduced to one-third, because he has to share the property with his two sisters. This will certainly upset the son. His right to half the property is there by birth under the Hindu Law; it is not given to him by this Bill. If another man dies—although he is the father—how can this man's share be reduced? That is beyond my comprehension. We want to provide for joint families and also provide for survivorship at the same time. The trouble arises because we want to satisfy both the parties.

I will now deal with the order of succession to property. As has been referred to by the previous speaker, we give rights to various people, but the father and mother are reduced to a much lower position. Under the old Hindu Law, after the son and daughter, father and mother came in. But now according to this Bill, father and mother come in after providing for son's daughters, daughter's daughters, son of a predeceased son etc. All these people come in before the father and mother. I think even the Hindu Law Committee, when they made their recommendations, gave a very high place to the father and mother. I do not know why father and mother are excluded by such people as the son of a predeceased son or the daughter of a predeceased son. The fundamental basis of our Hindu notions is that the father and mother should be given a high place.

Another inconsistency is that the cognates come after the agnates. I do not know on what principle it is based. If, as I understand it to be, the basis of the Bill, the underlying principle of the Bill, is to give equal rights to men and women, what is there to distinguish between agnates and cognates? In the Bill, agnates come in before cognates.

Mr. Speaker: Is it not so even according to the present law?

Shri K. P. Gounder: The old Hindu Law was based on the principle that always the male was to be given the preference. Now, the fundamental basis is to abolish the distinction between male and female. If that is so, why should there be any distinction between cognates and agnates?

Shri Pataskar: Even under this Bill, the rights are not exactly equal.

Shri K. P. Gounder: I only say that if the Bill is based on the principle of equality of sexes, you should not make a distinction between agnates and cognates. Why should the predeceased son's daughter be given preference over the father and mother? I fail to see the principle on which the whole thing is based.

In Class II of the Schedule daughter's son's son is excluded by son's daughter's daughter. I do not know how she comes in before the daughter's son's son. There must be some principle on which these things must be based. The old Hindu Law was based on some principle. Whether it is old law or new law, it must be based on some principle. Under the new Bill, unless you get by heart the order of succession, you cannot say who comes after whom.

There are some other inconsistencies in the Bill which must be removed. The Bill does not clearly say whether in agnates and cognates, females also come in. Under the old Hindu Law, only males are given the right of succession. I do not know

[Shri K. P. Gounder]

what the view of the hon. Minister is, but in the definition given in the Bill, only the word "person" is used. It is not clear whether "person" includes females also or whether it refers only to males.

Let us turn to the definition at page 3. It says, "son" includes an adopted son. Whether it is necessary or not, it has been given. When " son" has been mentioned, we should also say that "father" includes an adopted father and that "mother" includes an adopted mother. What is the use of defining one and leaving the others? Either you define all of them or you do not define any of them and simply have a general clause saying that whenever a person is adopted, he should be considered as if he has been actually born. There is no use making it ambiguous. There has been some hasty drafting in this Bill.

There is a proviso to clause 25 which says that if the female heir is a daughter, she shall be entitled to a right of residence in certain cases. But in the order of succession, you have included not only the daughter, but also the son's daughter and son's son's daughter. Certainly, it is better to include son's daughter and son's son's daughter also here. Instead of that, you say merely "daughter". This is a statute which will be strictly construed by the courts. Therefore, there must be much more clear drafting than what is found here. I have got so many other amendments, but I do not want to weary the House with them. I have mentioned about 10 or 12 cases, and I will request the hon. Minister to give his sympathetic consideration to them.

There is one provision in the Bill, which I heartily welcome. That is the provision which gives the right of absolute property to the females. In the past this has been a great source of litigation. Because it was considered that females could not carefully manage their property, they were given only limited ownership. Under this Bill, absolute right of property has been given to the females and I welcome this modification.

I am entirely in agreement with the usefulness of the Bill and subject to what I have said, I support the motion that has been moved.

पंडित ठाकुरदास भार्गव (गुडगांव) : जनाब स्पीकर साहब, पेश्तर इसके कि मैं अपना भाषण इस बिल पर शुरूं करूं मैं आपकी तवज्जह (ध्यान) एक खास मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जिस वक़्त यह बिल ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के सिपुर्द किया गया उस वक़्त इस बिल की जो शक्ल थी अब उस बिल से जो अब जनाब के रूबरू मौजूद है उससे बिलकुल मुख्तलिफ थी। आज जो बिल की शक्ल है, उसमे और जो शुरूं में बिल आया था उसमें बडा अन्तर है। जनाब को याद होगा कि मैंने एक मोशन भी पेश किया था कि इसको सेलेक्ट कमेटी को वापिस भेजा जाय और इसको सर्कुलेट किया जाय जिसको कि हमारे उस समय के प्रीसाइडींग आफिसरने डायलेटरी मोशन (विलंबकारी प्रस्ताव) करार दे दिया और उस मोशन की इजाजत नहीं दी।

मेरी अदब से गुजारिश है कि जो प्वाइंट आफ आर्डर (औचित्य प्रश्न) है वह इस मोशन से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मै यह प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं और वह यह है कि पहले बिल की जो दफा ५ थी उसमें ऐसा लिखा हुआ था :

> "Act not to apply to certain properties.—This Act shall not apply to—
>
> (i) any joint family property or any interest therein which devolves by survivorship on the surviving members of a coparcenary in accordance with the law for the time being in force relating to devolution of property by survivorship among Hindus;
>
> (ii) any property succession to which is regulated by the Indian Succession Act, 1925 .... etc.
>
> (iii) any property succession to which is regulated by the Madras Marumakkattayam Act, 1932 etc.

You will be pleased to see that the share of the daughter was also one half. Now, this Bill, as it has now emerged is totally different from the Bill as it was originally presented to the House.

When the Joint Committee report was made, some Members took exception to it. You will be pleased to find that one Member took specific exceptions. On page 29 of the report, the objection is stated in these words in the eleventh minute of dissent, by one of the Members of the Rajya Sabha.

> "The Bill as it was circulated for eliciting public opinion contained the following main provisions :—
>
> 1, 2, 3.

Further on, it is stated:

> "The public opinion as has been received by the Law Ministry on the whole, supports the measure as had been placed before it. The Joint Committee, appointed to consider the Bill, has completely changed the Bill in all the three abovementioned aspects inasmuch as it has now made the Bill applicable to joint co-parcenary properties, even though to the limited extent of the interest of a father and his sons in such property. The Committee has also extended the application of the Bill to those governed by the South Indian Act. *i.e.* Marumakkattayam, Aliyasantana, Nambudri and the Cochin Acts. The Joint Committee has considered it reasonable to increase the share of the daughter from a half to a full share, that, is to say equivalent to that of the son."

The name of the Member is Sham Sunder Narain Tankha.

उनके नोट में सरीही बात यह उठाई गई है। मै जनाब की तवज्जह में पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस के सफा ५०७ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिन में बहुतसे कानूनों के हवालाजात दिये गये है और उन का मरहला दिया गया है कि अगर बिल शुरू में एक है और सेलेक्ट कमेटी में वह बाद में तब्दील हो जाये और इतना तब्दील हो जाये कि जो तब्दीली की गई हो वह सरीही उस बिल के स्कोप के बाहर हो जाय तो वह बिल हाउस मे कंसिडर नही हो सकता। इस नामले मे जनाब की तवज्जह..

Mr. Speaker: What is the object of canvassing it? The ruling has already been given on that motion.

Pandit Thakur Das Bhargava: That motion is finished. I am raising a point of order. The point of order is not finished.

Mr. Speaker: What is the point of order?

Pandit Thakur Das Bhargava: The point of order is this. According to the ruling of the Speaker as it was given at the time when the motion for reference to Select Committee was considered and you had permitted that you were pleased to observe that it is very difficult to say whether the scope could be widened. When the hon. Minister was proceeding, I raised the point that the scope could not be extended by any Select Committee. The question is whether we can now consider the Bill as its scope has been substantially extended. It has gone totally outside the scope. The point of order is whether we can go on. You have to give your ruling. On pages 506 and 507 of May's Parliamentary Practice, a number of rulings have been given in which the Government took up this attitude. As soon as they found that the Bill was a changed one, they withdrew the Bill and brought in another. I can understand that. This Bill has come up in an extended form. The only course is to withdraw this Bill and bring in another and proceed with that. You cannot proceed with this Bill. That is the point of order. If you require, Sir, I shall read out all the cases. They are 20 in number. In the rulings that have been given, this principle is an accepted one. If you like, Sir, you may take your own time to give a ruling and I shall proceed. But, the point is there. It cannot extend the scope of the Bill. It is not a question relating to this Bill alone. This question is of constitutional importance. I would beg of you to give your ruling. The point is there. You have got to consider this point. The Bill has emerged in a form in which it was not brought in this House, it was not sent to the country. You can imagine, when the Bill came, its operation was confined to new mitakshara family properties. Ultimately, as it has emerged, it just proceeds on the basis that joint mitakshara family properties is included therein. It is quite clear that the country was not aware that such a Bill was coming up. The people could not make their representations to the Government or to the Joint Committee or anywhere else. They were always under the impression that the Bill, as a matter of fact, did not relate to this kind of property. Moreover, so far as the other laws are concerned, the Marumakkattayam and Aliyasantana Acts, it was said that these properties will not be included. Now, all these have been included. Even the trumpeted uniformity is not to be found in the Bill.

Mr. Speaker: Your point is that the original Bill was altered in the Joint Committee without any specific instruction to that effect.

Pandit Thakur Das Bhargava: The simple point is this. The Bill as it was presented to the House, as it was sent to the country, and the Bill which has now come before the House are entirely different. The scope could not be extended without your permission or the

[Pandit Thakur Das Bhargava]

permission of the House. It is not as if this point was not taken. I raised an objection and you were pleased to express your opinion. After that, the Joint Committee could not extend the scope of the Bill. Nor can the other House extend the scope of the Bill. With your permission or with the permission of the House, the scope could be extended. That has not been done. My humble submission is that the Bill as such cannot be proceeded with. This point has to be gone into. I do not want to take the time of the House by stressing the point further.

Shri S. V. L. Narasimham (Guntur): The question before the House, which the hon. Member Pandit Thakur Das Bhargava has raised is whether the Joint Committee had gone beyond its scope. If that is to be answered in the affirmative, this objection holds. If it does not hold, we can proceed with the discussion. We know that the Bill, as it was presented to the House, in fact, excepted certain properties from the operation of the Bill. It is also true that the share of the daughter was fixed at a half of that of the son. The question naturally arises whether the Joint Committee has got the power to scrutinise every part of the Bill and make recommendations. Suppose the Bill as it was sent to the Joint Committee contained a clause that certain properties are excepted from the operation of the Bill. Is it not competent for the Joint Committee, if it so considers, to direct to go on exception shall not be allowed to go on the statute book? Whether the Joint Committee has got the power to suggest amendments to the Bill as it was presented to it or not is the question. If the Joint Committee has got the power to suggest an amendment to that particular Bill, then, it cannot be said that it is not within the competence of the Joint Committee. The position may have been different if there were no clause about properties. Suppose, certain categories are mentioned. Is it not open to the Joint Committee to add some more properties ? Is it not open to the Joint Committee to suggest that a particular clause in the original Bill should be altered altogether ? When the Joint Committee, after due consideration of the entire picture came to the conclusion that it is not proper that this property shall be excepted from the operation of the Act, naturally, they have to go a step further and suggest the inclusion of these properties. Under the circumstances, I would respectfully submit that the Joint Committee practically exercised its discretion consistent with the jurisdiction that has been conferred upon it. As such, it can never be suggested that it has gone beyond jurisdiction. I would submit that the point of order has absolutely no substance.

Pandit C. N. Malviya: (Raisen): Sir, the question is whether the Joint Committee has widened the scope of the Bill and whether the Bill as presented to the House is different from the original Bill. So far as the scope of the Bill is concerned, my submission is that the scope of the Bill was to give right of succession to women. Formerly, there were no rights of succession. This right of succession was given and there are other provisions pertaining to the details as to how succession takes place. This distinction has to be made. If this distinction is made, it will be seen that the scope of the Bill is to give the right of succession to women and not the details. Therefore, the Joint Committee was entitled to amend the Bill. The Joint Committee has not changed the scope. This restriction has to be borne in mind. I think there is no ground for the point of order. The Bill is quite all right. We can proceed with it.

Shri Bogawat (Ahmednagar South): We find from the very speech that the Minister of Legal Affairs made on 1st October, 1955, that he said the following:

> "When the Bill was first introduced in this House, in clause 5 of the Bill it was mentioned that the Bill would not apply to the joint family properties or any interest therein which devolved by survivorship on the surviving members of the coparcenary."

It was specifically mentioned in the Bill and it was the understanding of the whole House that this was not to be made applicable to the coparcenary property, and such a Bill was referred to the Joint Committee. The Joint Committee did not possess the power and had no right to decide upon a question which was not referred to it. This is an indirect way, a far-fetched way, a dangerous method, not to include and give the right to the Joint Committee and then bring out a decision and put it before the Rajya Sabha and enforce it upon the vested rights of the coparceners. This is defeating justice. This is a point of law which the Joint Committee had no right to decide as this question was not referred to them. This Bill is *ultra vires.*

Shrimati Jayashri (Bombay suburban): I am speaking on the point of order. I entirely agree with Pandit C. N. Malviya. When the Hindu Code Bill was introduced in the House it was thought that this Succession Bill and the Marriage Bill should be brought in parts. We all know that the first part, namely the Marriage Bill, was passed in this House and the remaining part, the Succession Bill was introduced. In the original Bill which the Rau Committee had drafted, we all know that succession was according to the Dayabhaga and not Mitakshara. It was afterwards inserted in the Bill, and many of the Members in this House opposed this saying that the original draft was changed. And then when it was sent to the Joint Committee, the Law Minister also had said that he would see that justice was done.

The idea of bringing the Succession Bill was to remove the disabilities of women. The Law Minister had said that by having this clause 5, injustice would be continued. We wanted to do away with this and unless this clause was changed, we could not give a share to the daughters. That was the idea in sending the Bill to the Joint Committee, to remove the clause and make a change according to the present draft. So, I agree with Pandit C. N. Malviya when he said that the original Bill was not according to the draft which was meant to be passed by this House. I would request the Law Minister to explain that the Joint Committee was entitled to make the change that it has made.

Pandit K. C. Sharma (Meerut Distt.—South): My respectful submission is that the fundamental idea underlying the Bill was that social legislation should be in conformity with the principle laid down in the Constitution. The fundamental principle in the Constitution is that there should be no disability whatsoever on account of sex in any sphere of life. Inheritance of property makes a large difference to the development of a person in such a way that it is a distinct disability in the growth and development of a person, if in relation to certain other persons, on account of sex, that person is differentiated. Therefore, this Bill was brought in so that the law of inheritance might be in conformity with the Constitution of the land.

The second point was that the evolutionary process is moving towards uniformity of laws to ensure uniformity of the structure of society as a preceding factor in unifying world governmental structure. That is, the legislative process, precedent to the political process, should be ensured.

These two were the underlying principles of this Bill. When the Bill was brought, it was thought that the joint family system was of very long standing and was working satisfactorily, and any interference with it would bring in certain disturbing factors. The Joint Committee in its wisdom thought that there should be uniformity with regard to succession to property, whether governed by the Dayabhaga law or the Mitakshara law. It is a quantitative extension, not a qualitative extention. Therefore, the Joint Committee was within its power to extend the scope of the property with regard to inheritance, and has not exceeded the power given to it.

The rulings that my friend has referred refer to qualitative differences, that is something which was not the underlying principle of the Bill, but there is much scope of development, of extension. I beg to submit that qualitatively the shape of the Bill has not altered, and therefore it was within the right and the scope of the Joint Committee to have extended the application of the Bill to the Joint Hindu family or the Mitakshara system of law.

Then, this Bill has been passed and accepted by the Rajya Sabha and now it comes here for conforming to the principle accepted by one House. Therefore, this question does not arise at all.

Shri Bogawat: It is binding.

Pandit K. C. Sharma: Not binding.

Shri Sadhan Gupta (Calcutta South-East): Regarding the scope of the Bill and the competance of the Joint Committee to make the amendments, I submit what we are concerned with is the objects of the Bill. Such amendments as are ancillary to those objects can be made by the Joint Committee. I submit that the object of the Bill was to confer the right of succession on women. At present women have no right of succession when other preferential male heirs are there. Now, obviously the Bill wanted to make an exception. To what extent the exception should proceed would be a matter of detail, not a matter of principle. It proposed that the succession would be to the extent of half the property and would not apply to joint family property, nor to Marumakkattayam and other properties. In accordance with the

[Shri Sadhan Gupta]

volume of opinion that was voiced in this House and the other House during the debate on the reference to the Joint Committee, the Joint Committee found that the right of succession that should be given to women should be absolutely equal to that enjoyed by men, and made that provision. In order to make that provision, obviously application to the joint family property had to be brought in and the application of Marumakkattayam law had to be omitted because Marumakkattayam, I think gives a preference to women as against men. If you restrict its application to properties other than joint family properties, then women are deprived of a considerable part of their right to succession. Therefore, I submit that as those were matters of detail, the Joint Committee was competent to make those amendments. Now whatever the competence of the Joint Committee may be, the Bill has been passed by the Rajya Sabha and has been sent on to us. Are we entitled in this House to question the competence of the Rajya Sabha to pass this Bill in this form and to overrule the Rajya Sabha and say, this Bill should not have been passed in this form, it was not competent for the Rajya Sabha to have passed this Bill in this form, so we are not going to consider it, and we cannot consider it ? I think that would be both illegal and improper.

These are my submissions on the point of order.

Shri C. C. Shah (Gohilwad—Sorath) : Whatever may be one's views regarding the wisdom or otherwise of extending the provisions of this Bill to joint family property, my submission is that there can be no doubt that the Joint Committee was within its competence in extending the provisions to joint family property. From the very title of the Bill we find that it is a Bill which is meant to amend and codify the law relating to intestate succession amongst Hindus, which means all laws relating to succession amongst Hindus.

Clause 5 of the Bill as introduced excluded joint family property from the operation of the Bill. All that the Joint Committee has done is to omit the exclusion which was made, so that expressly joint family property was brought within the purview of the Bill. The Bill as introduced said that it should be excluded. Then, the volume of opinion in the House and the joint Committee thought that that exclusion should be omitted Whatever may be the wisdom of doing so—I am not arguing on the merits; my hon. friend Pandit Thakur Das Bhargava is perfectly within his rights and is entitled to say that the Bill has radically altered as it has come from the Joint Committee, and that the extension which has been made is of a very great and radical character, but—technically speaking, so far as the competence of the Joint Committee was concerned, I submit that it was within the competence of the Joint Committee.

As regards the last argument that merely because it has been passed by the Rajya Sabha, therefore, we are not entitled to raise the point here, I submit that there is no substance in that point of view. The Rajya Sabha may have passed the Bill or may not have passed it, a point of order may have been raised there or may not have been raised there, but it is perfectly open to us to raise that point of order here, if it is valid. But I submit that that is not valid.

Shri Pataskar: First of all, I have to say that this point should be considered, apart from the likes or dislikes regarding certain matters contained in the Bill. The simple facts are as follows. As the title of the Bill goes, this is a Bill which is meant to amend and codify the law relating to intestate succession amongst Hindus. That is the scope of the Bill. Clause 5 of the Bill as introduced laid down that its provisions shall not apply to any joint family property and to certain other properties governed by certain specific laws. I fail to understand how it would not be open to a Joint Committee to consider the matter further and say that the Bill should apply to them or should not apply to them. The original provision was that it should not apply. Now, was it not open to the Joint Committee to consider this provision along with other provisions—as they are entitled to consider—and then come to a different conclusion altogether ? How can it be argued that such a thing could not come within the scope of the Bill ? The scope of the Bill is not clause 5 only. The scope of the Bill is to amend and codify the law relating to intestate succession amongst Hindus.

Pandit Thakur Das Bhargava: Clause 5 of the original Bill did only apply to non-Mitakshara properties.

Shri Pataskar: My hon. friend may not be able to grasp it. I would request him and the other Members not to concentrate on this point as to whether they like a particular provision or not. The point here is simple enough to understand. This is a Bill which is meant to amend and codify the law relating to intestate succession amongst Hindus. When specifically it is provided in the Bill that it should not apply to joint family properties, I think it would be open to the Joint Committee to consider the matter and come to the conclusion that it should apply. What is there to prevent them from coming to such a conclusion, either in May's Parliamentary Practice or anything else ? I really am unable to understand. Apart from that, I should like to draw your attention to another very important fact, namely that this has got a precedent of its own. For instance, when the original Hindu Code Bill was introduced in this House, it contained clause 1 to the following effect, as you, Sir, would probably be aware:

> "Act not to apply to any property of a Hindu governed by the Marumakkattayam, Aliyasantana or Nambudri law of inheritance."

It ran almost exactly like the provision in clause 5 of the original Bill. That Bill was referred to a Select Committee, of which, you, Sir, were a distinguished member. At that time, you and all the other members of the Select Committee thought that it was open to the Select Committee to consider whether the Bill should or should not apply to those properties, and then you came to the conclusion that it should apply. And your conclusion was what was contained in clause 94. You had stated:

> "We have omitted by a majority the exception in respect of succession to the property of a Hindu governed by the Marumakkattayam, the Aliyasantana or the Nambudri law of inheritance, because in our opinion, when uniformity is aimed at, there is no reason why an exception should be made in respect of persons governed by these systems of law."

Pandit Thakur Das Bhargava: May I know whether this point was taken up at that time, and any decision given on it at that time ? There is nothing of that kind.

Mr. Speaker: If necessary, I shall ask the hon. Member later on. Now, the Minister may be allowed to proceed.

Shri Pataskar: My point is that even that Select Committee—of course, whatever was passed ultimately is a different matter—thought that it was within its scope to come to the conclusion that notwithstanding the fact that the original Bill had said that it shall not apply to Aliyasantana properties and so on, it shall apply to them also. So far as these facts are concerned, they are beyond doubt. As a matter of fact, when the Select Committee made their report, they had introduced this in clause 94, and they had omitted the exclusion. I believe that in the same way, it was perfectly open to the Joint Committee in this case to have done a similar thing in regard to this Bill.

The original Bill had said that it shall not apply to joint family properties. Then, the Bill was referred to a Joint Committee, and the Joint Committee were entitled to consider whether or not it shall apply. I cannot understand how it could be argued by any stretch of imagination that it was beyond the scope of the Joint Committee to have made a provision of the present nature, and that the Joint Committee had done something which they were not authorised or warranted to do.

There are some other special factors which have also to be taken into account. This Bill was introduced in the Rajya Sabha. The Rajya Sabha made a recommendation for the appointment of a Joint Committee. Then, a Joint Commitee. of both the Houses was appointed, and that Joint Committee by a majority came to certain conclusions, and they made their recommendations. Those recommendations were naturally taken up in the other House in which the Bill had originated. I am not talking here on the merits and demerits and the rivalries of the claims and their inferiority or superiority.

When the report of the Joint Committee had come up for consideration in the other House, one of the hon. Members there—as some hon. Member have done here—raised just the very objection that has been raised here. And the Chairman of the other House, as he was authorised to rule, ruled that that point of view was not proper, and that the Joint Committee were entitled to make such a recommendation. It is after that, that the Bill has come to this House.

Shri V. G. Deshpande: No such ruling was given.

Shri Pataskar: I have already argued on the merits. Even on the propriety of it, I would say that when we have appointed a Joint Committee of both the

[Shri Pataskar]

Houses, a stage has been reached now, and a ruling has already been given on this matter—I do not question your authority to give a different ruling....

Shri U. M. Trivedi (Chittor): There was no ruling given.

Shri Pataskar: The point of order was raised, and it was disallowed.

Mr. Speaker: I do not remember that portion.

Shri Pataskar: That was in the other House. I am not referring to the old thing now. I am referring to what happened in the other House.

Pandit Thakur Das Bhargava: About the point raised in the Rajya Sabha, we do not know. Here, you were pleased to declare that the question whether it is...

Mr. Speaker: We are concerned now with the point of order raised in this House.

Shri Pataskar: If Members have a little more patience with me, they will realise the significance of what I am going to say. I have already argued on the merits. What I am pointing out now is on the propriety of the whole thing. I am entitled to argue on that basis also.

Shri Bhagwat Jha Azad (Purnea *cum* Santal Paraganas): We are having patience with you for so many years.

Mr. Speaker: Order, order. Let the Minister go on.

Shri Pataskar: After all, I have been here in Government only for about a year and a half.

Shri Bhagwat Jha Azad: I mean, your Government.

2 P.M.

Shri Pataskar: So I believed that so far as that House is concerned, this point was raised there and it was decided, and there is no case for reopening it unless for every strong reasons you uphold the point of order. That is a different matter; I do not question the authority of the Chair. But I am interested in pointing out what has happened there. I should think that this is a very simple matter and if considered dispassionately, it should be acceptable, apart from what some Members might ask whether it was or was not open to the Joint Committee to make the change.

Pandit Thakur Das Bhargava: Could it be applied to Mussalmans though it was only meant for Hindus. Now they have included people governed by the Marumakkattayam, Aliyasantana and Nambudri law though the bill specifically said it will not apply to them.

Shri Pataskar: I am surprised at the argument of the hon. Member because this Bill is meant to amend and codify the law relating to intestate succession of Hindus. This is how people lose their balance.

Shri V. G. Deshpande: May I know from the hon. Minister of Legal Affairs what was the ruling given last time when that change was made by the Joint Committee? Was that point raised by anybody?

Pandit Thakur Das Bhargava: No.

Shri V. G. Deshpande: Was any ruling given?

Pandit Thakur Das Bhargava: Never.

Shri Pataskar: Unfortunately, I do not remember. He knows it much better.

Mr. Speaker: After the hon. Minister has spoken, I could not allow another hon. Member to raise the point. If he was here, earlier, I would have heard him. Anyhow, I have heard sufficiently.

A point of order has been raised in this House that the Bill, as it has emerged from the Joint Committee, is substantially different from the Bill that was originally introduced or, at any rate, at the time of the motion for concurrence to join the Joint Committee before this House, particularly with respect to joint family property. It is contended that though it is an intestate succession Bill, the classification of property is of material importance and therefore, it alters the nature of the Bill itself. It is not contended by anyone here that it is not within the jurisdiction of the Joint Committee to alter the scope of the Bill if in advance any specifications were given to the Joint Committee to take up other matters also and modify the Bill as it thought proper. I distinctly remember that at the time the motion for concurrence to join the Joint Committee was before this House it was suggested by the hon. Minister of Legal Affairs that this also might be considered by the Joint Committee. It is not as if it is governed by any particular rule. This matter is one of substance. It is true many things might be discussed, for example, joint family property *vs.* other property. The main object of the Bill is to provide a share to the daughter or to make the woman's right equal to the man's right. But joint family property, non-joint family property or other property is of such vital importance that it has got a specific significance under the Hindu law. Therefore, I even expected that the hon. Minister would try to add by way of an amendment, a particular direction to the Joint Committee, that this also might be taken into consideration. By way of abundant caution, he might have done so. But he did not do so. He wanted to take the chance as to what might happen in the Joint Committee. On the other hand, if on a prior occasion, the *nambudri, marumakkattayam* and *aliyasantana* were excluded and were later included by the Joint Committee, and the question was raised as to whether the Committee could do so without the express authority of the House, it is a different matter. I am not called upon to deal with that. But the matter was not brought to the notice of the House and no objection was taken. Under the circumstances, I feel that this, being a matter of such vital importance, the Joint Committee ought not to have altered the very nature of it. But this is not a Bill introduced in this House. This Bill was introduced in the other House. We were merely asked to concur with the motion for reference to a Joint Committee. It has gone to the Joint Committee and come back from the Joint Committee which altered it. The other House has accepted it. I do not say that what the other House has accepted is binding upon me.

But the main point is whether we are committed to whatever has happened. So far as this House is concerned, we may ignore all that has happened in the Joint Committee. We were not committed to the principle of the Bill at the time we referred it to the Joint Committee. If we had committed ourselves to the principle of the Bill, then the question would have arisen: what is the principle of the Bill which has been altered? We did not commit ourselves to the principle of the Bill. We will assume that it had not gone to the Joint Committee. We will assume that the Bill originated in that House and has come to this House with some amendments and modifications; therefore, we may ignore the joint Committee. We will now start as if there is some Bill which has come from the other House. We may accept it or reject it.

Therefore, I do not think there is any point of order in this matter. It is not for the reason that this inclusion of other property does not make it different. I do agree it is one of substance. If it had originated in this House, I would certainly agree that there will be a difference. But it idid not originate in this House. I may refer, for the information of hon. Members here, to a precedent. I gave the ruling then, on the 17th December 1953 when the House was considering a motion for reference to a Joint Committee, the Special Marriage Bill proposed by the Council of State. The question arose as to whether, by agreeing to motion, the House would be committing itself to the principle underlying the Bill. The Deputy-Speaker then observed as follows:

> "There is no commitment of this House. This Resolution is a Resolution placed before the House asking this House to send some Members to associate themselves with the deliberations of the Joint Committee. But that does not involve any commitment of this House, so far as the principle of this Bill is concerned".

Following this ruling, we have not committed ourselves to any principle of the Bill. We start with the Bill as if we are starting it for the first time. It is open to us to do so. This is for the reason that we have not committed ourselves and, therefore, we did not give any specific directions to the Joint Committee. We will look at the Bill on the basis of it having emanated in, and having been passed by, the Rajya Sabha. We can look into it, and we can, if necessary, throw out the Bill. This will be our first consideration of the Bill. Under these circumstances, I do not agree with the point of order.

Shri B. S. Murthy (Eluru): May I seek a clarification? When the Bill had come here and we agreed to the motion for reference to a Joint Committee, was this House not in possession of the Bill and did we not commit ourselves to the principle of the Bill? Therefore, if any principle has been changed, are we to reject it or accept it?

Mr. Speaker: If we had committed ourselves to the principle of the Bill, and any change was made later, that ought not to be allowed without the consent of this House. But we did not commit

[Mr. Speaker]

ourselves to any principle; they asked us to join the Joint Committee.

Shri S. S. More (Sholapur): Can we join the Joint Committee without accepting the principle?

Mr. Speaker: I have already given a ruling. We have had no opportunity to go through all the essentials of the Bill here. It will be dangerous to commit ourselves without our considering it in its essentials. On a prior occasion, a question arose whether we should go into a Joint Committee by committing ourselves and we were—I think the then Speaker also agreed with us—very chary. We did not want to commit ourselves to the principle of the Bill. That was because this House wanted to have absolute freedom to go into that matter. We had no control over it. It was introduced in the other House, and the point might have been raised in the other House. I understand from the hon. Minister that it was raised and the other House overruled it.

Pandit Thakur Das Bhargava: I am not raising this objection on that ground. I accept your ruling and the previous ruling that we are not committed to the principle of the Bill. I am not concerned with commitment of any principle. I am only concerned with this point that when a Bill is introduced in this House or that House the scope of the Bill cannot be extended by a Joint Committee or Select Committee. It can only be extended by you, by this House or by the other House. I am not concerned with the principle of commitment as a result of acceptance of motion of reference to a Select Committee.

Mr. Speaker: This Bill was introduced there.

Shri U. M. Trivedi: One point requires clarification.

Mr. Speaker: I have already said that I do not agree with the point of order raised. I have given certain reasons.

Shri U. M. Trivedi: May I make a little submission, Sir? You have tried to draw a distinction between the consideration of a motion for reference to Joint Committee in the House in which the Bill is introduced and the consideration of such a motion in the other House. What happens in both the Houses is the same. Once a Bill is introduced in the other House, they also make a motion for reference to a select committee or a Joint Committee of the two Houses. Nothing further is discussed there and nothing further is discussed here also. If that House is said to have agreed to the principle underlying the Bill as introduced in that House, the same proceedings having been gone through here also, it stands to reason that we are also agreeing to the principle underlying the Bill. On that basis, we agreed to a reference to a Joint Committee. Therefore, my contention would be that when we have referred the Bill to a Joint Committee, this House also stands committeed to accepting the principle underlying that particular Bill. It may not stand committed to it, as you have put it, however what happens in either House is a repetition of what happens in the other House and both Houses agree that it may be referred to a Joint Committee. If that Bill is changed substantially—when that committee was not authorised to do that—we should not allow it; otherwise they will repeat it.

Shri R. D. Misra (Bulandshahr-Distt.) *rose*—

Mr. Speaker: I do not want further arguments on this matter.

Shri V. G. Deshpande *rose*

Mr. Speaker: The hon. Member, Shri Trivedi, in his desire to see that this point of order is accepted, is trying to throw overboard many wholesome things which have been decided already. In his opinion, once the Bill is introduced there and it comes here for concurrence in the reference to the Joint Committee, we are committed to the principle immediately. We have more than one ruling on that. Repeatedly objections had been raised that we cannot be considered to have committed ourselves to the principle underlying the Bill. We must discuss the principles leisurely. We have to decide on it leisurely when it comes to this House. Unless we commit ourselves to the principle, we shall not be bound by what the Joint Committee does. That is my considered view and I have already given rulings in this regard. It may be convenient to agree with the opinion of a few Members but, in the larger interests, I am not prepared to change my ruling given twice or thrice before. It is wholesome to say that concurrence in a motion for reference to a Joint Committee ought not to commit this House permanently to the principle underlying the Bill. We must be able either to accept or reject it. Therefore, we start with the Bill as it has come from the Rajya Sabha.

Shri V. G. Deshpande: In the light of the ruling just now given by the Speaker, I want to raise another point of order. The decision of the Speaker has accepted that this Bill has fundamentally changed in its scope. Whether this House is, therefore, within its rights to commit it because of so many changes was a point that was raised on the 27th—and I submit that there are drastic changes. The Deputy-Speaker then declared that it was a dilatory motion. Now, the Speaker himself admits that there are very drastic changes. Therefore, our request for a recommittal must be reconsidered by the Chair.

श्री आर० डी० मिश्र : जिस वक़्त यह बिल सिलेक़्ट कमेटी को भेजने.के लिए हमारे सामने आया था तो जो बिल हमारे सामने था उससे हम यह समझते थे कि इस बिल के मुताल्लिक हमको ज्वाइंट सिलेक़्ट कमेटी बनानी है और वह बैठी । लेकिन वह कमेटी अपने स्कोप से बाहर चली गयी और उसके बाद जो बिल आया उसको राज्य सभा ने मान लिया है। अब हम न इस बिल को सरकुलेट कर सकते हैं और न सिलेक्ट कमेटी को भेज सकते हैं । इस तरह से यह एक इल्लीगल कार्यवाही हो गई है । अब हमारे सामने यही रास्ता रह जाता है कि जो कुछ उस हाऊस ने हमारे सामने भेजा है उसे हम मंजूर करलें । जब बिल आया था उस वक़्त इसमें यह था कि यह मिताक्षरा फैमिलीज को एप्लाई नहीं करेगा । किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया । यहाँ भी हमने नहीं सोचा कि हमको एप्लाई करता है या नहीं । राज्य सभा के मेम्बरों ने इसको पास कर दिया । शायद वह इसे ठीक समझते हों । अगर हाउस के बाहर का मामला होता तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी रमेडी हो सकती थी लेकिन जब हाऊस के राइट्स पर एनक्रोचमेंट होता है तो स्पीकर साहब हमारे राइट्स को प्रोटैक्ट करें ।

Shri Sadhan Gupta *rose*—

Mr. Speaker: I have heard hon. Members enough.

Shri Sadhan Gupta: Shri Deshpande's new point, Sir, ...

Mr. Speaker: So far as Shri Deshpande's point of view is concerned, it has already been ruled by the Deputy-Speaker that it is a dilatory motion. I am not prepared to go behind it.

So far as the other point is concerned, it is not as if the House is helpless. If it finds that fundamental changes have been made, it can throw it out. There are several ways open to the House without inviting the Speaker to give a decision. Therefore, the ruling will stand that we have not committed ourselves. If the House does not agree with any particular provision or portion, it can eliminate or remove that.

The hon. Member may go on.

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब वाला ने जो रूलिंग दिया है उसको मैं एक्सेप्ट (स्वीकार) करता हूं । मैं ने जो सफा ५०७ का हवाला दिया था उसमें वही लिखा है जो जनाब वाला ने कहा कि हाउस चाहे तो इसे थ्रो आउट (ठुकरा) कर सकता है । लेकिन कांस्टिट्युशनल पोजिशन (वैद्यानिक स्थिति) यह है कि गवर्नमेंट को अब यह हक नहीं है कि वह इस बिल को चलावे । मैं ने जनाब की और पाटस्कर साहब की तवज़्जह दिलाई थी कि अब गवर्नमेंट के लिए रास्ता यही रह गया है कि वह इसे विदड्रा (वापस) कर ले ।

Shri R. D. Mishra: We must also know what are those pages and what are the rulings. The hon. Member is quoting pages. We have to decide it.

Mr. Speaker: We have disposed of the question of law. The question now is whether the House is agreeable or not agreeable. It is open to the House to take any view.

Pandit Thakur Das Bhargava: This is what appears in May's *Parliamentary Practice*. . .

Shri Pataskar: Is it a point of order?

Pandit Thakur Das Bhargava: It is not a point of order at all now. It is a piece of advice on constitutional practice; if you want to follow it, you may; otherwise you need not.

Shri Pataskar: May I humbly know on what point I am being advised?

Pandit Thakur Das Bhargava: Unless you hear me, you cannot know the point.

Shri B. S. Murthy: I rise on a point of order, Sir. A point of order was raised and you, Sir, have been pleased to give your ruling. The same point is being brought again in some other form. Is it in order?

Pandit Thakur Das Bhargava: My friend has not heard what I have been saying.

Mr. Speaker: So far as the matter which has been objected to and can be raised by a point of order, is concerned, it has been decided by the Speaker. I am looking at the clock to see if the hon. Member has utilised his fifteen minutes' time. Instead of spending his time to convince the House on this point that the Select Committee ought not to have done this or done that, he can use those arguments not to convince the mind of the House on this point, but to ask the House that in view of what they did—they thought of one thing and did something else—the Bill should be thrown out. May's *Parliamentary Practice* also need not come in now. My fear is that in view of the point of order he may spend away his time on it without speaking on the substantive part of the Bill. Therefore, there is no question of point of order in this. Any hon. Member can refer to any point of law to convince the mind of hon. Members here.

Pandit Thakur Das Bhargava: I do not know whether I have only 15 minutes' time on this. I know there is a rule that in a Bill of this nature, any Member can go on till he exhausts has arguments. There is no rule that only 15 minutes' time can be allowed for a speech on a Bill, particularly of this nature.

Mr. Speaker: After all, the Business Advisory Committee has fixed a particular time limit of 35 hours for this Bill. It may not be 15 minutes, but it cannot be 5 hours for any Member. Therefore, there must be a limit which we will observe. If the hon. Member is not satisfied with 15 minutes, he may be given 20 or 25 or at the most 30 minutes. If the original practice of not limiting the number of hours in allocating time had been adopted, that would be another matter, and one hon. Member could be in possession of the House for any length of time. But we have changed the rules and been adopting a different practice.

Pandit Thakur Das Bhargava: The original rule has not been changed.

Mr. Speaker: For the whole Bill, the time allotted is 35 hours. Is it the desire of the House that I should allow any hon. Member unrestricted time—2 hours, 3 hours and so on?

Some Hon. Members: No, no.

Mr. Speaker: Because this is a Bill. I am prepared to give any hon. Member anything up to 30 minutes, and nothing more than 30 minutes. Is it the general acceptance of the House....

Pandit Thakur Das Bhargava: So far as I am concerned, I rely on the wording of a particular rule. If the interpretation of the rule is that it is capable of being relaxed or not relaxed, or is not being observed or going to be observed, it is a different matter. So far as the particular matter of time restriction is concerned, I do not think it is right to ask the House to agree to or opine whether any Member should be given so much time. It is entirely at your discretion. At the same time, I request you, Sir, to change your rule. I will abide by it. If you make a rule, you should interpret it in a consistent manner. The Business Advisory Committee is there; it has given full discretion to you to extend the time; it has not limited your discretion in the matter.

Mr. Speaker: Therefore, it is reasonable for the Speaker and the House to expect how much time the hon. Member would take.

Pandit Thakur Das Bhargava: The hon. Member will only do what you and the House will desire him to do. I am not going to defy your decision or the decision of the House.

Mr. Speaker: When I said 15 minutes, the hon. Member may have said one hour or 30 minutes or 45 minutes. I am yet in the dark as to what time the hon. Member wants.

Shri S. S. More: May I in this very context know whether there is any list of speakers previously prepared? Or are we expected to catch the eye of the Chair? I put this question because there has been no uniform practice observed here.

Mr. Speaker: Again and again, this question is put to me. I have got a sheaf of chits just now handed and being handed from time to time, and I have been noting them. In addition, I am also trying to regulate the time accordingly. If one Member wants to speak from the Opposition Benches, I am trying to locate which hon. Member can meet his arguments—either on account of his status or the State from which he comes, or of his particular interest in labour or industry and so on. All those are things which weigh with me. It is only for my information that I am having this list.

Shri S. S. More: In this particular measure, there is no distinction between the party in power and the party in opposition. This is a social measure. Some of us are prepared to support the Government, though some may oppose it. We should be given a chance without our having to send any chits.

Mr. Speaker: Hon. Members need not send chits at all to me.

Shri Bansal (Jhajjar-Rewari): May I know if this one hour or so which has been utilised on this point of order and incidental points will be added on to the time that has been allotted for this Bill?

Mr. Speaker: All this will be included in the 35 hours.

Pandit Thakur Das Bhargava: I was submitting that—I want the hon. Minister of Legal Affairs to listen to me—to be consistent with the practices in Great Britain, if a Bill comes back to this House very different in its scope, the House is perfectly at liberty to throw it out, but at the same time the constitutional practice is that when the Speaker expresses himself in this way namely, that the Bill is a quite different one, the only course open to the Government is to withdraw the Bill and bring in another Bill.

Shri Pataskar: The Speaker has not decided it.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Mr. Deputy-Speaker: The Speaker's advice may be heard.

Shri Pataskar: He said that it was a thing that the Speaker had decided, but I do not find his decision.

Pandit Thakur Das Bhargava: The Speaker has stated that the Bill is a different one.

Shri Pataskar: I do not think that is his opinion.

Pandit Thakur Das Bhargava: Even if the Speaker did not say so, I am reading from page 507 of this book. I am not going to take my time in reading it—because my time is limited—and I will leave the Members to got through that page. The only course open to the Government is to withdraw the Bill and to bring in another Bill. If the Government wants to proceed with this Bill, it is going against constitutional practices and conventions of the House of Commons.

जनाब डिप्टी स्पीकर, में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि यह जो बिल अब हमारे सामने आया है यह उस बिल से बिलकुल मुख्तलिफ (भिन्न) है जो कि पहले हाऊस में आया था।

अब में इस बिल की मेरिट्स (गुणों) पर आता हूं कि यह बिल हमारे वास्ते क्या नक्शा पेश करता है। जब यह बिल पहले हाउस में आया था तो मैं ने यह कहा था कि यह बिलकुल दुरुस्त है कि तक़रीबन ८० फीस दी मेम्बरों ने इस बिल की मुखालफ़त की थी। इस बिल की मुखालफ़त करते करते और एक के बाद दूसरी वजूहात देते हुए यहां हाऊस में श्री चिनारिया दम तोड़ गये। जब हमारे आनरेबल मिनिस्टर ने अपनी जवाबी तक़रीर फ़रमाई तो उस हादसे का जिक्र किया जो यहां पर पेश आया और उनकी मेमोरी के वास्ते ट्रिब्यूट अदा किया लेकिन उन वजूहात की कोई पर्वाह नहीं की जो निहायत माकूल थे और जिनको यहां हाउस में कहते कहते एक आनरेबल मेम्बर ने अपना दम तोड़ दिया। उनको तो सिर्फ एक बात की चिन्ता दामनगीर थी कि किसी तरह से जैसे भी हो यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाय। मैं हाऊस की खिदमत में अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हाउस के अन्दर जब एक मेम्बर एक तरह से आखिरी अल्फ़ाज़ कहते कहते गुज़र जाय तो उसकी स्पीच की तरफ पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये था।

अब मैं बिल की मैरिट्स की तरफ आता हूं। मैं जनाब की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं कि बिल क्या कहता है और क्या चीज बनाता है? इस बिल के अन्दर जो एक लिस्ट है शेडयूल की उसकी तरफ में तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वह इतना लम्बा शैडयूल है कि मैं उस सारी लिस्ट को यहां पर पढ़ कर के अपना वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता.........

Shrimati Ammu Swaminadhan (Dindigul): I should very much like to know what the hon. Member says on this important measure. Would he kindly speak in English?

Shri Bansal: The hon. Member should learn Hindi.

Shrimati Ammu Swaminadhan: I can learn, but I do not know now.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे अंग्रेजी बोलने में कतई कोई इंकार नहीं है लेकिन आपको मालूम है कि मेरी ज़बान हिन्दी है और उसमें मैं आसानी से और काफी जल्दी बोल सकता हूं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

लेकिन अगर आप डिप्टी स्पीकर साहब से यह दरख्वास्त करें कि मेरा टाइम वे और अधिक बढ़ा दें और अगर ऐसा हो जाय तो मुझे अंग्रेजी में बोलने में कोई एतराज नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम जो है वह तो यही है कि माननीय सदस्य जिस में चाहें उस में बोलें, कोई उनके ऊपर प्रतिबन्ध नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरी अदब से गुजारिश यह है कि मैं ऐसी बात बोलूंगा जो मेरी बहन के बिलकुल समझ में आ जाये।

Shri S. S. More: Ask her whether she has followed this.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : में मि० मोरे से भी इजाजत चाहूंगा कि वह मुझ को बोलने वें और अपने गैर मामूली इन्टरप्शन्स (अंतर्बाधायें) थोड़ी देर के लिये बन्द कर दें।

जनाब वाला, आज का बिल एक ऐसा बड़ा बिल है जिस के वास्ते मुझे यह शिकायत है कि हाउस में यह बहस होती है कि मेम्बरों को पूरे तौर से अपना दिल खोलने की इजाजत न हो। यह बिल हिन्दुस्तान के करोड़ों बल्कि मुझे कहना चाहिये कि ३५ करोड़ आदमियों की जायदाद से, और उनकी जो अन्दरूनी ख्वाहिशात हैं और जजबात है, उनसे ताल्लुक रखता है इस चीज़ के होते हुए इस बिल को इस कदर तेजी से पास करना, बिना सब बातों पर गौर किये पास कर देना, बिल्कुल उसूल और इन्साफ के खिलाफ है।

अगर आज आप जा कर किसी पंजाब के गांव में पूछें कि यह बिल क्या है, तो मेरी दर्ख्वास्त है कि आप को एक ही जवाब मिलेगा कि हम को कुछ भी पता नहीं है। मगर हाउस के अन्दर बैठ कर जनाब वाला ने मेरे एक मोशन को डाइलेटरी करार दे दिया और सारी चीजों का जो मैंने रक्खा उन को डाइलेटरी करार दिया, कि यह पंद्रह साल से चल रहा है और सब इसको जानते हैं। लेकिन वाक्या यह है कि अगर आप किसी भी गांव में जा कर पूछें कि यह बिल क्या है तो किसी के भी मुंह से नहीं निकलेगा कि उस को इसका इल्म है। अगर इसका इल्म होता तो जो मुखालिफत मैं चार पांच बरस से करता आ रहा हूं, वह न करता। सन् १९५० में मैंने दो घंटे तक इसकी मुखालिफत की, इस उसूल पर कि शादीशुदा लड़की को बाप के खानदान की जायदाद को लड़कों के साथ इन्हेरिट करने की इजाजत दे दी जाय। मैं उस वक्त से लेकर अब तक इस की मुखालिफत करता आ रहा हूं। लेकिन मैं औरतों को जायदाद में मरदों के बराबर हक़ मिलने का विरोधी नहीं हूं बल्कि ऐसे दावे का मददगार हूं।

आप के कांस्टिट्यूशन में लिखा है कि सेक्स की बिना पर कोई तफरीक न की जाय। जहां तक इस चीज के कांस्टिट्यूशन में मौजूद होने का ताल्लुक है, मैं उस का एहतराम करता हूं। लेकिन इस में ऐनोमली यह है कि एक तरफ से हमारी बहनों की आवाज आती है हम को हक्क दो, इधर मिनिस्टर साहब की आवाज आती है कि हम को चाहिये कि कांस्टिट्यूशन में जो सेक्स के अल्फाज लिखे हैं उन के खिलाफ म जायें। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आप की ईक्वालिटी क्या है? आखिर, अगर एक बहन को ससुर की जायदाद में हिस्सा मिलता है तो क्या वजह है कि भाई को ससुर की जायदाद में हिस्सा न मिले, क्या यह इनईक्वालिटी नहीं है कि बहन को ससुर की जायदाद में हिस्सा मिले और भाई को न मिले? कहां गया आप का कांस्टिट्यूशन?। आप ऐसी बातें करते हैं कांस्टिट्यूशन का हवाला दे कर जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप बाप की जायदाद में लड़की और लड़के दोनों का बराबर का हक देते हैं तो ससूर की जायदाद में भी दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिये। आप का जो बिल है वह इनईक्वालिटीज से भरा पड़ा हैं। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं आप को दिखलाता कि इस बिल के एक एक लफ्ज में सिवा आदमियों की इनईक्वालिटीज के और कुछ नहीं है। यह जरूर है कि जैसी हालत आज है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस माहौल (वातावरण) में हम रह रहे हैं उस को छोड़ नहीं सकते, दुनिया के अन्दर जो हालात हैं उनके ही अन्दर हमें रहना होगा, मगर इस चीज को हम भूल नहीं सकते कि लड़की एक ऐसे खान्दान में जाती है जो कि बिल्कुल जुदा होती है, उस नये खान्दान में जा कर एक नई फैमिली बनाकर बैठती है, सारी उम्र उस खानदान के पीछे रहती है, बाप के मरने की खबर आती है, उधर उसका अपना बेटा बीमार है, तो वह बीमार बेटे को छोड़कर बाप के घर नहीं जा सकती है। हमारे देश का आइडियल ही ऐसा है कि एक औरत अपने खाविन्द को बड़ी चीज समझती है। मैं कहता हूं कि छोड़ दीजिये पुराने रिवाजात को जिस में औरत अपने खाविन्द

+ <dl

को गाड और लार्ड समझती थी, लेकिन इस वक्त भी वह उस को अपना आइडियल कम्पेनियन समझती है। अगर आप को आज सीता व सावित्री के आइडियल (आदर्श) पर लेक्चर दिया जाय तो शायद आपको कुछ ऐतराज हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस देश के अन्दर हमारे सारे पुराने आइडियल का और हमारी रामायण का जनाजा निकाल दिया जाय। आप ने रामायण का जनाजा इस बिल के जरिये निकाल दिया है, इस देश में **सन सेन्टर्ड पालिटिस** है (इस देश में पुत्र को अधिक महत्व देने की नीति है)। आज हमारे यहां जो हजारों सालों से सिस्टम चला आ रहा है उसे हम भूल नहीं सकते। लड़का बाप की जगह होता है, खान्दान का बड़ा होता है, सारे खान्दान वाले उस की खिदमत करते हैं।

Shrimati Subhadra Joshi (Karnal): I think the hon. Member should withdraw the words

"रामायण का जनाजा निकाल दिया।"

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं चाहता था कि जो हुकूक की बात की जाती है तो उस के साथ में हमको अपनी पुरानी बातों को भूल न जाना चाहियें।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : यह शब्द वापस लिये जाने 'चाहिये।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member may continue.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : राम चन्द्र जी के साथ चौंदह साल के लिये सीता के बन जाने का सवाल पैदा होता है, राम चंद्र कहते हैं कि तुम अपने बाप के घर चली जाओ, तुम्हारा बाप राजा है, तुम्हें क्या तकलीफ है? वहां पर काफी आराम होगा, लेकिन सीता क्या जवाब देती है? वह कहती हैं कि मैं बाप के घर नहीं जाऊंगी।

श्री फिरोज गांधी (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला राय बरेली —पूर्व): कैनाट प्लेस में घूमेंगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कहती हैं कि बाप के घर का जिक्र न करो। मैं अर्ज करता हूं कि हमारी एक आंख बाप की जायदाद पर है और दूसरी घर की जायदाद पर। बाप मालदार है, वह लड़की को जब तक चाहे, रक्खेगा उस के दुःख सुख में शरीक होगा। लेकिन इस बिल को पास करके आप इस देश के आइडियल को तबाह कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि किस भाइ का यह आइडियल होगा दुनिया में कि वह चौदह बरस भाई के साथ बनवास करे, और अगर राज करेगा तो बड़े भाई के खड़ाऊं रख कर? जो पालिटी आज हजारों बरसों से चली आ रही है उस को आज आप बरबाद कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी बहनों को हम से शिकायत हो। मेरी बहन यह समझती हैं कि मैं औरतों के हुकूक का हामी नहीं हूं। गरीबनेवाज, एक ही मिट्टी से बने हुए पुतले, एक मां से पैदा हुये, क्या आप कभी यकीन कर सकते हैं कि वह चाहेंगे कि उस की मां को, उस की बेटी को, उस की बीवी को हुकूक न मिले। मैं उन लोगों में से हूं जो चाहते हैं कि उन को पुरे हुकूक मिलें, जो उनका हक़ है उसको मैं कम नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल रास्ते का है, किस रास्ते से हम जायें। मैं बहुत दफा इस चीज़ को हाउस में पेश कर चुका हूं लेकिन मुझे अफसोस है कि पिछले चार पांच सालों में मेरी आवाज विल्डरनेस की आवाज साबित हुई, वह मेरी आवाज नहीं समझी गई। जनाब वाला ने भी अपना जगह से उसको सपोर्ट किया, मेरे पास किताब मौजूद है जिसमें आपकी तजवीज थी। बक्शी टेक चन्द साहब, श्री पट्टाभी ने उसको पसन्द किया था। श्री बिस्वास के सामने जिस वक्त अर्ज किया गया उस पर उन्होंने गौर किया। हमारे पाटस्कर साहब ने भी कहा कि मैं एग्जामिन कराऊंगा। मुझे याद है कि सेलेक्ट कमेटी में पाटस्कर साहब ने चन्द एतराज किये, मैं उनका जवाब देता, लेकिन मुझे से पूछा नहीं गया। उन्होंने खुद भी उन पर गौर नहीं किया। वह हिन्दुस्तान के सभी लोगों के नुक्ते निगाह के साथ मेल खाते थे। मैंने सन् १९५० में कहा था कि अगर हिन्दुस्तान में रहने वालों को यह पता चल जाय कि आप क्या करने जा रहे हैं तो हिन्दुस्तान के अन्दर एक रिवोल्यूशन हो जाय। आज भी वह चीज दुरुस्त है, मगर उनको मालूम नहीं है आज वह इतने पोलिटिकल-माईन्डेड नहीं, हैं कि वह मिनिस्टर साहब की बातों को समझ सकें आज एक एक जिले में जो सैकड़ों गांव बसे हुए हैं उनकी हालत को हमारे मिनिस्टर साहब नहीं जानते। आज भी हालत यह है कि गांव के गांव एक ही गोत्र के हैं और theory इन में कूट कूट कर भरी है। मुझे पता नहीं है कि मिनिस्टर साहब को उन गांवों की हालत्त का पता है या नहीं। वहां पर इस बिल के मुताल्लिक मालूम होने पर फीमेल इन्फेंन्टिसाइड तक हो जाने की नौबत आ सकती है। जनाब वाला

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

को मालूम है कि पंजाब के अन्दर किस तरह से कोई बाहर का स्ट्रेंजर आ जाय तो उसको वहां पर कितने दिन रहने दिया जाता है । मुझे अफसोस है कि मेरे उन दोस्त ने जिन्होंने पहले स्पीच दी उन्होंने क्यों जिक्र नहीं किया । मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के गांवों में इस कानून के पहुंचते ही फीमेल इन्फैन्टिसाइड होने लगेगा, लड़कियों के मर्डर होने लगेंगे, अपनी जायदाद बचाने के लिये । मैं नहीं जानता हूं कि क्यों सरकार इस चीज को अपने खयाल में नहीं लाती है । मैं नहीं कहता कि इस तरह की रिफार्म सरकार न करे, लेकिन ऐसी चीज लाये जो कि अपनी जगह पर जरूरी व मुनासिब हो । आज सरकार इस चीज के पीछे पड़ी हुई है कि जल्दी से जल्दी इस बिल को पास कर दें । लेकिन इस बिल के अन्दर इतनी जबर्दस्त खामियां हैं कि उस से पंजाब, बिहार और यू० पी० के अन्दर बेइन्तहा मुकदमेबाजी शुरू हो जायेगी । फर्ज कीजिये कि हम यह बिल पास कर देते हैं तो यह होगा कि मां बाप लड़ेंगे, बाप बेटे लड़ेंगे, भाई भाई लड़ेंगे मां बेटे लड़ेंगे व बहन भाई दो टूक हो जावेंगे । और हमारा जो शीराजा (धारणा) सोसाइटी का हैं वह बिल्कुल बिखर जायेगा । भाई और बहन का जहां तक प्रेम का सवाल है उस के ऊपर मैं इस वक्त कुछ कहना नहीं चाहता । हिन्दु ला का जो कंसेप्शन आफ सोसाइटी था कि कोपार्सनरी प्रापर्टी (समांशी सम्पत्ति) का कोई, कोपार्सनरी इन्तकाल नहीं करा सकता, कोई प्रापर्टी का मैनेजर उस को इन्तकाल नहीं करा सकता, उस को आप ने एक स्ट्रोक आफ पेन से खत्म कर दिया और हर एक आदमी जिस तरह चाहे आप जायदाद को विल अवे (वसीयत' कर) सकता है ।

हमारे इम्तिहान के कोर्स मे एक किताब थी "मैन्स एंशेंट ला" जिस में "स्टेटस टू कांट्रेक्ट" का जिक्र था । वह बात सही साबित हो रही है । हम इस मैड परसूट में चल रहे हैं कि हिन्दू ज्वाइंट फैमिली (सम्मिलित परिवार) खतम हो जाये । अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप डा. अम्बेडकर का बिल लाइये । मैं समझता हूं कि आप वैसा करना नहीं चाहते, आप दोनों फरीक को राजी रखना चाहते हैं लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि यह किसी को कबूल नहीं हो सकता । अगर आप ज्वाइंट हिन्दू फैमिली को नही रखना चाहते तो न रखें कोई दूसरी तरह की सोसाइटी बन जायेगी । दुनिया में सब जगह ज्वाइंट फैमिली नहीं है, लेकिन अगर आप ज्वाइंट हिन्दु फैमिली को खत्म नहीं करना चाहते तो इस कानून में यह प्रावीजन क्यों रखा जा रहा है । जो कुछ आपने इस बिल में रखा है वह हमको हज्म होना मुश्किल है ।

मैं एक और चीज की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं । हिन्दुस्तान में यह ट्रेडीशन है कि अगर किसी खानदान में जायदाद है तो उस खानदान के लड़गे या लड़कियां भूखे नहीं मर सकते । मैं तो चाहता हूं कि आप डा० अम्बेडकर के बिल के मेनटिनेन्स (पोषण) क्लाजेज़ को कानून की शक्ल दें । मैं उम्मीद करता हूं कि पाटस्कर साहब उनको कानून की शक्ल में लावेंगे । वे क्लाजेज़ ज्वाइंट प्रापर्टी के लिए बहुत जरूरी हैं । मैं अपनी बहिनों से और श्री पाटस्कर साहब से पूछना चाहता हूं जो कि सैक्स डिस्क्रिमिनेशन के बहुत ज्यादा कायल हैं, कि क्या लड़की की यह जिम्मेदारी है कि वह बूढ़े मां बाप को मेनटेन करे । लेकिन आप देखिये कि एक लड़के पर क्या क्या जिम्मेवारियां हैं । अगर मां बाप बूढ़े हैं तो उसे उनको मेनटेन करना होता है, अगर विधवा बहिन है तो उसे मेनटेन करना होता है, अगर फैमिली में कोई विडो है तो उसे मेनटेन करना होता है, अगर कोई डेज़रटेड (परिव्यक्त) है तो उसे मेनटेन करना होता है, अगर कोई इंडीजेंट है तो उसे मेनटेन करना होता है । जो जायदाद को लेता है उसका यह जिम्मा है कि अपाहिजों को, या ऐसे लोगों को जिनको कि प्रापर्टी में हिस्सा नहीं मिलता, पर जो मेनटिनेन्स के हकदार हैं उनको प्रोवाइड किया जावे, हिन्दू ला गिवर्स अकलमन्द थे और उन्होंने हर चीज के लिये प्रावीजन किया था । या तो आप बूढ़े और अपाहिजों के लिये कोई प्रावीजन कीजिये या जो हमारे पूर्वजों ने उनके लिये प्रवीजन किया था उसको कायम रहने दीजिये । हम इस मेनटिनेन्स ला को तो यहां पास करेंगे क्योंकि यही तो हिन्दू ला का सब से ज्यादा सुन्दर पोर्शन है । इस मेनटिनेन्स ला के जरिये हमारे ला गिवर्स ने फैमिली मे सबके लिये कोई न कोई प्रावीजन किया हैं । जब तक यह प्रावीजन मौजूद है आपको जायदाद या रुपया लड़कों को देना चाहिये क्योंकि जायदाद के साथ राइट आफ मेनटिनेन्स जाता है । क्या हमारी बहिनें इस जिम्मेवारी को लेंगी । बहिनें तो शायद लेने को तैयार हो जायें क्योंकि हमारी बहिनें बहादुर हैं । यहां पर हिन्दू मैरिज एंड डाइवोर्स ला (हिन्दू विवाह तथा तलाक कानून) में रख दिया गया था कि औरतें खाविन्दों को मेनटेन करें, लेकिन उस पर भी बहिनों की तरफ से बहुत ऐतराज नहीं किया गया था । हमने ही कहा था कि यह नालायकी की बात है कि

आदमी स्त्रियों के ऊपर निर्भर रहे । मैं बहिनों के जिम्मे मेनटिनेन्स का बार नहीं डालना चाहता । उनकी जो हालत अभी समाज में है और जो कि अभी बहुत वर्षों तक रहने वाली है, उसमें वे इस जिम्मेवारी को लेने के काबिल नहीं हो सकतीं । इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक यह मेनटिनेन्स का ला कायम है कोई वजह नहीं है कि मर्द को प्रापर्टी का हक न दिया जाय ।

अभी कल ही हमारी बहिन श्रीमती शिवराजवती नेहरू ने और जब यह बिल पहले आया था तो सुभद्रा जी ने भी यह फरमाया था कि आप जो यह कानून पास करने जा रहे हैं, उसमें जो बहिनें मांगती थीं उससे भी आप उनको ज्यादा दे रहे हैं । यह मैंने कल ही पढ़ा है ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (करनाल) : मैंने नहीं कहा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं आपकी स्पीच मंगाकर हाऊस में पढ़ सकता हूं । उस वक्त आपने जो कहा था वह दुरुस्त था । लेकिन अगर आपने नहीं भी कहा तो मैं कहता हूं कि आप देखें कि बाप की जायदाद में औरत को हिस्सा, ससुर की जायदाद में उसको हिस्सा, खाविन्द की जायदाद में उसको हिस्सा यह कहां तक ठीक है ? क्या इतनी साफ चीज़ के लियेभी किसी आर्ग्यूमेंट की जरूरत हैं कि The father-in-law is not equal to father and husband is not equal to wife. क्या अजीब बात है कि औरतें अगर कहती हैं कि आप हमें १०० परसेंट दें तो आप कहते हैं कि हम तुमको पौने दो सौ परसेंट देंगे । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो मैडनेस चली आ रही है इसको उतार फैंकना चाहिये ! टैनिसन ने अपनी एक किताब में बहुत अच्छे ढंग से लिखा है कि आदमी और औरत दो पहिये हैं और जब तक वे अच्छी तरह से चलते हैं गाड़ी ठीक चलती है लेकिन यह कहना कि दोनों बराबर हैं यह गलत होगा । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आप फैक्ट्स आफ नेचर को दूर नहीं ले जा सकते । इसलिये मैं चाहता हूं कि बहिनों को फाइनेन्शली इंडिपेंडेन्ट बनाया जाय ।

श्री पाटस्कर : उनको मेनटिनेन्स देना नहीं चाहतें हैं ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मेनटिनेन्स तो अलाहिदा देना चाहता हूं । इस वक्त तो मैं आपकी इक्वालिटी की बात का जवाब दे रहा था । मैं कहता हूं कि बहिनों को पूरा मौका मिले । लड़का अपनी बर्थ से खानदान की जायदाद में हक हासिल करता है । औरत अपनी शादी की वजह से दूसरे खानदान में ट्रांस्फर हो जाती है । वह उस वक्त से उस खानदान में हक रखती है । इसलिये मैं कहता हूं कि जो हिस्सा आप सन को दें वही सन्स वाइफ को दीजिये । मैं नहीं चाहता कि कोई औरत बतौर बीबी के भी अपने खांविन्द की दस्तनिगर रहे । आपने डाइवोर्स का कानून पास किया है, लेकिन अगर आप उसको फाइनेन्शल पावर्स नहीं देंगे तो उसको हालत और भी खराब हो जायेगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि फादरइनला की जायदाद में सन एंड सन्स वाइफ दोनों हकदार हों । और अगर उसका खाविन्द अपने बाप से पहले मर गया है तो उसकी विडो को हिस्सा दिया जाये । मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि वह अपने फादरइनला की जायदाद में हकदार हो । यहां पर हमारे बहुत से हिन्दू भाई बैठे हैं । मैं पूछता हूं कि कौन नहीं चाहता कि अपनी बहिन या बेटी को उसका हिस्सा दिया जाये । जब भी लड़की के बच्चा होता है, या उसके बच्चों की शादी होती है तो बाप या भाई भात वगैरह की शक्ल में उसको बराबर उसका हक देते हैं ।

श्री बोगावत (अहमदनगर—दक्षिण) : लड़के के बेटों बेटियां की शादी में भी देते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह सही है कि पहले के मुकाबले में यह चीजें कम होती जा रही हैं । मैं जनाब के सामने अपनी ही एक मिसाल रखना चाहता हूं । मेरी शादी हुई थी एक जगह जिसको आज ५५ बरस होते हैं । उस के दो तीन बरस बाद मेरी बीवी का इन्तकाल हो गया । लेकिन वे लोग अभी तक वैसा ही रिश्ता कायम रखे हुए हैं । हर शादी में हर त्योहार में वे बराबर वैसा ही सलूक कर रहे हैं और ऐसी हम भी अपनी बहिनों के लिये करते हैं अपने इलेक्शन के जमाने में देखा होगा कि अगर हम किसी ऐसे गांव में जाते हैं जहा हमारे गांव की कोई लड़की हो तो हमको तब तक तसली नहीं होती जब तक हम उसको रुपया नहीं देते । कोई हिन्दू अपनी लडकी के गांव में पानी तक पीना पसन्द नहीं करता, उसकी जायजाद कसे ले सकता हैं । लेकिन आपने कानून बनाया हैं कि लडकी की जायजाद उस के मां बाप को दे दी जाये । मैं नहीं समझता

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कि इस कानून को बनाने वाले हिन्दूस्तान के रहने वाले हैं या किसी दूसरे मुल्क से आये हैं उनको यह भी पता नहीं कि इस मुल्क में ऐसा नहीं होता कि लोग अपनी लड़की की जायदाद ले लें। मालूम नहीं किसने यह कानून बनाया है।

इसके इस बिल में दो चीजें और जोर से कही गयी हैं। लेकिन जब से दाभी साहब ने और दूसरे भाइयों ने यह कहा कि हमारे देश में ७५ फी सदी एग्रीकल्चरल होल्डिंग ५ एकड़ से कम हैं तब से पाटस्कर साहब के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। एक कच्चे मकान में जिसमें कि केवल एक कमरा हो, यह जानकर पाटस्कर साहब को दुःख हुआ कि कैसे वहां पर लड़कीका खाविंद जो दूसरे गांव या शहर का होगा, वह कैसे वहां पर रह सकेगा और गुजारा कर सकेगा हमारी तसल्ली के लिये उन्होंने फरमाया कि हमने इसके अन्दर दो नये किस्म के प्रीएम्पशन प्रोवाइड कर दिये हैं ता कि यह तक़लीफ दूर हो सके और उनमें जो अल्फ़ाज़ लिखे हुए हैं उनको जरा मुलाहिज़ा फरमाये जाय। दफा २४ में जरा मुलाहज़ा फरमाये कि क्या ही ब्यूटीफुल अनडायिंग वर्ड्स लिखे गये है:

> "24. Where, after the commencement of this Act, an interest in any immovable property of an intestate or in any business carried on by him or her, whether solely or in conjunction with others, devolves upon two or more heirs specified in Class I of the Schedule, and any one of such heirs proposes to transfer his or her interest in the property or business, the other heirs shall have a preferential right to acquire the interest proposed to be transferred."

यह प्रीएम्पशन नहीं है कि सेल हो जाय और और सेल का ट्रान्सफर कर दिया जाय। यह सारा का सारा ऐसा अनवर्कबुल और अनथौट प्राविजन है कि इसके ऊपर नामुमकिन है कि अमल हो सके। इसके अन्दर बीसियों नुक्स हैं। अब इसमें जो लिखा है कि

"to acquire the interests proposed to be transferred."

अब यह बिलकुल अनवर्केबुल है और इस पर अमल नहीं हो सकेगा।

अब एक दूसरी चीज़ लीजिये। किस ज़मींदार के पास जो पांच एकड़ की खेती करता होगा उसके पास जेब में एक हज़ार रुपया नहीं होगा मकान की खरीद के लिये और इसका नतीजा यह होने वाला है कि हर एक मकान गांवों के अन्दर नीलाम किया जायेगा और घरों से बाल-बच्चे निकाल दिये जायेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि झूठी शहादतें पुलीस बनायेगी और इनफेंन्टिसाइड बढ़ेगी और आपस की मोहब्बत कतई खत्म हो जायगी और हर एक घर के अन्दर मुक़द्मेबाज़ी होने लगेगी। मैं तो जब इस बिल के असरत के बारे में सोचता हूं कि इसका हमारे लोगों पर क्या असर पड़ेगा तो मैं शड्डर करने लगता हूं। मैं पंजाब का रहने वाला हूं और अगर ज्यादा नहीं तो करीब ४७, ४८ वर्ष मुझे प्रैक्टिस करते हो गये हैं और मैं इस की जो मुखालिफत करता हूं उसकी असली वजह यह है कि मुझे दिखाई दें रहा हैं कि इसके जरिये आप हर एक घर में लिटिगेशन भेज रहे हैं। यह जो आप का फर्स्ट फाइव इयर प्लान और सेंकेंड फ़ाइव ईयर प्लान है वह सब एक तरफ हैं और दुसरी तरफ श्री पाटस्कर का यह अतिया है जो कि आपके इन तमाम नतीजो पर पानी फेर देगा, जो आप यहा पर पैदा करना चाहते हैं दूसरा हिस्सा जिसका कि दफा २५ में आया है वह पहले से भी अजीब हैं जो असली चीज है और जो असली प्राविजन्स है उसके आप नज़दीक नहीं जाना चाहते। आप चाहतें हैं कि दुनिया को यह दिखलायें कि हिन्दुस्तान इन चीज़ों में बहुत बढ़ रहा है जब कि हालत यह है कि हिन्दुस्तान ने हज़ारहा वे तजुर्बे करके हिन्दुस्तान के एक हिस्से में बाप की जायदाद के हक में तजुर्बे हुए जब कि साउथ में मां की जायदाद पर तजुर्बे हुए उन सब को आपने ब्रश एसाइड कर दिया है। आप का यह कहना था कि हम इस मामले में युनिफारमिटी लाना चाहते हैं लेकिन में पूछना चाहता हूं कि क्या यह युनिफारमिटी है कि वहां तो आपने मां को हिस्सा दे दिया और यहां आपने उसको निकाल दिया? मैं पूछता हूं कि जब दो मुख्तलिफ सिस्टम हैं तो आप क्यों उनके साथ खेलते हैं? मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि जो सिस्टम डेवलप हुए हैं उनको उसी तरीके से रहने दिया जाय। आपने एक मैरिज ला बनाया और उस समय कहा कि हम युनिफाम चीजें देश में लाना चाहते हैं लेकिन हमने देखा कि डाईवोर्स को एक हिस्से के वास्ते तो आपने कस्टम करार दिया और दूसरे हिस्से के वास्ते उसके लिये ला बना दिया। आप इसी तरह की चीज़ इस बिल में भी करना चाहते हैं और यह कोई आप युनिफारमिटी नहीं ला रहे हैं। वैसे मैं अदब से अर्ज़ कर दूं कि में इस युनिफारमिटी का इतना

कायल नहीं कि इसकी खातिर लोगों की ख्वाहिशात, जज़बात, लोगों के आपस के ताल्लुक़ात, भाई बहन के ताल्लुक़ात और मां, बाप के ताल्लुकात को बिगड़ने नहीं देना है । अब इस सक्सेशन के मसले को लेकर जब लड़की का खाविंद और खाविंद ही क्यों लड़की के ससुर और देवर जब उसके मायके के मकान या ज़मीन पर बैठने की कोशिश करेंगे तो कैसे उसके मायके वाले उसके खाविंद, ससुर और देवर को अपने साथ रहने देंगे, कैसे उनका गुज़ारा चलेगा और कैसे उनका ज़मीन पर गुज़ारा होगा ? इस मौजूदा सक्सेशन के प्राविज़न के बारे में हमें बतलाया गया कि इसके करने से कई फायदे होंगे, मुमकिन है कि किसी एक खास हिस्से में इससे कोई फायदा हो, लेकिन पंजाब के बारे में जहां के हालात से मैं खुब वाकिफ हूं, वहां के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे मुकद्दमेबाजी और टंटेबाज़ी बढ़ेगी और तरह तरह की दिक्कतें पेश आयेंगीं । पंजाब में जो शादियां होती हैं, वह बड़ी उम्र में होती हैं और ज़ाहिर है कि जब एक आदमी लाइफ में इंटर होता है तो उसके सिर पर नई मई ज़िम्मेदारियां आ जाती हैं । उस मौक़े पर लड़की को जो जायदाद दी जाती है वह छोटी मोटी नहीं होती है, हज़ार, दो हज़ार की नहीं दी जाती बल्कि हमारे पंजाब में शादी के मौक़े पर लड़की को ५० हज़ार और १,००,००० रुपये की डाउरी देते हैं और यह रक़म उसको और उसके खांविद को अपना नया घर और नई ज़िन्दगी को शुरू करने के लिये मिलती है और लड़की और उसका पति जो दोनों एक नये कुन्ब की बुनियाद डालते हैं, उनको अच्छी तरह से आबाद करने के लिये यह रक़म दी जाती है और इसमें बाप और भाइयों के अलावा मामा और नाना का भी कंट्रिब्यूशन होता है और भात के अन्दर दूर दूर के रिश्तेदार उसमें अपना अपना सहयोग देते हैं । शादी हो जाने के बाद लड़की दूसरे घर की एक मुस्तक़िल मेम्बर बन जाती है और वहां पर अपनी मई ज़िन्दगी शुरू करती है । इस सारे बिल को मैंने देखा, इसमें फादर की प्रापरटी का तो जिक्र है लेकिन ससुर का कहीं नाम नहीं है । अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि एक बिज़नेस कंसर्न है जहां कि फ़र्ज़ कीजिये कि एक बूढ़ा बाप रिटायर हो चुका है और उसके चार बेटे बिज़नेस करते हैं, बूढ़े बाप की जो २, या ४ हज़ार की हैसियत थी उसको उसके बेटों ने कलकत्ते और बम्बई में आकर लाखों की हैसियत पैदा कर ली, बाप के मरने पर तो कहते हैं कि लड़के जुदा नहीं हुए, उनके हिस्से में से लड़की को हिस्सा दे दिया जाय और जिन्होंने की सारी जायदाद पैदा की उनको अलग हटा दिया जाय, मैं पछना चाहता हूं कि आखिर यह आपका कहां का इंसाफ है ? कल मेरे पास एक शख्स आया जो कि पंजाब का रहने वाला है और जिसने मुझे बतलाया कि मैंने तमाम अपनी जायदाद खुद अपने हाथों से पैदा की है । उसका बूढ़ा बाप मौजूद है । मेरी चार बहनें हैं, अब आप बतलाइये कि मैं क्या करूं ? जनाब को मालूम है कि पंजाब के अन्दर कस्टम की रुप से बेटे को बाप की ज़िन्दगी में बंटवारा करने का हक़ हासिल नहीं है, चुनाचें उसके मुतालिक मैंने फाइनेंन्स एक्ट में एक दफा यह बढ़वाई जिसके कि अन्दर यह लिखा गया कि—

> "In every Hindu undivided family governed by Mitakshara a son shall be deemed entitled to claim partition in the life time of the father not withstanding any custom to the contrary."

वह भाई मुझ से कहने लगे कि मुझे बतलाइये कि मेरे वास्ते क्या थाटा है ? मैने उनको कहा कि पाटस्कर साहब की खिदमत में जाइये वही आपको कोई रास्ता बतला सकेंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता . . . .

श्री पाटस्कर : आप उनको मेरे पास भेज दीजिये, मैं उनको सलाह दे दूंगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप मुझे ही बतला दीजिये में आपकी सलाह को उनको बतला दूंगा लेकिन वाक़या यह है कि अपके पास कोई इसके लिये सलाह हीमौजूद महींा है । मैं जनाब की खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि वे सारे माहौल पर खूब अच्छी तरह से गौर करें। मैं मानता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि हर एक केस में कोई बेटे ही जायदाद पैदा करेर हों लेकिन कुछ ऐसे केसेज ज़रूर हैं जहां कि बाप या बेटे की मुश्तरका कोशिशों के फलस्वरूप जायदाद बनी है या जहां बाप बूढ़ा हो गया हो और बेटों ने अपनी मेहनत के ज़रिये जायदाद बनाई हो, उस जायदाद के अन्दर एक नये और दूसरे खानदान के शख्स को दाखिल करना वाजिब नहीं है । अभी जैसा कि मेरे एक भाई ने बहस के दौरान बतलाया था कि एक शख्स की बहन के खाविंद को एक दूसरे गांव में लड़की के भाई की जायदाद में या ज़मीन में बीघे दो बीघे का हिस्सा दिलवाया जाय और जो उस भाई की बीबी आये उसको एक दूसरे गांव में उसके भाई की ज़मीन में बीघे या दो बीघे का हिस्सा दिलाया जाय, मैं नहीं समझता कि इसमें क्या मंतक़ है ?

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आखिर किसी की बीवी हो, किसी की बहन हो, अगर यहां से जायदाद ले जायेगी तो दूसरी जगह से दूसरी औरत ले भी तो आयेगी। मैं कहता हूं कि क्यों झगडे में पडते हो, हजारों बरस से तो कायदा चला आया है जिस में हिन्दुस्ताद के अन्दर जो खान्दान है, जो ज्वायेंट फैमिली है, उन में मियां बीवी के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। वह अमरीका और विलायत के डाइवोर्सेज नहीं सीखे हैं। आप इस सारे सिस्टम को क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आज आप इसलिये उनको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं जिस के लिये कोई वजह नही है। आखिर जब पुछा गया कि वजह तो बतलाइये, तो कहा गया कि युनिफारमिटी लाने के लिये हम यह सब कुछ कर रहे हैं। युनिफारमिटी (एकरुपता) के बारे में अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि Uniformity is a virtue of a very doubtful nature as compared to the vested interests of the people. यह कोई जवाब नहीं है कि हम सब कुछ युनिफार मिटी के लिये कर रहे हैं। एक के बाद दूसरे ऐक्ट यहां पर लाये जाते हैं और यह क्यों किया जाता है? मैं जनाब की तवज्जह दफा १७ की तरफ दिलाना चाहता हूं, उस में लिखा है:

> "The property of a female Hindu dying intestate shall devolve according to the rules set out in section 18,— — —"

गरीब नवाज, वह आपका इक्वालिटी आफ सेक्स कहां है? मर्द की प्रापर्टी का डिवाल्यूशन (प्रकान्ति) आप देते हैं दफा ८ में और उसका डिवाल्यूशन देते हैं दफा १७ में। आखिर सेक्स के बिना पर यह तफरीक क्यों? क्या यह आपका डिस्क्रिमिनशन नहीं है? जनाब मुलाहजा फरमायें किस तरह पर दिया गया है:

> "Firstly, upon the sons and daughters (including the children of any predeceased son or daughter) and the husband; secondly, upon the mother and father—"

और बिलकुल आखिर में है:

> "upon the heirs of the husband"

मैं पूछना चाहता हूं आखिर कांसिस्टेंसी भी दुनिया में कोई चीज है। डा० अम्बेडकर जब बिल लाये तो फर्स्ट शेड्यूल में सिर्फ छः या सात आदमियों के नाम थे, आज ११ नाम हैं और अगर दो तीन बरस और हो गये तो शायद १५ या २० आदमियों के नाम आजायेंगे। इसी तरह से जब पहले ऐक्ट आया हिन्दू ला का तो ७ नाम थे, दूसरी बार जब बी क्लाज रक्खा तो उस में लिखा गया एअर्स आफ दि हस्बैन्ड (पति के उत्ताराधिकारी) अब हस्बैन्ड (पति) भी रख दिया। फिर एअर्स ऑफ दी मदर (माता के उत्तराधिकारी) आया। मैं हाउस में बरबार कहता रहा हूं कि आप अनमैरिड डाटर्स (अविवाहित पुत्रियों) को जरूर भाईयों के बराबर का हिस्सा दीजिये बाप की जाजदाद में और जब उसकी शादी हो जाय तो हस्बैंड की जायदाद में हिस्सा दीजिये जब तक कि वह खान्दान में रहे। अगर कोई औरत डाइवोर्स कर जाय तो उस कों हक है कि वह जायदाद को अपने साथ ले जाय, लेकिन अगर वह रिमैरेज करे तो उस का हक जायदाद में जाता रहेगा। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि १७ (२) में मर्दों के वास्ते नहीं हैं औरतों के वास्ते है।

> "(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),—(a) any property inherited by a female Hindu from her husband or from her father-in-law shall devolve, in the absence of any son or daughter of the deceased (including the children of any predeceased son or daughter) not upon the other heirs referred to in sub-section (1) in the order specified therein, but upon the heirs of the husband."

यह बिलकुल ऐसा उसूल है जो कि मोस्ट अनवर्कबल इन प्रैक्टिस (अव्यवहारिक) है। जायदाद मूवेबल और इम्मूवेबल सभी को दी गई, बीस बरस बाद वह कहां होगी। वह फादर के एअर्स को कैसे मिलेगी? फिर अगला नमूना जनाब मुलाहजा फरमाये:

> "(b) any property inherited by a female Hindu from her husband or from her father-in-law shall devolve in the absence of any son or daughter of the deceased (including the children of any pre-deceased son or daughter) not upon the other heirs referred to in sub-section (1) in the order specified therein but upon the heirs of the husband."

मेरी गुजारिश यह है कि अगर फादर इन ला से कोई जायदाद मिली, फादर इन ला की वसीयत के जरिये— खाविंद जिन्दा है औरत के मरने पर जायदाद बच्चों को जावेगी खाविन्द को हिस्सा

नहीं मिलेगा। बी की रू से क्यों साहब, हस्बैंड ने क्या कुसूर किया ? यह तो दो केसेज हुए। अगर भाई या बहन से जायदाद आई तो उस के लिये कोई प्राविजन ही नहीं है। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि दफा १७ मोस्ट अनवर्केबुल है और लोगों के खयालात के बिल्कुल खिलाफ है, उन के डिफ्येंस में जाता है और उस के अन्दर जो तरीका दिया हुआ है वह बिल्कुल गलत है।

इस के अलावा जनाब मुलाहजा फरमायें....

उपाध्यक्ष महोदय : अब आनरेबुल मेम्बर साहब इस को कंडेन्स करने की कोशिश करें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी हां। मैं जल्दी खत्म करूंगा। दफा ६ है। उस के अन्दर यह करार पाया। ....

Shri C. C. Shah: We will have clause by clause consideration later.

Shrimati Subhadra Joshi: Is there no time-limit ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दफा ६ के अन्दर एक्स्प्लेनेशन दिया हुआ है, उस की तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं। पहले यह लिखा कि जहां तक कोपार्संनर का ताल्लुक है, इस बिल का कोई असर नहीं होगा, दूसरे यह लिखा कि प्राविजन यह है कि फीमेल रिलेटिव (स्त्री सम्बन्धी) हो। और वह कौन हो ? उन की तदाद ११ है सिवा सन्स को छोड़ कर सब औरतों के लिये ही है, मसलन् विडो, डाटर, डाटर्स डाटर, सन्स डाटर, सन्स सन्स विडो, सन्स सन्स डाटर। अगर इन में से कोई हो तो क्या होगा ?

> "such a female relative or male relative shall be entitled to succeed to the interest of the deceased to the same extent as she or he would have done had the interest of the deceased in the coparcenary property been allotted to him on a partition made immediately before his death."

अगर एक आदमी के चार बेटे हैं और उन में से दो जुदा हो गये तो उन को जायदाद में हक होगा, लेकिन जो दो ऐसे लड़के हैं जो बाप की खिदमत करते हैं, बाप से जुदा नहीं होना चाहते, उन को जायदाद नहीं मिलेगी। वेस्टेड राइट जो हैं वे उसके अन्दर दिये हुए हैं जिन में अगर बहन को हक दिया जाता है बाप की जायदाद में तो अनडिवाइडेड सन की जो जायदाद है उस को भी उस में शामिल कर लिया जायेगा। या तो आप यह कह दीजिये कि लड़कों को हक नहीं है, जो इतने दिन से हमारा सिस्टम चला आ रहा है उस को आप चाहें तो खत्म कर दीजिये ताकि रोजमर्रा का झगड़ा खत्म हो, लेकिन अगर आप उसका हक रखना चाहते हैं तो कम से कम लाजिकली तो रखिये। जिन के वेस्टेड राइट्स हैं उसके अन्दर उनको आप कैसे हटा सकते हैं ? क्या मैं पूछ सकता हूं कि दफा ३२ में, जो आप ने एक्स्प्लेनेशन रक्खा है दफा ६ में, वह भी लागू होगा ?

Mr. Deputy-Speaker: For the past 30 minutes hon. Mmebers are indulging in talks louder and louder. I will request hon. Members to exercise some kind of restraint and be slow at least, if talk they must.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि लाजिकली यह एक्स्प्लेनेशन कायम नहीं रह सकता। या तो जैसा आप ने पहले किया था कि जो सेपरेट लड़के हों उन की जायदाद बाप की जायदाद करार दी जाये वह फिर कर दीजिये, लेकिन इस को आप कबूल नहीं करते क्योंकि यह ऐब्सर्ड है, इस को आप रख नहीं सकते।

अब मैं दफा ४ की तरफ आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। दफा ४ जो अब मौजूद है उस पर पहले भी बहस होती रही। मेरे पास वह किताब मौजूद है जिस के अन्दर मैं ने और जनाब वाला ने बहुत ज्यादा हिस्सा लिया था। जहां तक कस्टम का क्वैश्चन है, जनाब को मालूम है कि पंजाब में custom is the rule of decision—Hindu, Musalman and Sikh.

हाउस में १८७२ एक्ट नं. १ की दफा ५ कोट की गई। आज तक वह वहां पर मौजूद है। सिखों और हिन्दुओं के रिवाजात एक तरह के हैं और वह सेकुलर बेसिस पर मबनी हैं। **ऐप्वाइंटमेंट आफ दि एअर** (उत्तराधिकारी की नियुक्ति) का सवाल है, ऐडैप्टेशन का मामला है, आपने सब को खेरबाद कह कर, सारी पुरानी चीजों को खत्म कर के एक नई प्रथा कायम कर दी। अब जहां तक लोगों को समझाने का सवाल है, उनको थोड़ी सी तसल्ली देने के वास्ते हमारे पाटस्कर साहब ने दफा ४(२) में एक नया इन्वेंशन किया है और वह यह है :

> "(2) For the removal of doubts, it is hereby declared that nothing contained in this Act shall be deemed to effect the provisions of any law for the time being in force providing for the prevention of fragmentation of agricultural holdings

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

> or for the fixation of ceilings or for the devolution of tenancy rights in respect of such holdings."

जनाब वाला, कोई आदमी समझाने चले कि लैंड का झगड़ा खत्म हो गया वे उस के फंदे से निकल गये, डा० अम्बेडकर साहब का जो बिल आया था, उस में से लैंड को निकाल दिया गया था। हम जानते हैं कि सारा ला आप का इस किस्म का है जिसे मुल्क नहीं मानेगा । अगर आप चाहते हैं कि उस का असर बहुत ज्यादा न हो तो लैंड्स को आप हटा दीजिये । लेकिन जो प्राविजन आप ने किया है वह लैंड को टच ही नहीं करता । मैं पंजाब के नुक्ते निगाह से देखता हूं, उस में यह है :

> "Nothing . . . .shall be deemed to affect the provisions of any law for the time being in force providing for the prevention of fragmentation of agricultural holdings. . . ."

शायद मेरे खयाल में बम्बई में हो तो हो, उसका मुझे पता नहीं, मगर यू० पी० और पंजाब के अन्दर फ्रैगमेंटेशन आफ ऐग्रिकल्चरल होल्डिंग को रोकने का कोई कानून नहीं है ।

Where is the law in the Punjab for the prevention of fragmentation of agricultural holdings? What is the use of keeping it?

फिर जनाब वाला? सरकार सीलिंग करना चाहती है । यह ला सीलिंग को कैसे एप्लाई करेगा? तीसरी चीज़ जिस पर मैं रोशनी डालना चाहता हूं वह यह है कि इसमें यह दिया हुआ है:

> "Or for the devolution of tenancy rights in respect of such holdings."

जहां तक पंजाब का सवाल है जनाब वाला को मालूम है कि जितने आकुपेंसी राइट्स थे वे प्रोप्राइटरी राइट्स में राइपिन हो गये । अब वहां आकुपेंसी होल्डिंग नहीं है । आकुपेंसी होल्डिंग में विडो को अधिकार मिलता था लड़की को नहीं मिलता था । अब वहां आकुपेंसी राइट्स ही नहीं रहे । अब तो ४(२) से लोगों को मुगालता होगा । यह किस चीज़ को एप्लाई करेगा । क्या एक एक टुकड़े जायदाद के लिए बटवारा होगा? क्या एक एक थाली और गिलास के लिए भी भाई बहिन में झगड़ा होगा, जैसा कि एक भाई नें यहां कहा था । इसलिये मैं पाटस्कर साहब की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूं कि जिन प्राविसेज़ में इस तरह का कायदा अर्से दराज सें चला आ रहा है उनको यसकी जद से निकाल दें । पंजाब को निकाल दें इ ० पी० और बिहार को निकाल दें या उन सब जायदादों को निकाल दें जो कि १५ या २० एकड़ज तक की हैं । आप उनको तो कमसे कम जिन्दा रहने दीजिये जिनके, लिये कि आप रोज यहां आंसू बहाते हैं । यह आप ऐसी लिमिट कर दीजिये कि जो जायदाद ५० हजार तक की हो उस पर वह लागू न हो । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जिस लड़की को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं उसको फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे । जो आप कर रहे हैं उसका नतीजा यह होगा कि जायदादों के विल्स बन जायेंगे और न तो लड़कियों को जायदाद में हिस्सा मिलेगा और न उनको दहेज में जो मिलता है वह मिलेगा । नतीजा यह होगा कि जिनको आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं उनको आने वाले बीस पच्चीस साल में बहुत नुकसान पहुंचेगा ।

Mr. Deputy-Speaker: I am told that Shri Damodara Menon is not well. I hope other Members would agree that he may speak first.

An Hon. Member: Sick people get priority.

Pandit K. C. Sharma: One thing I want to say. In the last debate also, some of the Members who took part in the earlier stages were given time without any limitation. Ultimately, the later Members were given five minutes or ten minutes, some of us who are not very favourably looked upon had no time whatever. Some system should be devised—a lottery system or uniform time should be given.

Mr. Deputy-Speaker: It is not fair to remark or observe here that some Members are not favourably looked upon.

When the Speaker was here he was asking Pandit Thakur Das Bhargava that he should have some limit imposed upon him. I am sure the hon. Member who is now objecting was very quiet and silent and he did not demur. When that time is over, the hon. Member is very vocal at this hour. I am very sorry for that. Let us now make it a rule that this much of time has to be given to every hon. Member. It is for the House to lay down that limit. When the Chair wanted to lay down the limit, there was the objection that this is a Bill and no limit should be placed. It should be for the House and for the Members themselves. Let them place a limit. I am here to enforce that I will enforce it equally without any partiality.

Some Hon. Members: Twenty minutes.

Mr. Deputy-Speaker: Would twenty minutes be all right for every hon. Member ?

Some Hon. Members: Yes.

Shri U. M. Trivedi: Thirty minutes.

Shrimati Subhadra Joshi: I request that women Members should be given one hour.

Mr. Deputy-Speaker: Every hon. Member should not try to place all the points himself individually. Let the groups divide amongst themselves as to what points each hon. Member should put forth. I think twenty minutes would suffice.

Shri Damodara Menon (Kozhikode): Mr. Deputy-Speaker, I shall keep within the limit of twenty minutes.

The Hindu Succession Bill contains provisions of far-reaching importance. They are more or less radical in nature. That was perhaps the reason why there was so much opposition to some of the provisions in this Bill in this House, in the speeches delivered by the hon. Members before me. I was not able, because of my lack of knowledge of Hindi, to follow the learned speech of my hon. friend Pandit Thakur Das Bhargava or Shri V. G. Deshpande. But, from the vehemence of their speeches, I gathered that they were opposing the Bill.

Some Hon. Members: Yes.

Shrimati Ammu Swaminadhan: You should support it with all the vehemence.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member is quite right in his guess.

Shri Damodara Menon: My hon. friend Shrimati Ammu Swaminandhan advises me to support it with vehemence. I come from a part of India where the matriarchal system is generally followed by the Hindus. Women are held in high respect and we follow in many matters their advice. I shall follow the advice of my hon. friend Shrimati Ammu Swaminadhan and vehemently, though I am not capable of vehemence, support the Bill.

There has been some discussion about the idea of equality between men and women in this particular matter of property rights. I think Shri V. G. Deshpande tried to ridicule the idea by reference to biological principles. Biological principles have very little application here. We are concerned here with the basic right of women to claim equal status with men in civic matters, in economic matters, in social matters. That is a rightful claim. It is wrong in a modern state or society to deny that claim. Therefore, I am all in favour of the provisions of this Bill which grant equality of status and rights to women in the matter of ownership of property and to succeed to joint family property. I do not want to go into further details. I know there are many women Members who very staunchly stand for the rights of women and also support the provisions of this Bill, and especially clause 6, which grants the right to women to inherit joint family property, I mean coparcenary property. I shall confine my remarks to the provisions of the Bill regarding Marumakkattayam.

I was trying to follow Pandit Thakur Das Bhargava when he referred to uniformity. He said that uniformity was not a wholesome principle. He said that he was not standing for uniformity in this matter. He was also saying that there was little uniformity attempted in the provisions of this Bill. This is not right. In this connection, I must pay a tribute to Shri Pataskar, the Law Minister, for the infinite patience with which he tried to bring some kind of uniformity in the Hindu Law of Succession. Because, if you go from one end of India to the other you find a number of communities and sections of Hindu society which follow different patterns of succession law. In the Kerala area itself there are a number of them. It is true that the majority of the Hindus of Kerala follow the Marumakkattayam or matriarchal system, but even here there are a number of communities and castes and sub-castes which have been following different systems of law, and there have been different Acts there. I mention only a few that are now prevailing in the Kerala Area: the Madras Marumakkattayam Act, the Travancore Nayar Act, the Travancore Ezhava Act, the Nanjanad Vellalah Act, the Travancore Kshatriya Act, the Krishnam Vaka Marumakkattayam Act, the Cochin Marumakkattayam Act, the Cochin Nayar Act, the Madras Nambudri Act, the Travancore Malayala Brahmin Act and so on. You will remember that in the original Bill which was referred to the Joint Committee, all these Acts were excluded from its purview. Today we find that this exemption has been taken away, naturally because the Joint Committee accepted the basic principle that women shall have equality of right with men in regard

[Shri Damodara Menon]

to property. When that concession was made with regard to coparcenary property, there was hardly any necessity for the people who follow the Marumakkattyam law to insist upon an exemption for their separate small bits of law. That was why some amount of unifomity was achieved in this Bill.

Clause 7 of the Bill applies particularly to Marumakkattayam law. This is an important provision which seeks to bring about some change in the laws that govern different sections of Hindu society in Kerala. The majority of the Hindus there, of course, follow the Marumakkattayam law, but during the last 50 years owing to the influence of modern social ideas and also the impact of economic forces, the ancient joint Hindu family of the Marumakkattayam system with its hoary traditions is now fast disappearing. In Malabar it has not completely disappeared, but in Travancore-Cochin it has almost disappeared. Therefore, it is not possible for us today to hold fast to the old idea of the Marumakkattayam joint family. In the number of Acts, I mentioned before, attempts have been made to bring about some kind of change in the joint family system in Travancore-Cochin and also in Malabar. It is not as if the old Marumakkattayam system is kept intact. Therefore, when this succession law was brought forward and an attempt was made by the Law Minister and also the leaders of public opinion in the Kerala area to bring about some amount of uniformity in the system of succession law, the people in Kerala area accepted this principle very easily and very readily also. Shri Pataskar recently toured the Kerala area and he consulted representative opinion in Trivandrum, Ernakulam and Malabar and I understand there was almost unanimity in the support that was offered to the provision contained in this Bill.

What does this clause say ? It says.

> "When a Hindu, to whom the *marumakkattayam, aliyasantana or nambudri* law would have applied if this Act had not been passed, dies after the commencement of this Act, ... his or her interest in the property shall devole by testamentary or intestate succession, as the case may be, under Act and not according to the *Marumakkattayam, aliyasantana* or *nambudri* law."

This provision is in many respects similar to clause 6 which deals with succession to *Mitakshara* coparcenary property. But there are one or two points of difference.

In the first place, clause 7 deals with the interests of both the male and female members of the joint family, because in the *Marumakkattayam* joint family women have equal, if not superior rights to men in the matter of enjoyment and ownership and also inheritance of joint family property. Therefore, it was felt necessary that provision must be made for the intestate succession of both males and females belonging to the *Marumakkattayam* joint family.

Sub-clause (2) of clause 7 says that the interest of a Hindu in a joint Hindu family in Kerala shall be deemed to be the share in the property that would have fallen to him or her if a partition of the property *per capita* had taken place immediately before his or her death among all the members of the joint family then living whether he or she was entitled to claim such partition or not according to the existing Act. Therefore, there is a notional partition of the property on the death of any member, whether male or female. This, as you will see, is an advance on the provision of clause 6. I am glad to say that in respect of this also there is unanimity of opinion in support in the Kerala area. The only difference is in the matter of the Schedule of successors. We people, who follow the *Marumakkattayam* law, feel that mother should take her rank in Class I of the Schedule. In the Joint Committee this principle was accepted. This 'mother-right', if I may use the term, was conceded, but when the Bill went to the Rajya Sabha, the Members of the Rajya Sabha felt that mother should not take her rank in the first Class of the Schedule, and they placed her with father in the second Class. When this change was effected, of course, some alterations had to be made. Some special provision had to be indicate the line of successors of *Marumakkattayam* members, both male and female, in the joint family property. Such a provision has been incorporated in the Bill. This is to some extent at variance with the idea of uniformity, but we could not help it because we feel that our system of inheritance is in many respects better than the line of inheritance that has been embodied in the Bill and that has also been accepted by the Rajya Sabha. Therefore, we had to demand that a seperate schedule in this particular matter should be provided for the followers of the *Marumakkattayam* law.

Apart from this, we find that the idea that women should have equal rights with men in the matter of ownership and also inheritance of property is a contribution of the *Marumakkattayam* system to the rest of the Hindu community. We are proud of the fact that in our own area, women enjoy such rights. I can assure hon. Members who have been so vehemently opposing this provision that in the Kerala areas there has not been any kind of disruption or unhappiness in social life because women are given equal if not superior property rights. I am also glad to state that some of the social tensions and frustrations that we find in other parts of India, especially among the Hindus who follow other systems of inheritance, are not to be found in the Kerala area. Therefore, I can with some amount of experience and authority, assure the hon. Members that they are not losing anything by granting this right to women of their own community. Daughters and sons must surely be treated equally not only in the matter of affection. It has been stated here: "Of course, we all treat the daughter equally as the son in the matter of family affection etc.", but if that is so, where is the harm in giving them also a share of the father's property equal to that of the son? You cannot have it bothways. As I stated before, it will not work for the uphappiness of the Hindu community. It will only bring more solidarity and also keep the community in tune with progress in social thought, and it will also be implementing the directive principle of our Constitution that women must be treated equally with men, that women must be treated on a par with men in all respects.

Shri V. G. Deshpande: Is matriarchal system a Directive Principle?

Shri Damodara Menon: It is not a Directive Principle. I never said that that was a Directive Principle. I only said that the Directive Principle of our Constitution says that there must be a social justice, and there must be equality of status and treatment as between men and women. That was what I said. If it so happens that under the matriarchal system, this equality has been granted, then that only shows that so far as the matriarchal system is concerned, they have been able to follow the Directive Principle and put it into practice earlier than the embodiment of that principle in the Constitution itself.

I now come to sub-clause 3 of clause 7 which deals with the *sthanamdars* of Kerala. I do not think many of the Members here would know what a *sthanam* means. *Sthanams* are peculiar institutions existing in Kerala. They are governed by customary law. There were many chieftains in ancient Kerala, both big and small, who held sway over pieces of territory. Those chieftains were following the *Marumakkattayam* law and were members of joint matriarchal families. For the maintenance of the status and position of the eldest member of the joint family, who by survivorship became a chieftain, extensive lands and property were specially set apart. These were called *sthanam* properties and the holder of the *sthanams* had absolute right of enjoyment of those properties.

There are many such *sthanams* in Kerala. The Zamorin of Calicut is probably the biggest *sthanamdar* on the West Coast. Sub-clause (3) of clause 7 seeks to put an end to *sthanams,* after the death of the *sthanam-holder,* by saying that when a *sthanamdar* dies after the commencement of this Act, the *sthanam* property held by him shall devolve upon the members of the family to which the *sthanamdar* belonged and the heirs of the *sthanamdar* as if the *sthanam* property had been divided *per capita* immediately before the death of *sthanamdar* among himself and all the members of the joint family then living, and the shares falling to the members of the joint family and the heirs of the *sthanamdar* shall be held by them as their separate property. That is the provision of sub-clause (3) of clause 7. I am glad to say that this provision has also the support of the public opinion of Kerala, and this is a very necessary item of reform, because we do not want these large *sthanams* to continue to exist in free India today. When we are moving towards a socialistic pattern of society, it is high time that we put an end to concentration of property in the hands of a single holder. I hope, therefore, that the Bill will be passed into alw without any major alterations or amendments.

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सुबह से इस बिल के बारे में बात चीत हो रही है। चाहती तो मैं यह थी कि औरतों को अधिकार देने के सम्बन्ध में जो कुछ कमी इस बिल में रह गई है उस पर रोशनी डालूं, परन्तु मुझको इस बात से सचमुच बड़ा अफसोस है कि जो कुछ बिल में है भी उस का भी यहां पर बहुत से भाई इस कदर विरोध कर रहे हैं। वैसे तो मैं ने इस बिल को सीधा किया, उल्टा किया,

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

इधर पलटा, उधर पलटा, फिर भी मालूम नहीं हुआ कि इस में औरतो को क्या दिया गया। उसके बावजूद भी जब मैं ने उसका विरोध देखा तो मेरे दिल पर बहुत सख्त चोट लगी, और ज्यादा चोट इस बात से लगी कि हमारे आनरेबल मेम्बर (माननीय सदस्य) पंडित ठाकुर दास जी ने राम और सीता का नाम ले कर स्त्रियों को अधिकार देने का विरोध किया। उन्होंने पत्नियों को अधिकार देने का ही विरोध नही किया, लड़कियों के अधिकार का भी विरोध किया। आज के वक्त में राम और सीता का नाम ले कर ऐसी बातों का विरोध करना मैं समझती हूं कि बहुत नामुनासिब है।

श्री वी० जी० देशपांडे : नाम लेना ही नामुनासिब है।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : आज वक्त बहुत बदल गया है। आज सीता का नाम लेते हुए लोग उनकी जिन्दगो का दूसरा पहलू बिल्कुल भूल जाते हैं। पतिव्रता सीता हमारी बहन थीं, वह जंगल में गई।

Pandit K. C. Sharma : On a point of order. Certain historical and religious personalities are held in reverence, and they have a sacredness about them. They should not be subjected to the rational criticism of the modern world, for it injures the susceptibilities of certain Members. I would, therefore, request the Chair not to allow the mention of these sacred personalities in relation to the judgment on the provisions of this Bill.

Shri B. S. Murthy : The hon. Member said, rational criticism. Can anything be subjected to irrational criticism?

Mr. Deputy-Speaker : That is a good appeal, but that should be for the Members to decide. There is no point of order in this.

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उपाध्यक्ष महोदय मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मेरे मित्र नें महान सीता का नाम लेने पर ऐतराज किया। जिस वक्त उनका नाम ले कर दूसरी बात कही जा रही थी उस वक्त एतराज नहीं किया गया। मै ने उस वक्त ऐतराज किया था।

एक माननीय सदस्य : तुम बड़ी भली हो।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : आज उनका नाम ले कर यह सब कहा जाये और उन की जिन्दगी के दूसरे पहलू पर ध्यान न दिया जाये कि वह जंगल जंगल में मारी मारी फिरीं जो कि पतिव्रत औरधर्म की आखिरी सीमा थी उन की जिन्दगी में, और जब जंगल से वह लौटीं तो एक धोबी के कहने पर ही उनको फिर जंगल भेज दिया गया जो कुछ उन्होंने किया उस से उन के सामने आदर के साथ मेरा मस्तक नत हो जाता है। परन्तु मैं कहूंगी कि आज वक्त बहुत बदल गया है। आज अगर कोई धोबी किसी स्त्री को ऐक्यूज (दोषारोपण) करे तो वह बन जाने के लिये तैयार नहीं होगी। क्या आज किसीं एक धोबी के ऐक्यूज करने पर ही इतनी बेइन्साफी के साथ महान सीता को जंगल भेज दिया जाता? आज मुझ को किसी के इस तरह कहने पर ही ऐतराज होगा। मैं सत्य कहती हूं, अगर जंगल जंगल मारी मारी फिरने के बाद और उस सीमा तक अपना धर्म निभाने के बाद किसी एक धोबी के कहने पर मेरा पति मुझ को जंगल भेजना चाहे तो मैं जंगल नहीं जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसी बात पर क्यों सारा वक्त खर्च कर रही हैं?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : इस लिये मैं कह रही हूं कि हमारे दिलों पर इस तरह की चीजों को कह कर चोट मारी जा रही है। कोई मार्डन (आधुनिक) कह कर, कोई आज का वक्त कह कर, को हिन्दू धर्म का नाम लेकर जो हमारी बेसिक (बुनियादी) तकलीफें हैं उन पर गौर नहीं करने देता। आज हाउस के अन्दर सीता और राम का नाम लेकर स्त्रियों के सेन्टिमेंट्स (भावना) को उभारने की कोशिश की जा रही है, इस से मुझे काफी चोट पहुंची है।

मुझे कहना तो यह था कि जो प्रश्न हमारे सामने आज है वह है स्त्री को अधिकार देने की बात, लड़कियों को अधिकार देने की बात। जहां तक स्त्री को सम्पत्ति देने की बात है, मैं ने यह देखा कि किसी सदस्य को कोई खास विरोध नहीं है। विरोध सिर्फ इस बात पर है कि उन को ऐसोल्यूट राइट (परमाधिकार) दिया गया। इस तरह से लड़कियों को अधिकार दिये जाने का विरोध होता है। मैं चाहती हूं कि पहले जो स्त्रियों को अधिकार दिये जाने की बात है उस पर रोशनी डालूं। कहते हैं कि उसे अपनी सम्पत्ति पर ऐब्सोल्यूट अधिकार नहीं मिलना चाहिये, और इसके समर्थन में किस्म किस्म की बातें कही जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि वह ठीक से सम्पत्ति की देख भाल नहीं कर सकती हैं, उन में समझ नहीं है। मैं हाउस से अर्ज करूंगी कि आप देखिये कि औरत किस प्रकार कौड़ी कौड़ी जमा करके काम चलाती है और कौड़ी कौड़ी जमा करके अपने पति का घर बनाती है।

अगर पति को ५० रु० मिलते हैं तो उतने में काम चलाती है और अगर १०० रु० मिलते हैं तो उतने में काम चलाती है । लेकिन इस पर भी कहा जाता है कि उस के पति के मर जाने के बाद जिस घर को उसने बनाया है उस पर उसका तनिक भी अधिकार न हो । अभी मेन्टेनेन्स (गुजारा) की बात कही गई मुझे इस बात पर सख्त ऐतराज है यह बड़े अफसोस की बात है कि आज यह कहा जाता है कि औरत को सिर्फ मेन्टेनन्स दिया जाये, जायदाद पर कोई अधिकार न दिया जाये । यह भी कहा गया कि ज्वायेंट फैमिली सिस्टम (संयुक्त परिवार प्रणाली) का क्या महत्व है । तमाम हिन्दू भाइयों को अपील कर के हमारे आनरेबल मेम्बर पंडित ठाकुर दास जी ने कहा कि आज कौन हिन्दू है जो अपने दिल पर हाथ रख कर यह कह सके कि किसी हिन्दू ने अपनी बीबी से या अपनी मां से अच्छा सलूक नहीं किया । मैं भी कहती हूं कि अपने दिल पर हाथ रख कर देखिये कि आप का सलूक उसके साथ क्या रहा है । सारे मुल्क में जो सलूक एक विधवा के साथ होता है, उस को भी देखिये । ठीक है, कहीं बैठा कर आप एक टुकड़ा दे देते हैं, ठीक है, शायद उसके बच्चे भी कभी कभी आप की छत के नीचे पड़े रहते हैं । लेकिन किसी समय विधवा के साथ इस से भी बुरा सलूक किया जाता था। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इसीलिये विधवाओं के लिये पुनर्विवाह करने की बात नहीं कही गई ? यह बहुत पुराना इतिहास नहीं है, सब इस से वाकिफ हैं । आज वक्त बदल गया है । आज लोगों के रहने का स्टेंडर्ड (स्तर) बदल गया है । आज एक बेवा सिर्फ बर्तन मांजकर और घरमें गुलामी की जिन्दगी बिताकर नहीं रहना चाहती, वह चाहती है कि जिस तरह से कि आपके बच्चे खाते पीते हैं उसी तरह से उसके बच्चे भी खायें और पियें, जिस तरह से आपके बच्चे शिक्षा पाते हैं उसी तरह से उसके बच्चे भी शिक्षा पायें । एक समय था जब कि एक बेवा यह सोचती थी कि मेरी किस्मत में यही लिखा है । लेकिन आज वक्त बदल गया है । आज एक गरीब आदमी समझता है कि अगर वह भखा मरता है तो यह उसकी किस्मत की वजह से नहीं है बल्कि यह इसलिये है कि कानून में कहीं कोई खराबी है । आज अगर आप देखते हैं कि किसी ने डाका मारा तो कहते हैं कि वह भूखों मरता था, इसमें उसका क्या दोष है । तो आज हम आपसे कोई चीज मांग नहीं रहे हैं । न हम औरतों और मरदों की बराबरी का सवाल ही उठा रहे हैं । हम तो आपसे यह दरख्वास्त कर रहे हैं कि कानून ने जो दिक्कत पैदा की है उस दिक्कत-को आप हटा दीजिये । कुछ देने का सवाल नहीं ह। अगर आज कोई बाप कहता है कि मैं अपनी लड़की को कुछ नहीं देना चाहता, तो यह बात समझ में आ सकती है अगर कोई मां यह कहती है कि मैं अपनी लड़की को नहीं देना चाहती तो मैं इसे समझ सकती हूं । पर अगर आज हुकूमत कहे कि हम तुमको देने नहीं देंगे, अगर बाप मर गया है और उसने कुछ कहा नहीं है तो हम लड़के और लड़की में फर्क करेंगे तो यह मेरी समझ में नहीं आ सकता । हमारा स्त्री और पुरुष का कोई झगड़ा नहीं है । मैं हाउस के सदस्यों से दरख्वास्त करूंगी कि वे इस पर गौर करें ।

4—103 Lok Sabha.

इसके बाद मैं लड़की के अधिकारों के बारे में कहना चाहती हूं । मुझे इस बात से चोट पहुंची है कि कई सदस्यों ने बड़े जोश व खरोश के साथ लड़कियों के अधिकारों की मुखालिफत की । उनको यह नहीं भूलना चाहिये कि जब इस सदन में लड़कियों के अधिकारों के बारे में बात होती है तो वह सिर्फ दूसरों की लड़कियों के बारे में नहीं होती, उसमें इस सदन के उन सदस्यों की लड़कियों का सवाल भी शामिल होता है, जो कि उन चीजों की मुखालिफत करते हैं । जब हमारे घर की किसी लड़की का इस तरह का सवाल होता है तो हम चाहते हैं, और हर कोई मां बाप चाहता है कि दुनिया भर के कानून उसकी मदद करें, लेकिन जब हमारे घर की तकलीफ नहीं होती तो हमारी उस तरफ नजर भी नहीं जाती । आज हमारे जो भाई इस सदन में बैठे हैं वे रात दिन अपनी डिमांड्स (मांग) पेश करते हैं । कहते हैं कि तनख्वाह ऊंची होना चाहिये, प्रावीडेंड फंड (भविष्य निधि) होना चाहिये और अगर उन पर और भी कोई मुसीबत आ जाये तो उसके लिये भी इन्तिजाम होना चाहिये । जब कोई आदमी चोरी करता है तो कहा जाता है कि वह इसलिये चोरी करता है कि वह भूखा है, उसका पेट नहीं भरता । तो मैं आपका ध्यान इतनी बड़ी बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि स्त्री को कोई अधिकार नहीं है । क्या आप चाहते हैं कि वह पैसे के लिये दरबदर ठोकरें खाती फिरे । आज इस देश में स्त्रियों का भी बराबर का अधिकार है । आज हम सोशलिस्ट समाज को लाने की बात कर रहे हैं । क्या वह सिर्फ मर्दों के लिये ही होगा । आज माननीय सदस्यों की बहिनें पूछ सकती हैं कि क्या यह

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

समाजवादी ढांचा सिर्फ मर्दों के लिये ही है, क्या इस में लड़कियों का कोई अधिकार नही रहेगा ।

तो मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूं कि इस चीज के लिये दो तीन ऐतराज किये गये हैं । एक तो यह ऐतराज किया गया है कि इससे मुकदमे बाजी बढ़ जायेगी । लेकिन मैं तो कहती हूं कि जितनी मुकदमे बाजी ज्यादा होगी उतनी ही ठाकुर दास भार्गव को मुबारक है क्योंकि उनको इससे फीस तो मिलेगी । काहे का ऐतराज है । कौन नहीं चाहता कि आज जो मुकदमेबाजी होती है वह खत्म हो जाये और कोई ऐसा तरीका निकल आवे कि अदालत के बाहर ही झगड़ों को बगैर वकील, बैरिस्टर की मदद के फैसला हो जाया करे । लेकिन सिर्फ लड़की के लिये ही मुकदमे बाजी की जो बात कही जाती है वह मेरी समझ में नहीं आ सकती ।

यह भी कहा गया कि इससे भाई बहन में प्रेम कम हो जायेगा । आज वह जमाना नहीं है जब कि भाई अपनी बहिन से यह कह सकता है कि जब कि तुम अपना अधिकार न मांगो और जो मैं खुशी से दे दूं उसी को लेलो, और अगर तुम ऐसा करोगी तभी मैं तुम्हारा आदर करूंगा । मुझे वह जमाना याद आता है जब कि हम दिल्ली क्लाथ मिल के आगे मजदूरों को बोनस दिलाने के लिये हड़ताल करते थे । उस वक्त मिल मालिक हमसे कहते थे कि बोनस मजदूर का अधिकार नहीं है । हमारी मर्जी है कि हम बाप की तरह से अपने बेटे को चाहे कुछ दें और उसको उसे खुशी से लेना चाहिये लेकिन आज हम बाप बेटे के रिश्ते के लिये नहीं लड़ते, आज हम मजदूरों के अधिकारों के लिये लड़ते हैं । अगर आज कोई भाई अपनी बहिन को खुशी से देना चाहते हैं तो दें, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहते । सवाल तो उन लोगों का है जो बहिनों का हक नहीं देना चाहते हैं । आज इस सदन के माननीय सदस्य अपनी छाती पर हाथ रख कर देखें, क्या उनको नहीं मालूम कि आज ऐसे भाई हैं जो कि आराम की जिन्दगी बिताते हैं और जिनकी विधवा बहिनें दर दर की ठोकरें खाती फिरती हैं । कोई यह कह सकता है कि उसे यह नहीं मालूम कि लड़के महलों में रह रहे हैं और उनकी मां घर घर बरतन मांज कर गुजर कर रही है । मैं शहर या गांवों का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन क्या आज हमको यह नहीं मालूम कि हमारी हजारों बहिनें रोटी के दो टुकड़ों के लिये अपनी इज्जत बेच रही हैं। आप दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े शहरों में यह देख सकते हैं । हम जब उनको इस दशा में देखते हैं तो हमको सीता और सावित्री की याद नहीं आती । मैं आपसे अदब से अर्ज करना चाहती हूं कि जब मैं इन बहिनों को इस हालत में देखती हूं तो मेरे दिल में उनको उठाकर सीता और सावित्री जैसा बनाने की इच्छा होती है । आज मेरी समझ में यह नहीं आ सकता कि पंडित जवाहर लाल की हुकूमत में ऐसा कानून बनाया जाये जो कि औरतों की उन्नति में रुकावट पैदा करें ।

यह भी कहा गया कि लड़की शादी के बाद दूसरे घर में चली जाती है और उसका गोत्र तक बदल जाता है । उसका नाम बदल जाता है । लेकिन मैं कहती हूं कि ये सब कानून मर्दों के ही तो बनाये हुए हैं । इस समय मेरी मर्दों और औरतों में कोई जंग छेड़ने की इच्छा नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : वह छिड़ जायेगी ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर (औचित्य प्रश्न) है । माननीय वक्त्री महोदय ने कहा कि जब वे वैश्याओं और पतिता स्त्रियों में जाती हैं तो उनको सीता और सावित्री का स्मरण हो आता है और वे उनसे इन स्त्रियों की समानता करना चाहती हैं । मेरा अनुरोध है कि यह हिस्सा एक्सपंज (निकालना) कर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अच्छी तरह से सुन नहीं रहे थे । जो वह कह रहे हैं वह नहीं कहा गया, कुछ और कहा गया है ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों की यह आदत है कि वे दूसरों के भाषण को ट्विस्ट करके (तोड़ मोड़ कर) पेश करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को ऐसा नहीं कहना चाहिये । यह बात गलत है ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : माननीय सदस्य मेरी बात सुनते नहीं हैं और फिर अपने प्रेजुडिस (ईर्ष्या) को सामने रख कर अन्दाजा लगाते हैं ।

तो मैं यह कह रही थी कि यह कहा गया है कि लड़की दूसरे घर चली जाती है और उसका गोत्र तक बदल जाता है । लेकिन मेरा यह कहना है कि यह कानून भी तो मर्दों के ही बनाये हुए हैं ताकि लड़की का नामो निशान तक मिटा दिया जाय । पर हमको इस पर कोई ऐतराज नहीं

है । पर हमको उस रुकावट पर ऐतराज है जो कि लड़की के अधिकार में डाली जाती है, और मैं आपसे अर्ज करूंगी कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि लड़की को अधिकार देना जरूरी है । यहां पर यह भी सुनने में आया कि लड़की को आधा या तीन चौथाई हिस्सा दे दिया जाये । एक अनरबुल मेम्बर ने कहा कि मैंने किसी वक्त यह कहा था कि हम स्त्रियां जितने अधिकार अपने लिये चाहती थी, उससे ज्यादा इस बिल क द्वारा हमको मिल रहे हैं और हम अपने लिये इतने ज्यादा अधिकार नहीं चाहती थी, मैं भला ऐसे कुफ्र की बात कैसे अपने मुंह से कह सकती हूं । मैंने तो उस समय यही कहा था और आज फिर उसे दुहराना चाहती हूं कि हम अपने लिये आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, ज्यादा मांगने का सवाल नहीं है और न ही यह सवाल है कि आप हमको डेढ़ गुना दीजिये, दुगना दीजिये या चार गुना दीजिये, पर स्त्रियों के लिये हम बराबरी का अधिकार जरूर मांगती हैं । अब कोई यह कहे कि लड़कियों को जायदाद में से आधा दिया जाये, चौथाई दिया जाये या तीन चौथाई दिया जाये और इसके पीछे यह चीज छिपी मालूम पड़ती है कि लड़कियों को जायदाद में हिस्सा देना मानों सांप को दूध पिलाना है । आज हमारे हिन्दू समाज में लड़कियों की क्या दशा है ? आज यह देखने में आता है कि जिस घर में लड़की पैदा हो जाती है, उस घर के मां, बाप का मुंह सूख जाता है और हमारे यहां का कुछ आर्थिक ढांचा इस किस्म का है कि लड़की घर वालों पर बोझ स्वरूप दिखने लगती है और उस मां बाप की नजर में भी जो कि लड़की और लड़के को समान रूप से प्यार करते हैं, और मुहब्बत होती है, वे मां और बाप भी लड़की को अपने दिल में एक भार ही समझती हैं । आजकल के सामाजिक जीवन में एक लड़की को उसकी ३ या ४ वर्ष की अवस्था से ही घर का काम काज जैसे खाना बनाना, सीना, पिरोना और दूसरे घरेलू काम धंधे सिखलाये जाने लगते हैं और उसको कहा जाता है कि यह सब काम सीखना उसका फ़र्ज है, क्योंकि बड़ी होने पर उसे पराये घर में जाना है और अगर वह अभी से सब काम काज नहीं सीखेगी तो ससुराल में जाकर मां, बाप का नाम धरायेगी कि मां, बाप ने बेटी को इतना बड़ा तो कर दिया लेकिन सहूर और कामकाज लाज कुछ नहीं सिखाया । जहां तक कामकाज सिखाये जाने का ताल्लुक है, वह सब अच्छी बातें हैं और मझे उनके सिखने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उसके पीछे जो एक भावना काम करती है कि बड़ी होने पर हमारा मायके से कोई ताल्लुक नहीं रहने वाला है और बड़ी होने पर एक जानवर या गाय, बैल के समान दूसरे घर की चीज समझ कर सौंप दिया जायेगा, मुझे इस भावना पर आपत्ति है, मानों हम कोई जानवर या जायदाद हों जो कि दुसरे शख्स को हमेशा के लिये सौंप दी जाने वाली हैं । मैं ऐसे घरों को जानती हूं जहां कि लड़कियों को दूध नहीं दिया जाता है, और मैं ऐसे घरों की बाबत भी जानती हूं जहां कि लड़की को घी भी देना जरूरी नहीं है और यह वाक़या है कि लड़कियों के पालन पोषण पर उनकी तवज्जह नहीं दी जाती है जितनी कि लड़कों के लिये दी जाती है । लड़की को गाय, बैल समझा जाता है जिसको कि बड़ी उम्र होने पर योग्य अथवा अयोग्य वर के साथ में सौंप दिया जाये और दान कर दिया जाये । यह कोई नहीं देखने की पर्वाह करता कि उस गरीब लड़की को जिसको कि गाय समझ कर दान किया जा रहा हैं, उसके दिल पर क्या असर होता है और ऐसी अपेक्षा का भाव देख कर वह लड़की यह समझती है कि मेरे जीवन का एकमात्र जो ध्येय अथवा उद्देश्य है वह शादी करना है और शादी किये बगैर मेरा जीवन बर्बाद हो जायेगा और अगर दुर्भाग्यवश उसकी शादी खराब हो गयी, लड़का नालायक निकल गया या दुर्भाग्य से मर गया तो वह उस लता की तरह होती है जो बगैर पेड़ का सहारा लिये हुए अपने आप खड़ी ही नहीं रह सकती और वह तबाह हो जाती है । उस लड़की के दिल में वह आत्मविश्वास का भाव नहीं आता और उसके दिल में ऐसा भरोसा नहीं रहता और वह अपनी जिन्दगी को उसके बाद ठीक तरह नहीं चला पाती है । आज पाकिस्तान में जो हमारी बहुत सी बहनें पड़ी हुई हैं, उनको जब हम लोग वहां से निकालने जाते हैं, तो कभी कभी हमारे कानों में यह अवाज आती है कि हम यहां से निकलना नहीं चाहते क्योंकि वह समझती है कि मेरे मां, बाप, भाई और पति सब छुट चुके हैं और मैं अब यहां से कहां जाऊंगी, यह सब सोच कर वह यह मुनासिब समझती है कि उस आदमी ने जिसने कि उसको अपने घर में रख छोड़ा है उसी का दामन वह पकड़े रहे और अपनी जिन्दगी किसी तरह गुजार दे । अब अगर उस लड़की का अपने मां और बाप के घर में अधिकार होता, उस की साइकौलाजी (मनोविज्ञान) में कुछ फर्क होता और वह यह चीज समझती कि शादी जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, शादी जीवन का एक काम हो सकता है पर शादी जिन्दगी के लिये एक उद्देश्य और ध्येय

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

नहीं हो सकता, शादी केवल एक मींस (जरिया) हो सकती है तो उसकी हालत और ही होती। आज लोग अपनी लड़कियों के लिये अच्छे और योग्य वर की तलाश में मारे मारे फिरते हैं और ज़ाहिर है कि हर बाप की ख्वाहिश होती है की मेरी लड़की की शादी योग्य वर के साथ सम्पन्न हो लेकिन अगर दुर्भाग्यवश वह योग्य वर तलाश करने में असमर्थ रहता है, तो घर लौट कर लड़की की मां से और लड़की को भी सुना कर कहता है कि मेरी ज़िन्दगी में अगर इस लड़की के हाथ पीले हो जाये तो अच्छा है, क्योंकि कल को अगर मैं नहीं रहा तो इसका क्या होगा और इसको दाल रोटी कौन खिलायेगा? आज लड़की के बाप को यह चिन्ता नहीं है कि लड़की क्या करेगी बल्कि उसको चिन्ता इस बात की है कि मेरी आंख मुंद जाने के वाद लड़की को कोई पूछने वाला नहीं है और उसको कोई सहारा नहीं रहेगा और अगर कोशिश करने के वावजूद भी योग्य वर नहीं मिल पाता तो जैसा भी वर मिलता है उसके साथ उसकी शादी कर देता है और गाय के समान उस पुरुष के हाथ में उसको दे देता है। आज लड़की उस गरीब दुकानदार का सौदा है जो अपना सौदा नहीं रख सकता है, अमीर दुकानदार तो अगर उसके सौदे की उचित क़ीमत न मिले तो वह उसको नहीं बेचेगा और उसको आगेके लिये रख छोड़ेगा लेकिन लड़की का सौदा उस गरीब दुकानदार के सौदे के समान है जिसको कि अपने सौदे को जैसा भी मंहगा या सस्ता ग्राहक मिले, दे देना ही है।

मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव से पूछना चाहती हूं जो कि पंजाब के रहने वाले हैं कि क्या शादी के अवसर पर इस तरह का गीत नहीं गाया जाता है कि जिसका कि यह मतलब होता है कि बेटी शादी हो जाने के बाद मायके रोज रोज आना, बाप कहता है कि बेटी कभी कभी इस घर में आती रहना, लडकी का भाई कहता है कि कभी कभी मत आना, खाली जब तीज त्योहार आयें तब आना और उसकी भाबी कहती है कि जब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिये यहां फिर आने की ज़रूरत ही क्या है। पंजाब में यह गाना काफ़ी प्रचलित है और शादियों के मौक़े पर अक्सर गाया जाता है और लड़की के मां बाप जब यह गाना गाया जाता है तो उनको रोना आ जाता है। यह भाई और बहन के प्रेम की दुहाई देने वाले अपने दिल में जानते हैं कि वास्तव में इसकी क्या हक़ीक़त है। मैं इसके लिये उनको दोष नहीं देती आजकल की हालत ही ऐसी है अपने कुटुम्ब के इंटरेस्ट (हित) और बीबी बच्चों की वजह से वह मजबूर हो जातें है और ऊस प्रेम की दुवाई से काम नहीं चलता है। अगर लड़की को कोई बेसिक अधिकार प्राप्त हो तो वह चीज़ चल सकती है अन्यथा नहीं। मुझे यह बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि लड़की को तो पिता की सम्पत्ति में अधिकार दिलाने का केवल बहाना है, असल में लड़की के बाप की जायदाद में दामाद को अधिकार देना चाहते हैं, असल में सही बात तो यह है कि दामाद को अधिकार देने के सम्बन्ध में आपत्ति उठाकर वे लड़की को सम्पत्ति में अधिकार नहीं देना चाहते और दामाद की आड़ में लड़की को उसके अधिकार से यह शख्स वंचित रखना चाहते हैं। और फिर मैं पूछना चाहती हूं कि आप दामाद से इस क़दर घबराते क्यों हैं? शादी के वक्त लड़की का पिता उसी दामाद के पैर पूजता है और लड़की उसको दान करता है और मैं पूछना चाहती हूं कि अगर मुसीबत पड़ने पर वह लड़की के साथ में अपने ससुराल में रहना चाहे तो इसमें हर्ज ही क्या है और अगर आप उसको मुसीबत के वक्त अपने वहां नहीं रख सकते हैं तो फिर उसके हाथ में अपनी लड़की का ज़िन्दगी भर के लिये हाथ क्यों देते हैं? मैं यह अर्ज़ करूंगी कि यह जो आपकी दामाद की बात है, यह केवल एक बहानेबाज़ी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लड़की को उसके पिता की सम्पत्ति में अधिकार दिलाने की बात तो छोड़िये, उसको उसमें जाकर रहने का अधिकार भी नहीं है और पिता के घर में लड़की को रहने का अधिकार भी सिर्फ तभी हो सकता है जब कि या तो उसके पति ने उसको छोड़ दिया हो या उसका पति मर गया हो। अगर मुझ को मेरा भाई कहे कि मेरे घर में आकर तुमको रहने का अधिकार उसी हालत में है जब कि तुम्हारा पति मर जाये तो मैं उस घर पर थूकूंगी भी नहीं और उस घर की शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहूंगी।

आज आप पतिव्रत धर्म के पालन करने की बात तो करते हैं कि स्त्रियों को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिये लेकिन आज आप पति और पत्नी में यह फ़र्क करते हैं। आज मैं अपने ला मिनिस्टर (विधि मंत्री) साहब से पूछना चाहती हूं कि फ़र्ज़ कीजिये कि एक किसी बहन का पति बीमार हो गया है या अपाहिज हो गया है तो उस हालत म क्या वह बहन अपने बीमार पति के साथ अपने पिता के घर में जो कि काफी बड़ा है, आकर नहीं रह सकती

और उसको अपने पिता के घर में रह पानेके लिये इस बात का इन्तजार करे कि उसका बीमार पति मर जाये या तो उसको छोड़ जाये और तभी वह जा कर अपने पिता के घर में आश्रय पा सकती है अन्यथा नहीं। उस को क्या उसी तरह या हक़ या अधिकार नहीं है जिस तरह से पति का होता है। वह उसका अधिकार है कि उस को पिता के घर में जगह मिले।

आखिर में मुझे एक बात और कहनी है और में चाहती हूं कि श्री देशपांडे जी उस को ध्यान से सुनें, मैं एक खतरनाक बात कहने जा रही हूं, ताकि उस को सुन कर वह उस को मिस-इन्टरप्रेट (ग़लत अर्थ लगाना) न कर ले। हमारे बिल में एक क्लाज था कि जो बच्चे जायज नहीं हैं उनको भी सम्पत्ति में कुछ अधिकार मिलना चाहिये। हमारी सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में, या उस सदन में यह मुनासिब समझा गया कि उन को जायदाद में अधिकार न दिया जाये। हमारे ला मिनिस्टर साहब ने शायद उस को मंजूर भी कर लिया। आज मुझे पुरानी कहानी दोहरानी नहीं है क्यों कि आज वक्त बहुत बदल गया है। एक वक्त ऐसा था कि कोई पड़ा भी मिलता था तो उस को उठा कर अपने घर लाने की बात नहीं सोच सकते थे, पर आज परिस्थिति बदल गई है। आज दूसरे मुल्क में भी और हमारे मुल्क में भी बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जिन का कोई कुसूर नहीं पैदा होने में। आज हमारा देश इतनी तरक्की कर गया है कि आज ऐसे बच्चों को लोग अपनी छाती से लगाते हैं। आज वह बच्चे घर घर इस तरह से धक्के नहीं खाते जिस तरह पहले खाते थे। मैं आप को वह होम्स (घर) दिखाऊं जहां से लोग आ कर और खुशामद करके उन को ले जाते हैं। हम ने इस चीज को महसूस किया कि इन बच्चों की पूरी हिफाजत की जानी चाहिये और इस को ध्यान में रख कर बहुत से ऐसे होम्स चलाये गये। आज इतिहास बतलाता है कि इस तरह के बच्चे दुनिया में हमेशा से रहे हैं। उन बच्चों में बहुत से अच्छे बच्चे भी हुए, बहुत से महापुरुष भी हुए। आज भी यह कहना मुश्किल है कि कौन बच्चा आगे चल कर क्या बनेगा। उस बच्चे को सम्पत्ति सिर्फ इस लिये न दी जाये कि उस के पैदा होने में पैदा करने वालों का कसूर था, उस को उस से महरूम कर दिया जाये, यह मेरी समझ में नहीं आता है। हमारा यह फ़र्ज होना चाहिये कि हम उस को और उसके मां बाप की इतनी सहायता करें कि वह उन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बना सकें। आज वक्त वह आ गया है कि हम ऐसे बच्चों को सड़कों से उठा कर ले जायें, पालें, और इस बात की कोशिश करें कि वह अपने पैरों पर खड़े हों। आज उनको जितने भी सहयोग की जरूरत हो वह उन को दिया जाये। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूं जो कि बेहतरीन लोग हैं और इतने बेहतर लोग हैं कि कई दफा दिमाग में यह बात आती है कि अगर सब ऐसे हीं होते तो सारी दुनिया अच्छी होती। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जो आप कर सकते हैं उन के लिये, जो समाज कर सकता है उनके लिये वह भी हम और समाज न करें बल्कि ऊलटे उनके अधिकारों को छीन लें, यह कहां तक उचित है। यह बात हर्गिज नहीं होनी चाहिये। मैं ला मिनिस्टर साहब से कहूंगी कि अगर आज लड़की को जायदाद देने से कोई गड़बड़ी समाज के लिये पैदा होती है, आज अगर किसी मुसीबतजादा को अधिकार देने से समाज के लिये खतरा पैदा होता है, तो हम कानून में उस का प्राविजन (उपबन्ध) कर सकते हैं। हमारे देशपांडे जी भी वकील हैं, हमारे आनरेबल मेम्बर पंडित ठाकुर दास जी भी वकील हैं, दोनों ही लड़की को अधिकार देने का विरोध करते हैं, दोनों कहते हैं कि लड़की लड़के दोनों को जायदाद मिलने से हिन्दू धर्म चला जायेगा, खतरा पैदा हो जायेगा तो मैं अर्ज करती हूं कि अगर दोनों को जायदाद न मिल सके तो सिर्फ लड़की को दे दी जाये। पंजाब, दिल्ली और यू॰ पी॰ को बिल में से निकालने के बजाय लड़के के हाथ से अधिकार निकाल लिया जाये तो कोई नामुनासिब बात नहीं होगी। इसलिये मेरा यह विश्वास है कि यहां पर लड़के और लड़की की बराबरी का सवाल नहीं है। लड़के के साथ मेरी कोई मुखालिफत नहीं है, परन्तु हमारी समाजिक परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि लड़के लड़की दोनों के साथ बराबरी का व्यवहार हो सके। जाहिर है कि शारीरिक ताकत में कोई बराबरी नहीं है, बहुत सी बातों में अन्तर है। इसलिये मैं चाहती हूं कि दोनों में से जो ज्यादा विवश हो, जो ज्यादा मजबूर हो, जिस पर खुद अपने विवश बच्चे का ज्यादा भार रहता है उसके लिये मां बाप को ज्यादा प्राविजन करना चाहिये। आज हमारे समाज की अवस्था बड़ी खराब है, इसलिये अगर एक को ही मिलने की बात हो तो मां बाप का फर्ज है कि वह अपनी डाटर्स (लड़कियों) को ही दें।

Shri U. M. Trivedi: Before I proceed with the debate on the Bill, I would like to raise a point of order for decision by you, Mr. Deputy-Speaker. This Bill, as we all know and as we had a discussion today, is said to have been introduced in the Rajya Sabha.

One of the provisions of the Bill, contained in clause 31, is this:

> "If an intestate has left no heir qualified to succeed to his or her property in accordance with the provisions of this Act, such property shall go to the Government: (so far it is all right) and the Government shall take the property subject to all the obligations and liabilities to which an heir would have been subject."

It will not take me long to persuade you to come to the conclusion that the use of the words "obligations and liabilities to which an heir would have been subject" is meant to convey the idea that the Government would have to discharge those liabilities, if the liabilities do exist. If the liabilities do exist, they will have to be paid out of the Consolidated Fund of India.

An Hon. Member: Not necessarily.

Shri U. M. Trivedi: It is clear from the expression itself. They will have to be met from the Consolidated Fund of India if they do exist. If the liabilities are much more, as some voice behind me speaks, than the property, then they will be met by the State. The landed property may come but the liabilities may be much more than the value of the property. In that case, the liabilities and obligations will have to be met from the Consolidated Fund of India.

The provisions in article 117 are very clear:

> "A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President and a Bill making such provision shall not be introduced in the Council of States."

If a payment is to be made from the Consolidated Fund of India, as I have submitted . . . .

Shri Nambiar (Mayuram): It is too late.

Shri U. M. Trivedi: Everything is too late for every progressive.

Article 110(1)(d) provides like this:

> " if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters namely, ...
>
> . . . .
>
> (d) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India;"

If this is out of the Consolidated Fund of India, then this, read with article 117, which I have read out before, will require that the Bill can only be moved in this House with the recommendation of the President and could not have been introduced in the Council of States.

Shri A. M. Thomas: (Ernakulam): Is that all?

Shri U. M. Trivedi: My friend, Shri Thomas, is always anxious to uphold any point of the Government, but he may try to hear me also. With all the confidence at his command, Shri Thomas would realise that all the estates which are escheat do not bring in something to you; sometimes they take out something from you. There are occasions when the properties for which people clamour have got certain obligations attached to them; even under the Transfer of Property Act, the obligations are there and they have to be discharged. When this law very clearly lays down that the obligations and liabilities will have to be paid for by the Government . . . . .

An Hon. Member: Only to the extent of the value of the property.

Mr. Deputy-Speaker: The point of order has been formulated. What I understand from this is that if there is an estate and there are liabilities more than the value of it, then the liabilities should be met and nothing would escheat to the Government. There is no property left at all.

There is no question of escheat. Escheat comes in only if the liability is met and there is something to go to the Government. If there is nothing the liabilities are greater. Where is the estate and what would go to the Government? There is no point of order so far as this is concerned. I have given my ruling and now, the hon. Member may proceed to the next point.

Shri U. M. Trivedi: I am sorry I have not been able to make myself clear.

Mr. Deputy-Speaker: I am also sorry, I have been hasty in giving my ruling. But, both facts are there and let us proceed further.

श्री यू० एम० त्रिवेदी : उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझ से फिर एक बार मेरे दोस्त ने कहा और मजबूर किया कि मैं हिन्दी में बोलूं और मैं हिन्दी में ही इस विषय पर बोलना भी चाहता हूं । बात ऐसी है कि यह जो बिल सदन में हमारे सामने आया है वह हमारी गुलामी मनोवृत्ति का ही एक नमूना है । बहुत दिनों तक हमारे यहां बच्चों की पढ़ाई में, लड़कों की पढ़ाई में जो पढ़ाने वाले थे वह अंग्रेजी के जरिये, पाश्चात्य ढंग की शिक्षा के जरिये, यह कहते रहे कि हिन्दू समाज का ढांचा सामाजिक ढंग का होना चाहिये । पढ़ाने वाले ऐसे थे और छोटे बच्चों को जो पढ़ाया गया वह उसी प्रकार से उनक दिमाग में घुस गया । उसी का यह नतीजा है, जैसा कि मेरी पूर्ववक्ता श्रीमती सुभद्रा जोशी ने कहा, कि ऐसे भी घर हैं जहां पर लड़के मौज कर रहे हैं और उनकी मातायें दरदर बर्तन मांजने के वास्ते फिरती हैं । मुझे यह सुनकर बड़ा अफसोस हुआ । वह ऐसे ही लड़के होंगे जिनको केवल समाजवाद की ही शिक्षा मिली होगी । हिन्दुस्तान के रहने वाले तो वे हो नहीं सकते । वे समाजवादी हो सकते हैं । जिनको प्रोग्रेसिव कहा जाता है वे ही ऐसे हो सकते है, बाकी तो ऐसे नहीं हो सकते ।

उन्होंने एक बहुत दु:ख दर्द भरी बात कही कि स्त्रियों को अधिकार नहीं है । उनका फिकरा यह था कि हिन्दुस्तान की स्त्री को अधिकार नहीं है । क्या हिन्दुस्तान में हिन्दू ही रहते हैं ? हिन्दुस्तान में ईसाई औरतें भी रहती हैं, मुसलमान औरतें भी रहती हैं, उनका कलेजा क्यों उनकी हालत को बरदाश्त कर रहा है । क्यों नहीं वह इस तरह का कानून बनवाती ताकि हमारे देश की जो भी औरतें हैं उन सब को कुछ हक दिया जाये । मैं यह बात जानता हूं कि हमारे मंत्री महोदय एक अच्छे वकील हैं । मैं उनको एक मिसाल देता हूं कि मुस्लिम ला में यह है कि प्रीडिसीज्ड (पहिले मर गये) लड़के की विधवा को कोई अधिकार नहीं होता । उसके वास्ते आप के दिल में दर्द पैदा क्यों नहीं होता । हिन्दू स्त्री को आज भी अधिकार है कि वह आपसे मेनटिनेन्स (निर्वाह भत्ता) मांग सकती है और वह आपके घर में रह सकती है और उसको इज्जत के अनुसार मेनटिनेन्स देना पड़ेगा । मैं पूछता हूं कि क्या एक मुस्लिम स्त्री हिन्दुस्तान की स्त्री नहीं है । लेकिन हम मुस्लिम कानून को बदल नहीं सकते और इस बिल के पीछे पड़े हुए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है कि श्री पाटस्कर जैसे आदमी जो खूब अच्छे हिंदू संस्कारों में पले हुए हैं. और जो कुछ दिनों हिन्दू महासभा के प्रेसीडेंट भी रहे हैं. . . . .

Shri Pataskar: That is wrong. I was never the President.

Shri B. S. Murthy: He wants everybody to be the President, including B. S. Murthy.

श्री यु० एम० त्रिवदी : मेरे कहने का मतलब यह था कि जब हम आप जैसे संस्कारी आदमी को नहीं समझा सकते तो हम दूसरे को कैसे समझा सकेंगे । अगर हम आपको नहीं समझा सकते तो दूसरों को समझाना तो हमारे लिये बहुत कठिन समस्या हो जायेगी । आपने यह बिल लड़की को अधिकार देने के वास्ते बनाया है । इधर लड़की को बाप के पास से देते हैं, उधर पति के पास से दिलवाते हैं, ससुर के पास से उसे मिलता है । उसके लिये आपने सब तरफ से "टेक टेक" (लेना) ही रखा है "गिव गिव" (देना) कहीं भी नहीं रखा है । उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं रखी गयी है । लेकिन हमारे यहां सारे देश में और खासकर देहात में यही विश्वास चल रहा है कि लड़का परिवार के प्रति जिम्मेवार होगा । मेन (Mayne) ने अपनी किताब में लिखा है :

> "A Hindu mav start with nothing and make a self-acquired fortune by dint of his own ability and exertions. But in a couple of generations his offspring would have ramnified into a joint family, exactly like a banyan tree which started as a single shoot. Absolute, unrestricted ownership, such as enables the owner to do anything he likes with his property, is the exception. The father is restricted by his sons, the brother by his brothers, the woman by her successors. If property is free in the hands of its acquirer, it will become fettered in the hands of his heirs. Individual property is the rule in the West; corporate property is the rule in the East".

आज आप सोशल सीक्योरिटी (समाजिक सुरक्षा) की बात कर रहे हैं लेकिन आप प्रापर्टी के बारे में यह कानून बना रहे हैं । आप एक तरफ जहां पबलिक सेक्टर (सरकारी क्षेत्र) को डेवेलप कर रहे हैं वहां प्राइवेट सेक्टर (गैर सरकारी क्षेत्र) को बरबाद कर रहे हैं । अब आप प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) हैं और चाहते हैं कि कोई प्रापर्टी का मालिक ही न हो । लेकिन हमें यह देखना चाहिये कि जिस सोशल सीक्योरिटी के लिये हमारे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट बन्धु

[श्री य० एम० त्रिवेदी]

लोग चिल्लात रहे हैं क्या वह हिन्दू समाज म नहीं थी । मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर विचार करें कि जो सोशल सीक्योरिटी हिन्दू समाज में मौजूद है क्या आप आज उसे बरबाद नहीं कर रहे हैं ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : कभी नहीं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : आप अभी समझे ही नहीं है कि हिन्दू समाज में कितनी सोशल सीक्योरिटी है । जो मैंने मेन की पुस्तक में स पढ़कर सुनाया है उस तरफ माननीय सदस्य ध्यान दें तो उनको वास्तविकता का पता चलेगा । यहां यह सिद्धान्त था कि सब मिल कर एक जायदाद के मालिक होते थे । यहां तक सिद्धान्त था कि बाप की जायदाद का बेटे भी बटवारा नहीं करवा सकते थे । जैसा कि पंडित ठाकुर दास जी ने कहा यहां तो पहले यह उसूल था कि बाप के रहते लड़के एंसेस्ट्रल प्रापर्टी (पैतृक सम्पत्ति) का बटवारा नहीं मांग सकते थे । यहां सरवाइवरशिप (उत्तर जीवित्व) का उसूल माना जाता था यानी जो जिन्दा रहे उसकी ही प्रापर्टी होगी, मरे हुए का कोई हक नहीं है । लेकिन इसमें आपने पहले ही चंचु प्रवेश कर दिया जब कि आपने एस्टेट ड्यूटी बिल (सम्पदा शुल्क विधेयक) बनाया । उस वक्त आपने जबरदस्ती यह उसूल हमारे ऊपर लाद दिया कि जब बाप मर गया तो यह मान लिया जायेगा कि बटवारा हो गया । किसी नें बटवारा मांगा नहीं पर आप उसको पैदा करते हैं । हिन्दू समाज में यह सिद्धान्त माना गया है कि मरे हुए का कोई हक नहीं है । लेकिन इस उसूल पर आपने कुठाराघात कर दिया जब कि आपने एस्टेट ड्यूटी बिल बनाया । ऐसा मालूम होता है कि आपके दिल में यह बात आ गयी है कि किसी तरह से ज्वाइंट हिन्दू फैमिली (संयुक्त हिन्दू परिवार) को तोड़ना चाहिये । अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपके सामने एक सीधा रास्ता है कि आप एक कलम लिख दीजिये कि हम ज्वाइंट हिन्दू फैमिली को नहीं चाहते । आपने इस बिल के बनाने में उन्हीं लोगों की सलाह ली जिनकी पाश्चात्य बुद्धि थी और जिन्होंने कभी प्राच्य दृष्टि से इस बात को नहीं देखा था । आपने यह कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ज्वाइंट हिन्दू फैमिली में कितनी सोशल सीक्योरिटी है । आज इसी के कारण बूढ़े बाप और मां का पालन पोषण लड़का करता है इसी क कारण विधवा स्त्री मेनटिनेन्स मांग सकती है, मकान में रह सकती है । आप जरा इंगलैंड में जाइये और देखिये कि वहां बूढ़े माता पिता की क्या हालत है । उनको कोई सहारा नहीं । उनको पेंशन मिलती है और वे अलग रहते हैं और टिक टिक करते फिरते हैं, कोई उनको देखन वाला नहीं है । और बाहर जाकर बेचारे कबुतरखाने में बैठते हैं और उनको वहां पर कोई बच्चा नजर नहीं आता और वे ऐसा महसूस करने लगते हैं कि दुनिया की सारी जो कुछ जिन्दगी है वह उनके वास्ते बर्बाद हो गई है और मानो वे एक जानवर के तुल्य और पशुओं के तुल्य किसी चिड़ियाखाने के अन्दर रह रहे हों, वैसा अगर आप हमारे समाज को करना चाहते हैं तो आप बेशक अंग्रेज़ों और उन पाश्चात्य देशों का अनुकरण करिये । मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि जरा आप रुक कर सोचिये तो कि आप किस बहाव में अपने को बहाये ले जा रहे हैं और उसका प्रभाव आप पर और समाज पर कितना अनिष्टकारी सिद्ध होने वाला है और हिन्दू समाज और संयुक्त परिवार सिस्टम को आप किस प्रकार तहसनहस कर डालने वाले हैं । आप यह समझ कर कि यह बड़ा प्राग्रेसिव (प्रगतिशील) क़दम है, इसके बहाव में मत बह जाइये । प्राग्रेसिव क्या चीज है ? मैं तो कहता हूं कि यह प्राग्रेसिव नहीं बल्कि रेट्रोगसिव (प्रतिगामी) है और अंग्रेजी भाषा में इसके लिए एक बड़ा बुरा शब्द है जिसको कि इस्तेमाल करने के लिये मेरे दोस्त मुझे क्षमा करें और आशा करता हूं कि वे नाराज नहीं होंगे और वह यह है कि It is a renegade step. It is not a progressive thing.

Shri Nambiar : The definition of both the words should be changed.

Mr. Deputy-Speaker : Retrograde or renegade ?

Shri U. M. Trivedi : Renegade's action.

Mr. Deputy-Speaker : A step can only be a retrograde one.

Shri B. S. Murthy : Run-a-great step.

Shri U. M. Trivedi : That you do when you address Station Masters and not here.

उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बिल हमारे सामने पेश किया गया था उस वक्त हमसे यहां पर साफ साफ कह दिया गया था कि भाई यह कानून मिताक्षरवाले पर लागू नहीं होगा । यह सिर्फ दायभागवालों पर लागू होगा । दायभाग में पहले ही ऐसा था कि वहां पर कोई आदमी सरवाइवरशिप से मालिक नहीं होता था और उनका सामाजिक जीवन इस प्रकार का बन चुका था कि जिस पर कोई कुठाराघात नहीं हो सकता था लेकिन हमने देखा कि जब कानून बनाने लगे तो एकदम यह कह दिया गया कि यह कानून मिताक्षरवालो पर भी लागू होगा और मुरुमकतैययम पर भी लागू होगा, एक्सेप्शन क्लाज़ निकाल लिया गया और सबको इसमें शामिल कर लिया गया । अगर सबके संग इक्वैलिटी (समानता) वर्ती होती और एक युनिफार्म सिविल ला (एक रूप व्यवहार विधि) बना लिया जाता जो कि हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई सब के ऊपर लागू होता तो मैं आपकी इस युनिफार्मिटी की और इक्वैलिटी के बात को समझ सकता था लेकिन यहां पर मैं देखता हूं कि आपकी इक्वैलिटी वहां तक नहीं जाती है और इसमें दफा २ के अन्दर हिन्दू समाज को तोड़ने के वास्ते और छिन्न भिन्न करने के वास्ते आपने दफा २ के सबक्लाज़ २ में इस तरह से लिख दिया है :

> "Notwithstanding anything contained in sub-section (1), nothing contained in this Act shall apply to the members of any Scheduled Tribe within the meaning of clause (25) of article 366 of the Constitution unless the Central Government, by notification in the Official Gazette, otherwise directs."

मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह का प्राविज़न (व्यवस्था) क्यों रक्खा गया है ? शेडयूल ट्राइब्स वाले हमारे पड़ोसी हैं और हज़ारों वर्षों से हमारे साथ रहते आये हैं और हमारे साथ उठते बैठते और खेलते आये हैं उन भील निवासियों पर आप यह कानून क्यों नहीं लागू करेंगे और आप क्या कोई कारण बता सकते हैं कि उन पर क्यों इसको लागू नहीं करना चाहिये और सिर्फ हिन्दू समाज के ऊपर ही इसे क्यों लागू किया जाये और आप इक्वैली हर एक क्यों नहीं आगे बढ़ने देते ? लेकन मैंने तो जैसा पहले भी कहा आपको सिर्फ एक ही फ़िक्र दामनगीर है और वह है डिस्ट्रक्शन आफ प्राइवेट प्रापरटी (निजी सम्पत्ति का विनाश) जिसका कि नम्बियार साहब ने ज़िक्र किया था, उसको करने के वास्ते आप हिन्दू समाज को इस प्रकार से तोड़ना और नुक़सान पहुंचा रहे हैं ।

क्या आपने कभी अपनी दफा ६ के बारे में भी गौर किया है कि क्या चीज़ आपने बनाई है ? मैं नहीं समझता कि क्लाज़ ६ लिख कर इस तरह का प्राविज़ो (परन्तुक) क्यों लिखा गया कि एक हिन्दू बाप के मरने के बाद उसके फ़ीमेल रिलेटिव को उस कोपार्सनरी प्रापरटी (संमांशी सम्पत्ति) में शेयर मिलेगा । जैसा एक्सप्लेनेशन (व्याख्या) दिया गया है उससे हार्डशिप और इनजस्टिस (कठिनाई और अन्याय) बढ़ने का इमकान है and it will make unsafe the title of a coparcenary even after the partition (इससे विभाजन के बाद भी समोशी का स्वत्व असुरक्षित रहे गा) मैं पूछता हूं कि अगर लड़की भी साथ में रह सकती तो कौन सा हर्ज था ? मैं नहीं जानता कि आपने हिन्दू कानून में ऐसा कौन सी खराबी देखी जिसकी कि वजह से आपको इस तहर का कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई । मेरी बहन श्रीमती सुभद्रा जोशी यहां से उठ कर चली गई नहीं तो मैं पूछता कि उन्हें कहां से एक गटर इंस्पैक्टर की तरह से यह मालूम हो गया कि सारा का सारा हिन्दू समाज खराब है और क्या उन्हें एक भी ऐसा आदमी देखने को नहीं मिला जिसने कि अपने बहन या अपनी बेटी को अच्छी तरह से रक्खा हो ? मुझे अपने गांव और मालवा, राजस्थान, मध्य भारत और गुजरात के गांवों का अनुभव है और वहां के वास्ते मैं कह सकता हूं कि वहां पर लोगों ने क़र्जा ले ले कर अपनी लड़कियों को अच्छे घर में ब्याहा है और उसके कारण बीस बीस साल तक के लिये क़र्ज़दार हो गये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि इस जायदाद के बटवारे और टंटे के बाद वह भावना कि मेरी बहन अच्छे से अच्छे घर जाये और उसके लिये वह कर्ज़ा अपने सिर पर ओढ़ लेता है, कहां रह पायेगी । आज हमारे मध्यम वर्ग वालों के पास और खेतीहर लोगों के पास कौन सी बड़ी जायदाद पड़ी है जिसका कि आप बंटवारा करवाने जा रहे हैं । मैं उन लखपतियों और करोड़पतियों की बात नहीं करता हूं और न ही उनके वास्ते ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता ही है । उनके वास्ते आप यह कानून नहीं बना रहे हैं । आप क्यों ऐसा कानून बना कर उन लाखों भाई बहनों के प्रेम सम्बन्ध को तोड़ने जा रहे हैं और मैं आपको बतलाऊं कि शादी के

[श्रीं यू० एम० त्रिवेदी]

वक्त तो बाप और भाई सब कुछ कर्जा तक ले कर अपनी लड़की की शादी करते ही हैं लेकिन शादी के बाद भी और बाप के मर जाने के बाद भी भाई तो जिन्दगी अपनी बहन को कुछ न कुछ देता ही रहता है और बाप के मर जाने के बाद भाई भात ले कर एक गांव से दूसरे गांव बहन के यहां जाता है और मैंने देखा है कि भात लेकर भाई लोग हजार हजार और पांच पांच सौ मील तक का सफर करते हैं। इसी सिलसिले में मैं आप को बतलाऊं कि एक सज्जन थे जिनकी कि आर्थिक हालत बहुत ज्यादा गिरी हुई थी लेकिन जब लड़की का मुकलावा आया तो उन्होंने अपना आधा मकान गिरवी रख करके मुकलावा दिया और मैं समझता हूं कि आपको इस हिन्दू समाज के अन्दर इस तरह के सैकड़ों और हजारो लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने मकान और दूसरी चीजें गिरवी रख करके और क़र्ज़े लेकर के ऐसा किया होगा और मेरी तो समझ में नहीं आता कि ऐसी हालत में आपको इस तरह का कानून बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई ? मैं तो समझता हूं कि इस कानून बनाने के पीछे आपके दिल में वही भावना काम कर रही है और उसको आपको स्पष्ट कह देना चाहिये कि जैसे भी संभव हो हमें हिन्दू समाज को तहस नहस कर डालना है और उसके टुकड़े टुकड़े कर डालना है और उसी लिये आप इस तरह का कानून बनाने के लिये उतारू हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके अतिरिक्त आपके पास कोई दूसरा कारण इस कानून बनाने के लिये नहीं है। आपके दिल में यह चीज़ लगातार काम कर रही है कि जब तक हिन्दू समाज को तोड़ न दिया जाये और जब तक उसे गुलामी की मनोवृत्ति में न लिया जाये तब तक ठीक काम नहीं बनेगा। गुलामी की मनोवृत्ति, यह शब्द मैं इसलिये इस्तेमाल करता हूं कि यहां इस मुल्क पर पहले अंग्रेजों का राज्य और उससे पूर्व यहां मुसलमानों का राज्य रहा। यहां पर जव मुसलमानों का राज्य रहा तो हमने देखा कि मुसलमान बन जानें से लड़की को कुछ अधिकार प्राप्त हो जाता है, मुसलमानों के कानून के अनुसार लड़की को अपने बाप के मरने पर उसकी जायदाद में कुछ अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब यह सवाल नहीं है कि यह चीज़ प्राग्रेसिव है कि नहीं, लेकिन यह ज़रूर है कि वह विचार हिन्दुस्तान का नहीं है और वह रीतिरिवाज़ दूसरे मुल्क के हैं। इसी तरह से क्रिश्चियन ला (ईसाई विधि) के बारे में भी मेरा यही कहना है कि वह इस मुल्क का नहीं है और एक पराये मुल्क का है और वह यहां के रीतिरिवाज़ नहीं हैं। जब हमने सब प्रकार से उनकी इस मनोवृत्ति को अपने अन्दर घुसेड़ना शुरू किया तो फिर हम अपने समाज की रचना भी उसी प्रकार की करने पर उतारू हो गये हैं और यह हमारी एक गुलामी की मनोवृत्ति का नमूना है कि हमारे अपने में जो अच्छापन है और जो अच्छी बातें हमारे हिन्दू समाज के अन्दर विद्यमान हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उधर हमारी निगाह नहीं जाती और हमारी निगाह हमेशा पाश्चात्य देशों के रहने वालों की तरफ और उनके रीतिरिवाजों की तरफ रहती है और उनकी हूबहू नक़ल करते जाने में हम अपने को धन्य मानते हैं और हमारा ऐसा विश्वास हो चला है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें दुनिया के अन्दर कोई प्राग्रेसिव नहीं कहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप का समय खत्म हो गया।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : आप कहते हैं कि मेरा समय खत्म हो गया, लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा समय आप का लूं।

उपाध्यक्ष महोदय : थोड़े समय से आप की मुराद क्या है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : शायद मैं अभी कुल दस मिनट बोला हूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बीस मिनट बोल चुके और वह भी अपने प्वाइंट आफ आर्डर के बाद।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं आपसे पांच मिनट और चाहूंगा।

अब मैं आप का ध्यान इस कानून की दफा १७ की तरफ दिलाता हूं। क्या हिन्दू समाज ने आपको कोई दर्ख्वास्त दी थी जिस से की आप को यह कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी कि हिन्दू समाज में मां बाप यह कहने को तैयार न हो जायें कि अगर लड़की मर जाये तो उस की सारी जायदाद मुझे मिल जाये ? आज कोई भी कपूत बाप या मां हिन्दुस्तान के अन्दर नहीं होगी जिस ने आप को दर्ख्वास्त दी हो कि अपनी लड़की का धन वह ले ले। जैसा पंडित ठाकुर दास जी ने कहा, हम भी ऐसा ही करते आये हैं कि अगर हम किसी गांव में पहुंच जायें और हमें पता लग जाये कि उस गांव में हमारे गांव की कोई लड़की ब्याही हुई है, उस से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, सिर्फ यह पता लग जाये

कि वह हमारे गांव की है, तब भी उसको रुपया दो रुपया दे ही देंगे । उस की जायदाद उसे के मां बाप खा जायें या अपनी तरफ से मजबूर करके उस को निकाल लें, यह अनुचित बात मेरी समझ में नहीं आती । अब इस प्रापर्टी की बात आप के ऊपर ऐसी हावी हो गई है कि सर्वगुण कांचनमाश्रयन्ते । ऐसी चीज आप के सामने आ गई है कि कुछ भी हो प्रापर्टी ऐसी चीज है जिस को सब लेना चाहते हैं । आज जो भाषण होते हैं, या कोई नई पार्टी बनती है तो उस पार्टी वालों से पूछते हैं कि तुम्हारा एकानमिक प्रोग्राम (आर्थिक कार्यक्रम) क्या है ? सब चीजें तो नष्ट हो गई, सिर्फ एकानमिक प्रोग्राम की बात रह गई । सारी चीजों में यही चीज आ गई है । समाज रचना में भी पूछा जाता है कि एकानमिक प्रोग्राम क्या है ? अगर एकानमिक प्रोग्राम ऐसी बड़ी चीज थी तो हिन्दुस्तान के अन्दर सिंधी भाई, पंजाबी भाई और बंगाली भाई भाग भाग कर नहीं आते । वहां पर राम सेवक से मुहम्मद अली बन गये होते । उन की एकानमी को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था । एकानमिक प्रोग्राम हो सकता है यह दूसरी चीज है, लेकिन इस जगत के अन्दर प्रधानता की चीज यह भी है कि इस लोक के अन्दर आप मनुष्य को किस नीती के मार्ग पर चलाते हैं, और वह है धर्म, वह है उन की समाज रचना और वह है उसका संस्कार । उन संस्कारों के आधार पर मनुष्य अपना जीवन सुख से बिताता है, आज आप इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो हिन्दूओं का सुखी जीवन है, आज एक मात्र सुखी जीवन सारी दुनिया में अगर कोई है तो वह हिन्दूओं का है, हिन्दुओं का गृह संसार जैसा सुखी है वैसा आपने दुनिया में किसी का नहीं देखा होगा आप उसकी नींव को तोड़ देने के लिये उतारू होते हैं । मैं उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे मिनिस्टर आफ लीगल आफेयर्स (विधि कार्य मंत्री) को सुझायें कि उनके हाथ से जो धातक हमला आज हिन्दू समाज पर हो रहा है उस को बन्द करने की वे कोशिश करें ।

Pandit K. C. Sharma: I welcome this measure. I am pained to listen to the criticisms advanced by many of my hon. friends not because I do not find much logic or arguments in them but because there is lack of appreciation of the vast changes that the Hindu polity has undergone through centuries of human evolution and development. My learned friends must disabused their minds of the old ideas. I may say that the cry of the ancient system of Hindu law does not hold good now. As a matter of fact, for the information of the hon. Member who preceded me, I may tell him that the present system of Hindu society, the present way of Hindu living, is not the same as the Aryan or the Vedic system of Hindu thought and living. The present Hindu polity is the resultant of the conflict between the Greek system of thought and way of living and the Buddhist system of thought and way of living. It has very little today—except the deeply laid roots which themselves became rotten later on—of the ancient Vedic system. The prominent part or the visible colour of the system is taken from the Greeks and the Buddhist thoughts and ways of living. Therefore, forget that the present Hindu society, this present Hindu polity, has much to do with the Vedic age or the Vedic way of living. Far from it. To cling to that—good or bad—is to blind yourselves and not to look into the pages of history or of evolution of the human thought, particularly of the Hindu thought. I may remind you that both the Greek system of inheritance and the Buddhist system of inheritance give equal right to the daughter along with the sons.

I take another aspect. After the nuclear development, after so much of scientific progress, so many developments, all countries—whether Hindu, Muslim or any other—cannot remain isolated. In fact, no country today can remain isolated. You have to fall in line with what is called the civilised conceptions. Call them civilised or uncivilised, but so long as you depend for your bread on the American steel, so long as you depend for your bread and also for industrial progress on the technical development of the Russian or English steel works, you have to fall in line with ways of thinking accepted by them. I say that there is nothing more degrading for us than to be the citizens of what is called an under-developed or non-developed or backward country. I regard it as a slur on the human race. I regard it as a slur on my very existence to be called, in this age, as a citizen of a backward country. What is more contemptible than to be called, when you go about the world, "You are an inferior man; you belong to a backward country or you belong to an under-developed country?" When you depend for your development and progress on the hold of other countries, you have to take to their ways of thinking, and you have to take their ways of

[Pandit K. C. Sharma]
living and act in uniformity with their lines of thinking which may be called civilised way of thinking.

An Hon. Member: I do not feel like that.

Pandit K. C. Sharma: You may not feel it. But I feel it. It is all subjective. You may go round the world and enjoy an inferior status. I refuse to enjoy an inferior status and be called that I am a citizen of a backward country, I do not want to remain in a backward country. I do not want that my country should remain backward. This is a fundamental question. To be called a citizen of a backward country is a contemptible thing and nobody worth the name will like to be called that he is a citizen of a backward country and pursue a contemptible existence. This is the first question, and all the rest comes afterwards. Whoever does not feel this, I may call him as sub-human. This is my way of thinking. Others may have other ways of thinking. Therefore, I beg to submit that we have come to a stage where we must have a legislative uniformity. We must have a uniformity in the rights as between man and woman and through that uniformity, which is a condition precedent, we must move forward for a political uniformity and towards the unification or equality of all countries of the world which may be possible. That is one aspect.

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA *in the Chair*]

Another point is that with the rights of women, the question of population would be solved. One of the fundamental questions and the most difficult question facing this country in particular and the world in general, is the growth of population. You may have your First Five Year Plan and also the Second Five Year Plan and work them successfully. You may have a successful third Five Year Plan also. But you will not succeed in raising the standard of your people unless you control the population. If once you give the right to the girls to property, they will have facilities for education, and with the facilities for education the population will be controlled. You will have less children and better children. Your race will be improved. Your country will be improved and, at the same time, your standard will be raised. It is impossible to conceive that India, despite all her efforts, would be able to raise her people to an acceptable, economic standard of life if the population is not controlled. Otherwise, India, and indeed the whole world will face disaster. After all, after the war the greatest problem is the problem of population, and the problem of population cannot be solved unless all girls get facilities for education, and not only education but the facilities for independent profession. By education and independent profession, certainly the growth of population would be checked and there would be every possibility of raising the standard of life. That is the way to remove the contemptible existence of belonging to a backward or an undeveloped country. This is an essential step which should be taken in accordance with the social structure that is envisaged in the Constitution. Article 14 of the Constitution says:

> "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

Should not the law give a child the right of development ? What is the right of development ? If you do not give a girl something to depend upon, if you do not give her a share in the property, how can she develop ? She should have the right to receive education in foreign countries. Why should the son alone have a claim in the father's property to go to Cambridge for higher education ? Why not the girl also ? The law envisages equality of rights. Article 15 of the Constitution says:

> "The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."

There is no sense having this laid if the State can discriminate against a citizen, because she is a female; the State cannot favour any citizen because he is a male. Why should this Parliament frame or tolerate a law in which there is any disparity with regard to inheritance ?

What is the growth of personality ? I possess a fountain pen worth Rs. 60. So long as I possess this fountain pen, I feel a better man. Property gives personality; it gives a feeling of superiority and security. Why should we deprive the daughter, simply because she is a female, of this right to possess property, which adds to one's personality ? Property is not anything; abstract it is something tangible.

. Let us come to a practical proposition. You say that untouchability is abolished. It is not any charity; it is not any gift to the depressed classes. We cannot build our country the India of our dreams, unless every citizen is allowed to work in an honourable situation. We cannot build a country by depriving a half of the population of the dignity and status that the other half enjoys. I say that in the name of the glory of the country, in the name of the history and culture of this great country, it is immoral to deny the right of property to the daughter, simply because she is a female. It is not a question of this Hindu system or that Hindu system. The old system has decayed and died. A new India is rising; the old India is dead and gone. Can you condemn your President because he is not a Brahmin or belongs to a caste Manu does not permit to hold office. In that case, many Ministers cannot have their position in the Cabinet. Things have changed; times have changed and we should progress with the times. The old things might have been good at a particular time under particular circumstances. Now a new India is rising and it expects new things. It is impossible, therefore, to say that Hindu society would be dead. It is something which the historical situation now does not allow you to depend upon.

There is one other thing and that is about the father-in-law. Let me take the practical position which is prevalent now. I am concerned more about the psychological growth of a child, rather than the benefit that would accrue to the child. We know that in the villages, at the most the village people can have only primary education. For primary education, much property is not necessary; much benefit from inheritance is not necessary. Let us consider the position that obtains in other countries. No female child claims any share in a poor man's property. Take Ceylon or Burma. Are there not poor people and cultivators in Ceylon or Burma? There, the female child does not demand a share in the father's property because they know that it is not enough. They are also human beings. Take the case of Mohammedans. How many Mohammedan peasants' daughters have demanded a share in the father's property? There are so many Mohammedan villages near my place and I have not seen any quarrel between the father-in-law and the husband. Human sentiments and human ways of thinking are the same all over. I refuse to believe that a Hindu brother has much more affection for his sister than a Mohammendan or Christian brother. No other society, except the Hindu society, kept one-third of its people downtrodden as slaves. They would not even take water from the other man's hands. Among the Mohammedans, the king and the slave go and worship in the same mosque and even a slave can become the son-in-law of a king and become the next king. I would repeat that human nature in every society under the same conditions is the same. Human life is a flexible and pliable thing. A progressive society should learn something from outside, and should change with the times. Coming to the property clauses, I beg to submit that the daughters should get as much share in the father's property as the sons. Let her take her share in order that she may, in this great building process of this land, serve society. She may practise as a doctor; she may become a professor; she may work as a legislator. One day she may become the President of India. Why should you shut the door against her once she is tied down to a fool to obey his command. I beg to submit that every rich man is a fool because he has always to depend upon other and he cannot stand on his legs. So long as patrimony is looked upon as the final support of life, the man will not work and the man will not excercise to the fullest extent his brain and his limbs. Once you give share to the daughter—the rich man's daughter,—she will have vast opportunities to progress and serve our people. Why should we stand in her way?

It is said that the son-in-law will create trouble. You have simply to go to the Connaught Circus and see. It is the educated wife who orders, 'pay the bill, I have purchased these things.' The man plays the secondary part. The time has changed. Why? It has changed from the horseback and spear, fighting in battles as in the days of Rana Pratap to throwing bombs from aeroplanes. Throwing the bomb requires no strong limbs. It requires intelligence. It requires quick judgment. A woman is more intelligent and more quick in judgment. A woman can throw a bomb in a much better way than a man can throw it. Therefore values are changing and utility is changing. Now a woman is more important. No less a person than an American philosopher, Durant, says that the most difficult and the most important subject of the philosophy is 'woman'. This is the problem. I put to you this physical question. Whoever proudly looks his face in the glass shaves his moustache. Why? We ask the moustache to be shaved because we want to look better after a

[Pandit K. C. Sharma]

share. This is the process of evolution. Therefore to say that the son-in-law will create trouble is not to read the historical process of evolution. A woman is more important than man and there need not be any fear on that account.

Shri Altekar: I would not like to create the impression that I am speaking purely from the sentimental point of view. I am not only a pleader, but also a sociologist. It is not because man framed the laws in olden days that we have got the present laws. The legislators of those days took into consideration what practices were obtaining in society at that time. My hon. friend Shrimati Subhadra Joshi said—she is not here—that if the laws had been, formulated by women, possibly men would have been required to stay in the houses of their wives. I myself have no quarrel with that. I would even like that women should be the centre of society and of the family and that men should go and stay with their wives, in their houses. In that case, the family would be constituted in a different way. In that case, I would like that she should inherit the property of her mother and that her husband should not inherit the property of his father or mother when he (the husband) has a sister. Because, the family, if it is the support and sustain the members, has to be constituted in such a way that it will support its members without the disintegration of property and look after all the necessary requirements of it. If we want to have this family in its compactness and homogeneity, functioning properly, the rights of individuals in the context of the things have to be subordinated to the family. I stand for equality of rights both for men and women. I do not in any way suggest that women should have any less rights than men. But, it should be in the sphere in which she is functioning, in the family where she is spending the whole of her life. If she goes, after the marriage, to the family of her husband, she should have equal rights with her husband. If she is ill-treated, she should have the right to claim partition of an equal share with her husband and to get proprietary right in the property of her husband. I do not in any way differ from that. Her interest should in no way be subordinated to that of her husband. She has to function as a unit where she is and she has to inherit all the rights in the family where she has become a unit.

I would also like to point out to my sister that it is not men who framed these laws for the benefit of men. In connection with stridhanam property, Manu said.

"मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्कुमारी भाग एव सः ।"

Seperate and self-acquired property of the mother will be inherited by an unmarried daughter, in her absence by the married daughter and thereafter by the son. A son is not given any share in it during the life time of the daughter. How was society functioning? Special rights were being given to women. Laws have changed. I can show that originally women had no right of inheritance. They have developed one after another. I have stated the history when the Bill was first introduced in this House. I would not go into it again. When society changes, the laws will have to change. If woman becomes the centre of the family, I have no quarrel with their husbands going to the houses of the wives. But the question is, what is the type of the family that we have, what is the type of the family that is functioning at this stage. It is a family wherein a man is the principal person, who is earning and maintaining the family. The family depends not only on the affection of the individuals forming the family, but also on the material resources of the family. They are also an integral part of the whole family itself. If it is to be maintained and supported, the question would be, in what way it should be done.

In the circumstances, as I have said, a division in the family property in which the married daughter will be forming part of her husband's family, will lead to disintegration of the family property. That would not in any way be conducive to the women. I would like to point out that if she inherits as a daughter, and goes to the house of her husband, her husband's sister will take her share from her husband's house. Take the case of small agriculturists. They are living in the villages and their economy is backward. They have got lands. If a certain part is taken away by the daughter and she goes away, what would be situation? Usually, they are married in places which are distant and it will not be possible to manage the property properly from a distance. Naturally, the property will have to be sold. We know, in the circumstances which obtain in this country, 90 per cent. of the persons will not be in a position to purchase the share of the sister even though the right of pre-emption is given, because they have not got the liquid assets with which they can purchase. The position would be, they will have to borrow moneys from somewhere. The laws that are being framed in connection with debts and borrowing of money, as we all know, make it difficult for any agriculturist to borrow money even though he mortgages all the property, not only his share but the share of his sister also which he is purchasing. It could be impossible for him to redeem the property thereafter. Ultimately, that would be lost in debt as we see in many cases where debts are contracted. Therefore, I would like to point out that this particular situation which will be obtaining after the right, which is contemplated in this Bill, is given, will not be in any way beneficial to the daughter herself. For the time being, she may think that she is taking property. But, in her husband's family, she will be finding that similar circumstances arise where in property at distant places will have to be disintegrated, there will have to be fragmentation and they will be going to different persons, who in most cases will be strangers purchasing the shares put to sale by the inheriting daughters. So instead of making such fragments or giving rights here and taking them away there, we should keep the family and its property as far as possible intact so that the sons will inherit and the unmarried daughter will be provided for. If the daughter remains unmarried for life, she can take an equal share with her brother, I have no objection. But if the married daughter takes away a share from the immovable property of the father, it will have to be sold ultimately and it will bring benefit to no one. If the property remains immovable property, it is a means of sustenance for the family. If it is sold, the daughter would get the money but it would be spent in no time and ultimately the brother would be losing. The property would disintegrate and there would be no perennial benefit to anybody. I do not say that because the daughter takes a share, the feelings between the brother and sister would be estranged, because if in one case she takes, in another case she brings. But the disintegration of property will do nobody any good. In order to give her complete and full right, let us give it to her in the family where she has to spend her life. Let her take equal right with her husband. Let it be complete and not limited. If she is in any way ill-treated, let her have the right of partition. That will be more in the interests of the family and society rather than the one that we are contemplating now.

5 P.M.

There is another aspect of it. As I have already stated, the family is sustained not only by the love and affection of the members that constitute it, but also by the material resources and property of the family for which the members make a common endeavour. All sons, the father, the brother and other coparceners, whoever they may be, all work in a common endeavour for the purposes of the whole family. In the Dayabhaga family, though the brothers may be tenants in common they also work together. Thereby, they are augmenting the estate of the family. Why should a person who is not able to join in the common endeavour, in the context of things, come there and take a share? Why should the daughter's son or daughter's daughter who is married, who does not contribute to the common endeavour, ask for a share in the property? Let the daughter be supreme in her husband's house, let her rights be supreme there. All the rights would ultimately be the same if she is given full and equal share with her husband in that family. That will not in any way disrupt the family. That will not in any way lessen or minimise the right of the woman as such, but ultimately it will be conducive to the stability of society itself. That is my outlook as a sociologist. If you want to change the structure of society, the structure of the family, I have no quarrel, but so long as the present structure remains, and agriculturists and others are carrying on their avocations as they do, in the matter of giving right to women, we should approach it from the point of view I have mentioned. So, I would like that in Class I the widow, son's widow, son's son's widow should remain. They should take full rights in the property, I have no objection. In the context of present social conditions, I think daughter's son or daughter's daughter or daughter who is married should not be there. In the absence of a son, grandson or great grandson, even a married daughter should succeed and take full share; the daughter's son or daughter's daughter should succeed and take full share. Thev should come at the top in Class II. This is the perspective from which I look at it. I also propose to move certain amendments.

While this Bill is being formulated in the name of equality, I would like to point out three or four places where there is no equality maintained, but a preference has been shown wittingly or

[Shri Altekar]

unwittingly in favour of women. According to the provisions of the Bill, a widow can succeed fully to her husband if there is no issue, but if the wife dies and there is no issue, the husband is not entitled to succeed to the property of his wife. That is what we find in clause 17(2)(a). The property in the case will go to the father's heirs.

If there is a widow and she succeeds to her husband or her father-in-law she can succeed to it completely and then remarry and take the property to the new family, but if she inherits property from her husband's brother or his son or any other coparcener, according to the provisions laid down here it is not the husband's heirs who would succeed to that, but her father and her father's heirs.

Then, according to clause 10(4), if there is a pre-deceased daughter and the property is to be divided in the branch of that daughter, then the persons whom the property will go are her sons and daughters, the husband does not find any place there, but in the case where there is a pre-deceased son, the property is to be divided between his heirs, that is, sons and daughters and the widow. There, the widow comes in, but in the other case the husband does not come in. I have no quarrel with the provision, but I am only pointing out that discrepancies or rather inequalities have crept into the Bill which has been brought to bring about equality.

We should frame the law in such a way that we should give equal rights to a woman in the property of her husband. A daughter who is unmarried can take a share of her father's property, but after her marriage, the property should revert to her brothers. If there are no sons, no grandson etc., she would succeed completely, even if she is married. That should be the position.

Now I come to the last question with respect to joint family property. This Bill was originally intended to give inheritance in cases where there was no joint family. Self-acquired property and separate property was intended to be affected. But now, that provision has been changed in this fashion. If it is intended that the joint family property of the Mitakshara system should not continue, then let us in an honest and straight forward way say that we do not want this system and that the Mitakshara family system should be done away with. But this sort of tinkering with the Mitakshara family system by the back-door is not desirable. The Minister of Legal Affairs has said that he has not touched at all the Mitakshara joint family system, but I humbly beg to submit that that is not a correct statement. The Mitakshara family system has been attacked. The daughter cannot take a right in the property of the father, unless the right by birth of her brother is set at nought, and the whole property is brought in the pool, in order that the property should be divided, and she should have a share. So, that position has been attacked. If it is to be done, then I would like that it should be done in a very honest and straightforward way, by bringing it to the notice of the public, and having their opinion on this question. That would be the proper and correct way of doing the thing.

I would like to point out one discrepancy that has crept in, and that is that the Explanation to clause 6 is against the law of Mitakshara. By that proviso, we are laying down a proposition which is against the Mitakshara law. While by clause 6 we are giving a share by computing the share of the undivided son, what are providing by clause 32 is the right to make a will or gift. But the interest defined in clause 32 will be only the interest of the father, but so far as clause 6 is concerned, the interest will be the interest of the father as also of the undivided son. So, we find that these two things are inconsistent. In order to make them consistent, the explanation to clause 6 will have to be removed.

LIFE INSURANCE CORPORATION BILL

PRESENTATION OF REPORT OF SELECT COMMITTEE

Shri B. G. Mehta (Gohilwad): I beg to present the Report of the Select Committee on the Bill to provide for the nationalisation of life insurance business in India by transferring all such business to a Corporation established for the purpose and to provide for the regulation and control of the business of the Corporation and for matters connected therewith or incidental thereto.

EVIDENCE TENDERED BEFORE SELECT COMMITTEE

Shri B. G. Mehta: I beg to lay on the Table a copy of the evidence tendered before the Select Committee on the Life Insurance Corporation Bill, 1956.